लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
21-5-92
Fumigated
Out 17-11-83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1—10]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025.
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 10—शुक्रवार, 18 सितम्बर, 1964/27 भाद्र, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
264	केलों से भरा हुआ जहाज	983—85
265	पश्चिमी यूरोप में व्यापार केन्द्र	985—87
266	पटसन प्रतिनिधिमण्डल	988—89
267	छोटी कार परियोजना	989—93
268	चितरंजन कारखाने में विद्युत इंजन	994—96
269	हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात	996—97
270	भारतीय क्षेत्र में होकर पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को रेल द्वारा जोड़ना	997—1000
271	भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार	1000—02
272	आस्ट्रिया को चाय का निर्यात	1002—03
273	वा दा व्यापार	1003—04
274	कोयाला उत्पादन सम्बन्धी सम्मेलन	1004—05

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
275	ग्रेट ब्रिटेन में तकनीकी प्रशिक्षण	1005—06
276	इस्पात का मूल्य	1006—07
277	सीमेंट	1007
278	मैसूर में अल्युमीनियम का संयंत्र	1008
279	रेलवे कर्मचारियों के लिए अनाज की दूकानें	1008
280	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में कर्मचारी	1008—09
281	दूसरा खनन मशीनी कारखाना	1009
282	छोटे पैमाने के उद्योग	1009
283	भारी कम्प्रैशर्स तथा पम्प परियोजना	1010
284	चित्तरंजन कारखाने के भाप के इंजन	1010—11
285	फलों तथा फलों के रस का निर्यात	1011
286	पालना लिग्नाइट की खानें (राजस्थान)	1011
287	दक्षिण—पूर्व एशियाई देशों व्यापार	1011—12
288	रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध जांच	1012
289	हैवी इलैक्ट्रिक फैक्टरी, भोपाल	1012—13
290	छोटे पैमाने के उद्योग	1013

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 10—Friday, September 18, 1964/Bhadra 27, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos*	*Subject*	PAGES
264	Shipload of Bananas	983—85
265	Trade Centre in West Europe	985—87
266	Jute Delegation	988–89
267	Small Car Project	989—93
268	Electric Engines at Chittaranjan	994—96
269	Export of Handicrafts	996–97
270	East-West Pakistan Rail Link through India	997—1000
271	Expansion of Bhilai Steel Plant	1000—02
272	Export of Tea to Austria	1002–03
273	Forward Trading	1003-04
274	Conference on Coal Production	1004–05

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
275	Technical Training in Great Britain	1005–06
276	Price of Steel	1006–07
277	Cement	1007
278	Aluminium Plant in Mysore	1008
279	Grain Shops for Railway Employees	1008
280	Staff in Public Sector Steel Plants	1008–09
281	Second Mining Machinery Plant	1009
282	Small Scale Industries	1009
283	Heavy Compressors and Pumps Projects	1010
284	Steam Engines at Chittaranjan	1010–11
285	Export of Fruit and Fruit Juices	1011
286	Palana Lignite Mines (Rajasthan)	1011
287	Trade with South-East Asian Countries	1011–12
288	Enquiry against a Railway Official	1012
289	Heavy Electricals Factory, Bhopal	1012–13
290	Small Scale Industries	1013

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the Hose by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
808	कपड़ा मिलें	1013
809	रेलवे दुर्घटनायें	1014–15
910	चुरु से नोहर तक रेलवे लाइन	1015
811	दिल्ली में नया रेल का पुल	1015–16
813	सीतामढ़ी और दरभंगा के बीच रेलगाड़ी	1016
814	बालों का निर्यात	1016
815	वारंगल के निकट निचले तल्ले का पुल	1016
816	बख्तियारपुर में रेल का पुल	1016–17
817	रुई के सूत का उत्पादन	1017
818	हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड	1017–18
819	छोट पैमाने के उद्योग	1018–19
820	इंडियन एक्सप्लोसिवस लिमिटेड, गोमिया में विस्फोट	1019
821	हजारीबाग में कोयले की पर्तें	1019–20
822	रेलवे कर्मशालाओं में उत्पादन	1020
823	मीटर गेज रेलवे लाइन पर डीजल वाली रेलगाड़ियों का चलाना	1020
824	पंचकुड़ा से हल्दिया तक रेलवे लाइन	1021
825	हथकरघा उद्योग को दिये जाने वाले अनुदानों के लिये नियम	1021
826	सूती वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड तथा सलाहकार समिति	1022
827	दुर्गापुर इस्पात सयंत्र में आंशिक हड़ताल	1022–23
828	केन्द्रीय रेलवे पर खाद्यान्न ढोने वाली मालगाड़ियां	1023
829	सियालदह की रेलवे प्रशिक्षण संस्था को दूसरे स्थान पर ले जाना	1023
830	भारी इंजीनियरिंग निगम का वस्तु विभाग	1024
831	रेलवे अधिकारियों की वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा	1024
832	कपड़ा मशीनों का निर्माण	1024–25
833	कपड़े का निर्यात	1025
834	वस्त्र उद्योग	1025–26
835	तम्बाकू का विपणन तथा निर्यात	1026
836	देहरादून एक्सप्रैस का पटरी से उतर जाना	1026–27
837	रेलवे कर्मचारियों को निर्माण भत्ता	1027
838	रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोड	1027–28
839	नाइट्रेट उद्योग	1028
840	हिसार से रोहतक तक रेलवे लाइन	1028
841	हिसार में कच्चे लोहे का कारखाना	1028–29
842	कोयले के नमूने सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	1029
844	चाय की नीलामी	1029–30
845	विदेशों से डीजल रेलवे इंजन मंगवाना	1030
846	लघु उद्योग	1030
847	गुजरात में जिप्सम निक्षेप	1031

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
808	Textile Mills	1013
809	Railway Accidents	1014–15
810	Railway Line from Churu to Nohar	1015
811	New Railway Bridge in Delhi	1015–16
813	Train Between Sitamarhi & Darbhanga	1016
814	Export of Hair	1016
815	Under-bridge near Warangal	1016
816	Railway Bridge at Bakhtiarpur	1016–17
817	Production of Cotton Yarn	1017
818	Heavy Electricals (India) Ltd.	1017–18
819	Small Scale Industries	1018–19
820	Explosion in Indian Explosives Ltd., Gomia	1019
821	Coal Seams in Hazaribagh	1019–20
822	Production in the Railway Workshops	1020
823	Dieselization of Metre-Gauge Railway	1020
824	Railway Line from Punchkura to Haldia	1021
825	Rules for Grants to Handloom Industry	1021
826	Cotton Textile Consultative Board and Advisory Committee	1022
827	Partial Strike at Durgapur Steel Plant	1022–23
828	Goods Trains carrying Foodgrains on Central Railway	1023
829	Shifting of Railway Training Institute, Sealdah	1023
830	Heavy Engineering Corporation Stores Department	1024
831	Railway Officers travelling in Air-conditioned Coaches	1024
832	Manufacture of Textile Machinery	1024–25
833	Export of Cloth	1025
834	Textile Industry	1025–26
835	Marketing and Export of Tobacco	1026
836	Derailment of Dehra Dun Express	1026–27
837	Construction Allowance to Railway Staff	1027
838	Wage Board for Railway Employees	1027–28
839	Nitrate Industry	1028
840	Railway Line from Hissar to Rohtak	1028
841	Pig Iron Plant in Hissar	1028–29
842	Expert Committee on Coal Sampling	1029
844	Tea Auctions	1029–30
845	Diesel Locomotives from Abroad	1030
846	Small Scale Industries	1030
847	Gypsum Deposits in Gujarat	1031

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
848	उत्तर सीमान्त रेलवे का स्टोर विभाग	1031
849	उत्तर रेलवे पर ड्राफ्टसमैन / एस्टीमेटर	1031–32
850	मध्य प्रदेश में बाक्साइट के निक्षेप	1032
851	धनवाद के पास जलती हुई कोयला खान	1032–33
852	दिल्ली में श्रीनिवासपुरी और नेहरु नगर पर रेलवे स्टेशन	1033
853	पुर्वोत्तर रेलवे पर विद्युतीकरण	1033
854	रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना	1033–34
855	मैसूर में कताई मिलें	1034
856	व्यापार प्रतिनिधि मंडल	1034
857	बेंगुरिया खानें	1034–35
858	भोजनयान	1035–36
859	नाईजीनिया में पटसन कपड़ा मिल	1036
860	समपारों पर होने वाली दुर्घटनायें	1036
861	जाली बांट तथा माप	1036–37
862	व्यापार के लिये ऋण सुविधायें	1037
863	इस्पात का उत्पादन	1037
864	उत्तर रेलवे में कर्मचारी कल्याण निधि	1037–38
865	दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर चोरियां	1038
866	दीवान शुगर मिल्य खावटी, मेरठ	1038
867	चीनी मिलों को नियत किया गया कोयला	1038–39
868	उत्तर–पूर्व रेलवे पर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	1039
869	श्री लंका को सूखी मछली का भेजा जाना	1039
870	पेन्टों का निर्यात	1040
871	पुनर्वास उद्योग निगम	1040
872	छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग	1041–42
873	उत्तर प्रदेश को इस्पात का नियतन	1042–43
874	उत्तर प्रदेश के लिए स्टेनलेस स्टील	1043
875	पूर्वोतर रेलवे के कर्मचारी	1043
876	गया रेलवे स्टेशन पर टक्कर	1044
877	गया के पास गाड़ी का पटरी से उतरना	1044
878	दमदम छावनी के पास रेलमार्ग पर दुर्घटना	1044–45
879	बंगलौर–अरसीकेरा सेक्शन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	1045
880	चलती गाड़ी में से गोला बारूद की चोरी	1045–46
881	उदयपुर में जस्ता गलाने का कारखाना	1046
882	मैंगनीज अयस्क उद्योग	1046
883	पंजाब में रेलवे को क्षति	1046–47
884	रेल कर्मचारियों के लिए सस्ता उपभोक्ता माल	1047

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
848	Stores Department of N.F. Railway	1031
849	Draughtsmen/Estimaters on N. Railway	1031-32
850	Bauxite Deposits in M.P.	1032
851	Flaming Colliery near Dhanbad	1032-33
852	Railway Station at Srinivaspuri and Nehru Nagar, Delhi	1033
853	Electrification on N.E. Railway	1033
854	Derailments	1033-34
855	Spinning Mills in Mysore	1034
856	Trade Delegations	1034
857	Begonia Mines	1034-35
858	Restaurant Cars	1035-36
859	Jute Textile Mill in Nigeria	1036
860	Level Crossing Accidents	1036
861	False weights and measures	1036-37
862	Credit Facilities for Trade	1037
863	Steel Production	1037
864	Staff Benefit fund on Northern Railway	1037-38
865	Thefts in Delhi-New Delhi Railway Stations	1038
866	Diwan Sugar Mills Sakhoti, Meerut	1038
867	Coal Allotted to Sugar Mills	1038-39
868	Survey of Railway Line on N.E. Rly.	1039
869	Export of Dry Fish to Ceylon	1039
870	Export of Paints	1040
871	Rehabilitation of Industries Corporation	1040
872	Small Scale Handloom Industries	1041-42
873	Steel Allotment to U.P.	1042-43
874	Stainless Steel for U.P.	1043
875	N.E. Railway Employees	1043
876	Collision at Gaya Railway Station	1044
877	Derailment near Gaya	1044
878	Accident at Rail track near Dum Dum Cantt.	1044-45
879	Derailment on Bangalore-Arsikera Section	1045
880	Theft of Ammunition from a running Train	1045-46
881	Zinc Smelting Plant at Udaipur	1046
882	Manganese Ore Industries	1046
883	Damage to Railway Lines in Punjab	1046-47
884	Cheap Consumer's Goods for Railway Employees	1047

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
885	उत्तर रेलवे के क्लर्कों को परिसम्पद्	1048
886	भिलाई में चौथी धमन भट्टी	1048
887	भूतत्वीय मानचित्र	1049
888	न्यूयार्क विश्व मेला	1049
889	शयन डिब्बे	1050
890	उड़ीसा में पटसन मिल	1050
891	हावड़ा के पास रेल का पटरी से उतर जाना . .	1050
892	भिलाई में इलेक्ट्रो—स्टील	1051
893	रेलवे वर्कशापों में प्रशिक्षित कर्मचारिवर्ग को ऊंची श्रेणी में रखना	1051
894	ब्रिटेन से कपड़ा तैयार करने वाली मशीनरी . .	1052—53
895	छोटे पैमाने के उद्योग	1053
896	रेलवे स्टेशनों पर मट्टी रखने के स्थान . . .	1053—54
897	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज़ का कारखाना . .	1054
898	डसलडोर में निरीक्षण विभाग	1054
899	मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब वाल्व कोरों का निर्माण .	1055
900	पूर्व रेलवे का डम—डम—बनगांव भाग . . .	1055
901	वर्कशाप शिशिक्षुता छात्रवृतियां . . .	1055—56
902	श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारिवर्ग के लिये अवकाशार्थ व्यक्ति	1056
903	कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के लिये जनशक्ति सम्बन्धी समिति	1056-57
904	रेलवे लाइनों का निर्माण	1057
905	त्रिपुरा में चाय बागान	1057
906	त्रिपुरा में बीच के पैमाने के उद्योग . . .	1057—58
907	कोंकन क्षेत्र में रेलवे लाइन	1058
908	कोयले का उत्पादन	1058-59
909	बरेली से काठगोदाम तक छोटी लाइन . . .	1059
910	रेलवे में भोजन और जलपान गृह संस्थान . . .	1059
911	पानीपत में कागज़ का कारखाना . . .	1059—60
912	रेलवे के लेखा परीक्षण कर्मचारी . . .	1060
913	रेलवे कर्मचारियों के निजी मकान . . .	1060
914	जापान का कपड़ा मिलों का प्रतिनिधिमण्डल . .	1060—61
915	नई रेलवे लाइनें	1061
916	रामगिरी में सोने की खानें	1061
917	नरसिंघपुर के पास रेलवे फाटक का दूसरे स्थान पर ले जाया जाना	1061—62
918	प्लास्टिक और लिनोलियम के उत्पादों का निर्यात . .	1062
919	रेल परिवहन संस्था	1062—63
920	अल्युमीनियम के कन्डक्टर	1063—64

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
885	Assets of Northern Railway Clerks	1048
886	Fourth Blast Furnace at Bhilai	1048
887	Geological Mapping	1049
888	New York World Fair	1049
889	Sleeping Coaches	1050
890	Jute Mill in Orissa	1050
891	Derailment near Howrah	1050
892	Electric-Steel at Bhilai	1051
893	Up-grading of skilled staff in Railway Workshops	1051
894	Textile Machinery from U.K.	1052-53
895	Small Scale Industries	1053
896	Earth Keeping Spots on the Railway Stations	1053-54
897	Newsprint Factory in Uttar Pradesh	1054
898	Inspection cell in Dusseldorf	1054
899	Manufacture of Automobile Tyre and Tube valve cores	1055
900	Dum Dum—Bangaon Section of E. Railway	1055
901	Workshop Apprenticeship Stipends	1055-56
902	Leave Reserves for Class II and IV Staff	1056
903	Man-power Committee for assessing staff requirements	1056-57
904	Construction of Railway Lines	1057
905	Tea Gardens in Tripura	1057
906	Medium Scale Industries in Tripura	1057-58
907	Railway Line in Konkan Area	1058
908	Coal Production	1058
909	Metre Gauge Line from Bareilly to Kathgodam	1059
910	Catering and Refreshment Establishments on Railways	1059
911	Paper Mill in Panipat	1059-60
912	Railway Audit Staff	1060
913	Houses owned by Railway Employees	1060
914	Textile Delegation to Japan	1060-61
915	New Railway Lines	1061
916	Gold Mines in Ramagiri	1061
917	Shifting of Level Crossing near Narsinghpur	1061-62
918	Export of Plastics and Linoleum Products	1062
919	Institute of Rail Transport	1062-63
920	Aluminium Conductors	1063-64

विषय	पृष्ठ
मंत्री परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव	1064—73
श्री लाल बहादुर शास्त्री	1064—72
श्री नि० चं० चटर्जी	1072—73
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	1074—75
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कस्टडी स्टोर में आग लग जाना	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	1075
सभा का कार्य . .	1076—77
सदस्य की रिहाई	1077
बोनस आयोग के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य .	1077—79
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	1079
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में संकल्प . .	1079—89
श्री मलाईछामी	1080–81
श्री खाडिलकर	1081–82
श्री हुकम चन्द कछवाय	1082
श्री राम सेवक यादव	1082–83
डा० महादेव प्रसाद	1083–84
श्री काशी राम गुप्त	1084
श्री शिवमूर्ति स्वामी	1084—85
श्री दा० रा० चव्हाण . . .	1085—86
श्री स० मो० बनर्जी . .	1087—89
कार्यमन्त्रणा समिति .	
तीसवां प्रतिवेदन . . .	1089
भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प .	1089—92
श्री बीरेन दत्त	1089–91
श्री स० मो० बनर्जी . . .	1091–92

CONTENTS

Subject	Pages
Friday, September 18, 1964/Bhadra 27, 1886 (Saka)	
Motion of No-confidence in the Council of Ministers	
Shri Lal Bahadur Shastri	1064—73
Shri N.C. Chatterjee	1064—72
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1072—73
Outbreak of fire in the custody Stores of Heavy Engineering Corporation Ranchi	1074—75
Papers laid on the Table	1075
Business of the House	1076—77
Release of a Member	1077
Statement *re*: decisions of Government on Bonus Commission	1077—79
Committee on Private Member's Bills and Resolutions	
Forty-sevent Report	1079
Resolution *re* : rise in Prices of Essential Commodities	1079—89
Shri Malaichami	1080—81
Shri Khadilkar	1081—82
Shri Kachhavaiya	1082
Shri Ram Sewak Yadav	1082—83
Dr. Mahadeva Prasad	1083—84
Shri Kashi Ram Gupta	1084
Shri Sivamurthi Swamy	1084—85
Shri D.R. Chavan	1085—86
Shri S.M. Banerjee	1087—89
Business Advisory Committee	
Thirtieth Report	1089
Resolution *re* : Defence of India Act.	1089—92
Shri Biren Dutta	1089—91
Shri S.M. Banerjee	1092

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)
अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)
अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)
अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)
अरुणाचलम्, श्री (रामनाथपुरम्)
अलगेशन, श्री (चिंगलपट)
अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)
इम्बीचिबावा, श्री इजुकुढेक्कल (पोन्नाणि)
इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)
इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)
उटिया, श्री (शहडोल)
उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)
उमानाथ, श्री (पुदुकोट्टै)
उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापट)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
एरिंग श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (देवास)
कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य प्रदेश)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडाडी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)
कनकसवै, श्री (चिंदाबरम्)
कन्डप्पन, श्री (तिरूचेगोड)
कपूर सिंह, श्री (लुधियाना)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)
करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कांबले, श्री तु० द० (लातूर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामत, श्री हरिविष्णु (होशंगाबाद)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किशन वीर, श्री (सतारा)
किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)
कुन्हन, श्री प० (पालघाट)
कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)
कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पद्दपल्लि)

क—क्रमश :

कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केप्पन, श्री चेरियन (मुबात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन और दीव)
कोहोर, डा० (फूलबनी)
कोजलगी, श्री हे० वी० (बेलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, (श्री गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बडौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)
गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)

ग--क्रमशः

गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तूर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व')

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (करोड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)
चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जमीर, श्री स० चुबातोशी (नामनिर्देशित—नागलैण्ड)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री (वांडीवाश)
हैजाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबलराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री महावीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री म० म० (एरणाकुलम)
थेन गोंडर, (नागपट्टिनम्)

ब

बफले, श्री (मिरज)

बलजीत सिंह, श्री (उना)

बशरथ देब, श्री ('त्रिपुरा-पूर्व)

बांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)

बाजी, श्री होमी (इन्दौर)

बास, श्री (तिरुपति)

बास, श्री नगम तारा (जमुई)

बास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)

बास, डा० मनमोहन (औग्रासम)

बास, श्री सुधांशु (डायमन्ड हार्बर)

बासप्पा, श्री (बंगलौर)

बिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)

बिनेश सिंह, श्री (सालोन)

बीक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)

बुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर–उत्तर)

बरै, श्री काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टै)

बेब, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

बेब, श्री विजयभूषण (रायगढ़)

बेबभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)

बेशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)

डेशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)

देशमुख श्री शिवाजी शंकरराव (परभणी)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

दोराइ, श्री काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टई)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धुलेश्वर मीन, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)
नम्बियार, श्री आनन्द (तिरुचिरापल्लि)
नल्लाकोया, श्री (नाम-निर्देशित लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
नाथपाई, श्री (राजापुर)
नायर, श्री दे० जी० (पंचमहल)
नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)
नायक, श्री मोहन (भजनगर)
नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)
निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)
निरजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)
नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)
पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)
पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)
पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)
पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (पाटन)
पटेल, श्री मानसिंह पु० (मेहसानः)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)
परमशिवन, श्री स० क० (इरोड)
पराघी श्री भोलाराम (बालाघाट)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाटा)
पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री दैवराम शिवराम (यवतमाल)

प—क्रमशः

पटिल श्री मा० म० (रामटेक)
पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)
पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)
पटिल, श्री स० ब० (बीजापुर—दक्षिण)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)
पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)
पाराशर, श्री (शिवपुरी)
पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)
पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)
पुरी, श्री दे० द (कैथल)
पृथवीराज, श्री (दौसा)
पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)
प्रताप सिंह श्री (सरमूर)
प्रभाकर श्री नवल (दिल्ली—करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)
बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)
बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)
बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)
बदरुद्दजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)
बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)
बसवन्त, सोनूभाई दागडू (थाना)
बसुमतारी, श्री ध (ग्वालपाड़ा)
बाघ लीवाल, श्री (दुर्ग)

ब—क्रमशः

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)
बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)
बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)
बासप्पा, श्री (तिपतुर)
बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)
बूटा सिंह, श्री (मोगा)
बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)
बृजराज सिंह, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह—कोटा, श्री (झालावाड़)
बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)
भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)
भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० बि० ला० (अजमेर)
भील श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)

मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)

मंडल, श्री य० प्र० (जयनगर)

मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)

मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)

मेनन, श्री (दार्जिलिंग)

मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)

मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)

मरुथैया, श्री (मेलर)

मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)

मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)

मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)

मसुरिया दीन, श्री (चैल)

महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)

महतो, श्री भंजहरि (पुरुलिया)

महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)

महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)

महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)

महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)

महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़—उत्तर)

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)

माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)

माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)

मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)

मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बालोदा बाजार)

मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)

मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)

म—क्रमशः

मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता—मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफ्फर हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवेली)
मुन्जनी, श्री डेविड (लोहरदगा)
मूरमू, श्री सरकार (बलूरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झूंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद, यूसुफ, श्री (सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम्)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई-उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मकुन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)
मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० वे० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरामैया, श्री को० (गूंटूर)
रंणजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रतन लाल, श्री (बंसवारा)
राउत, श्री भोला (बेतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)
राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंडी)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु॰ (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
राम नाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलवर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)

र—क्रमश :

रामस्वरूप, श्री (रावर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलेम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)
रेड्डियार, श्री वेंकट सुब्बा (तिन्डीवनम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री नरसिंम्हा (राजकोट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (कावलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मी बास, श्री (मिरयालगुडा)

ल--क्रमशः

लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)

ललित सेन, श्री (मण्डी)

लहरी सिंह, श्री (रोहतक)

लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)

लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)

लोनीकर, श्री रा० ना० (जालना)

लोहिया, डा० राम मनोहर (फर्रुखाबाद)

व

वर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)

वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)

वर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)

वर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)

वर्मा, श्री सूरजमल (सीतापुर)

वाडीवा, श्री (स्योनी)

वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)

बाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)

वासनिक, श्री वालकृष्ण (गोंडिया)

विजय आनन्द, श्री (विशाखापटनम)

विजयराजे, श्रीमती (छतरा)

विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)

विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)

विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)

वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)

वेंकटासुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)

वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)

वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास, (साबरमती)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० वि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प० (वक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (हलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिंकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मुड्या)
शिव नारायण, श्री (बांसी)
शिव प्रधासन, श्री (पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)
श्रीनिवासन, डा० (मद्रास-उत्तर)

स

सत्य नारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)

स—क्रमश :

सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)

समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)

सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)

साधूराम, श्री (फिलौर)

सामन्त, श्री स० चं० (तामलुक)

साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)

साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)

सिंघवी, डा० लक्ष्मी मल्ल (जोधपुर)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)

सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)

सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)

सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)

सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)

सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)

सिंह, श्री य० ना० (सुन्दरगढ़)

सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद (छपरा)

सिंह, श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तींपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिद्धांती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)

सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)

सुब्बारामन, श्री (मदुरै)

सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)

सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)

स—क्रमशः

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री विशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह, नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)
स्वर्णसिंह, श्री (जलन्धर)
स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गिं० (आसाम-स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलोर नगर)
हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोल्डा)
हिम्मतसिंहजी, श्री (कच्छ)
हुक्म सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

1045 (Ai) LSD--3.

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

गृह-कार्य मंत्री —श्री गुलजारी लाल नन्दा

वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी

सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी

वैदेशिक कार्य मंत्री—श्री स्वर्ण सिंह

रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री —श्री अ० कु० सेन

प्रतिरक्षा मंत्री —श्री यशवन्तराव चह्वाण

इस्पात और खान मंत्री —श्री संजीव रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम्

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री —श्री सत्य नारायण सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्री—श्री दासप्पा

शिक्षा मंत्री —श्री मु० क० चागला

श्रम और रोजगार मंत्री—श्री संजीवय्या

पुनर्वास मंत्री—श्री महाबीर त्यागी

राज्य मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री —श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह

असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे

स्वास्थ्य मंत्री —डा० सुशीला नायर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री —श्री जयसुखलाल हाथी

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री —श्रीमती लक्ष्मी मेनन

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण मंत्री—श्री रघुरामैया

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री —श्री अलगेशन

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री —डा० राम सुभग सिंह

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री —श्री हजरनवीस

सिंचाई और विद्युत मंत्री—डा० क० ल० राव

योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह ।

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां
वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी
परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति
गह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र
शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चव्हाण
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री चे० रा० पट्टाभि रामन
सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्र शेखर
विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव
रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ
प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह,
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र
संचार विभाग में उपमंत्री—श्री भगवती
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र
इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी
श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय
शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन

सभा सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव—श्री शिन्दे
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री डा० एरिंग
सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव—श्री सै० अ० मेंहदी
प्रधान मंत्री के सभा-सचिव—श्री ललित सेन

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 18 सितम्बर, 1964/27 भाद्र, 1886 (शक)

Friday, September 18, 1964/Bhdara 27, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्राम प्रसाद। मुझे सूचना मिली है कि वह जेल से रिहा कर दिये गये हैं और मेरा ख्याल था कि वह यहां पर होंगे। श्री प्रकाश वीर शास्त्री।

Shipload of Bananas

*264. + **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Vishram Prasad:
Shri Hari Vishnu Kamath:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that a shipload of bananas bound for a certain foreign country became unfit for consumption during the transit and had to be thrown into the sea;

(b) If so, the total value of the bananas and the extent of loss to the Exchequer; and

(c) whether the Central Government have made any efforts to fix responsibility for the loss?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इटली को परीक्षण के तौर पर भेजी गई केलों की एक छोटी सी खेप का एक अंश नष्ट हो गया था, क्योंकि खरीदारों के पास पहुंचने से पहले ही वह अधिक पक गया था।

(ख) नष्ट हुए केलों का जहाज पर (एफ० ओ० बी०) कुल मूल्य 2·63 लाख रु० था। सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ग) इस नुकसान का दायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इसमें केन्द्रीय राजकोष को कोई नकसान नहीं हुआ है। फिर भी, केलों को पैक करने और परिवहन की खामियों की जांच करने के लिये एक समिति स्थापित की गई थी जिससें कि भविष्य में ऐसी कठिनाइयों से बचा जा सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । उनकी सिफारिशें इस रिपोर्ट के अध्याय 3 "निष्कर्ष" में दी गई हैं जो सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–3166/64**]

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the amount of loss sustained by Government of India on account of the bananas which became unfit for consumption ?

Shri Manubhai Shah : The European people are so sensitive that they destroy the whole bunch of twelve bananas if one of the banana turns black. It is for this reason that we have suffered a loss of Rs. 2·63 lakhs.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the exports are insured or not ? Were the bananas insured ?

Shri Manubhai Shah : All the details are given in the report. I would like to congratulate the Cooperative Societies who have undertaken the work of such huge exports. Possibility of a mistake being committed cannot be ruled out. This question would not have arisen had the steamer arrived 11 hours earlier and had there been no rain in Milan and Rome.

Shri Prakash Vir Shastri : What about insurance ?

Shri Manubhai Shah : Nobody undertakes insurance of bananas.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : स्थानीय मण्डियों में केले के दाम इतने गिर गये हैं कि जब तक निर्यात के लिये और उपाय नहीं किये जायेंगे मूल्य बढ़ नहीं सकते । अतः सरकार इस संबंध में क्या कर रही है।

श्री मनुभाई शाह : मुझे खुशी है कि यह प्रश्न उठाया गया है। पिछले दो सप्ताह में मुझे भारत के विभिन्न भागों से अनेक तार मिले हैं जिन में कहा गया है कि जब तक मूल्यों में वृद्धि नहीं की जायेगी केले का उत्पादन और कम हो जायेगा। हम इस बात के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि केले का निर्यात बहुत सावधानी से किया जाये।

श्री दे० जी० नायक : इस वर्ष कितना केला निर्यात किया गया ?

श्री मनुभाई शाह : 22,000 टन।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने यह नीति बना ली है कि उत्पादक को उपभोग करने के लिये अपनी वस्तु कम से कम मात्रा में मिले ? यदि नहीं, तो केले, आम, चीनी और चाय का निर्यात क्यों किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह यह कहना चाहते हैं कि हमारे उपभोग से जो वस्तु शेष रह जाती है उसे निर्यात नहीं करना चाहिये ?

श्री कपूर सिंह : हम भूख से मर रहे हैं। आज एक केला 2 आने का मिल रहा है जब कि भारत जैसे गरीब देश में इसका मूल्य 1 पैसा होना चाहिये। अन्य वस्तुओं का भी यही हाल है। क्या आप उनसे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिलाने के लिये आग्रह नहीं करेंगे, क्या वह इस बात को स्वीकार करते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह एक नीति संबंधी मामला है जिस पर प्रश्नों से घंटे में चर्चा नहीं हो सकती।

श्री कपूर सिंह : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल उत्तर चाहता हूं।

Shri Bagri : Why are bananas being exported, when there is shortage of this commodity in the country itself ? What has necessitated its exports ?

Shri Manubhai Shah : Twenty four lakh bananas are produced every year in this country and India is the third largest producer of bananas in the world. We have not been able to export more than 22 thousand bananas. It is not a question of internal prices and export prices, as the export earnings are higher than our parity. I would, therfore, request the House to see it in proper prospective.

श्री जोकीम आल्वा : माननीय मंत्री ने कहा कि इससे राजस्व की हानि नहीं होगी, परन्तु प्रतिष्ठा को निश्चय ही ठेस पहुंचेगी। क्या केलों को एसी हालत में रखा गया था कि विदेश पहुंचने से पहले वें खराब न हों और दूसरे यह कि क्या उन्हें ठन्डे तथा वातानुकूलित स्थान में रखने के लिये उचित व्यवस्था की गई थी?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि प्रतिवेदन में साफ तौर पर बताया गया है कि इन दोनों बातों का ख्याल रखा गया था। वास्तविक गलती यह थी कि सस्ते भाड़े का जहाज ढूंढने में अधिक समय लग गया जिसके परिणामस्वरूप यह दूसरे जहाज की अपेक्षा 11 घंटे देर से पहुंचा और इस प्रकार केला कुछ अधिक पक गया। दुर्भाग्य से बारिश भी आ गई। इन दो बातों के कारण जो उनके बस से बाहर थीं ऐसा हुआ।

पश्चिमी यूरोप में व्यापार केन्द्र

\+

*265. **श्री म० ना० स्वामी** :
डा० सारादीश राय :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम का विचार पश्चिमी यूरोप में एक व्यापार केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्र को कौन कौन से मुख्य कार्य सौंपे जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसार के अन्य भागों में में भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम ने एक व्यापार केन्द्र राटरडम में स्थापित कर दिया है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राटरडम में स्थापित व्यापार केन्द्र के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से होंगे :—

इस व्यापार केन्द्र का उद्देश्य पश्चिमी, योरोपीय देशों में भारतीय माल की मांग बढ़ाने के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों में भारतीय निर्यातकों की सहायता करना है। केन्द्र तीन यूनिटों में काम करेगा जैसे (1) बन्धक गोदाम-सह-डिपो (2) सैम्पल्स मार्केटिंग एजेंसी यूनिट और (3) सर्विस हाउस तथा सर्वेक्षण यूनिट।

गन्धक गोदाम-सह-डिपो

उसी स्थान पर बिक्री करने अथवा भण्डार से माल भेजने के लिये भारतीय माल को यहां भण्डारों में रखा जायेगा। इन भण्डारों में से माल को देखने और चुनने की सुविधा खरीदारों को दी जायेगी।

सैम्पल्स मार्केटिंग एजेन्सी यूनिट

उसी स्थान पर भावी खरीदारों के साथ बातचीत करने तथा संविदा तथा सौदे करने की सुविधा के लिये जिन्सों के नमूनों का एक अधुनातन संकलन और उनके साथ उनके निर्यात मूल्य तथा भेजने के समय की अनुसूची रखी जाती है।

सर्विस हाउस तथा सर्वेक्षण यूनिट

यह यूनिट एक सम्पर्क कार्यालय की भांति काम करेगा और अन्य संगठनों के सहयोग से यह विशिष्ट जिन्सों के सम्बन्ध में बाजार सर्वेक्षण, बाजार के अध्ययन, उपभोक्ताओं की रुचि आदि का अध्ययन करेगी।

(ग) एक व्यापार केन्द्र मास्को में स्थापित करने का निश्चय कर लिया गया है और इसका संचालन राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा। अन्य व्यापार निगम खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री म० ला० स्वामी : इन केन्द्रों द्वारा किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : कुछ बातें विवरण में दी गई हैं। सामान्यतः इसमें सभी पारम्परिक वस्तुएं और कुछ अपारम्परिक वस्तुएं शामिल होंगी।

श्री म० ना० स्वामी : क्या अन्य देशों में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, शिकागो या अन्य किसी स्थान पर एक केन्द्र स्थापित करने का विचार है। यदि इसका काम ठीक रहा तो हम लेटिन अमरीका, अमरीका, पश्चिमी यूरोप या अन्य किसी स्थान पर एक या दो डिपो बनायेंगे।

श्री रामेश्वर टांटिया : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इससे हमारे निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा। क्या सरकार बीरट—जो एक व्यापार केन्द्र है—जैसे स्थानों पर भी इस प्रकार के केन्द्र खोलने पर विचार करेगी।

श्री मनुभाई शाह : बहुत अच्छे विचार हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : इसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और इस पर सरकार का किस प्रकार का और कितना नियंत्रण होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है।

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि इस एकक को अन्य संगठनों का सहयोग भी प्राप्त होगा और यह एकक बाजारों का सर्वेक्षण तथा उपभोक्ताओं के झुकाव आदि का अध्ययन करेगा। क्या यह सर्वेक्षण उन स्थानों पर किया जायेगा जहां केन्द्र मौजूद है अथवा इन स्थानों से हजारों मील दूर स्थित स्थानों पर किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : यह इस प्रकार होगा। रोटर्डम में हमारे विशेषज्ञों का एक दल होगा वह साम्यवादी देशों, पश्चिमी यूरोप और अफ्रीकी प्रदेश की उन मण्डियों का सर्वेक्षण करेंगे जहां केला सरलता से पहुंचाया जा सकता है। वह दल भारत में भी इस प्रकार के वस्तु सम्बन्धी सर्वेक्षण करेगा कि क्या ये वस्तुएं उपलब्ध हैं और यदि हां, तो क्या ये दीर्घ समय के लिये उपलब्ध हो सकती हैं।

डा० सारादीश राय : क्या रोटर्डम स्थित हमारा दल पश्चिम यूरोप में अच्छा कार्य कर सकेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां। निर्यात को बढ़ावा देने की सारी बातों पर इस दल का नियंत्रण नहीं है। यह तो एक अतिरिक्त उपाय है।

श्री अ० सिं० सहगल : भविष्य में किन किन स्थानों पर इस प्रकार की संस्थाएं खोली जायेंगी ?

श्री मनुभाई शाह : लगभग आधी दर्जन और, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं।

श्रीमती सावित्री निगम : जिन देशों को हम इंजीनियरिंग का सामान और मशीनें भेज रहे हैं, क्या उन देशों में सर्विस स्टेशन स्थापित किये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, कुछ स्थानों में हमने ये चालू कर दिये हैं। एक लाहौर में है एक रंगून में बर्मा में है, एक थाईलैंड में बैंकोक में और विभिन्न अन्य स्थानों पर भी।

पटसन प्रतिनिधि मण्डल

+
*266. { श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह पटसन प्रतिनिधिमण्डल जो मई, 1964 में भारत से इंगलैंड, अमरीका और कनाडा गया था, भारत वापस लौट आया है ; और

(ख) उस दौरे का क्या उद्देश्य था और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी): (क) जी, हां। वह प्रतिनिधि-मण्डल जून, 1964 में वापस आ गया था।

(ख) इस प्रतिनिधिमण्डल के दौरे का मुख्य उद्देश्य सद्भावना बनाये रखने तथा सम्पर्क बढ़ाने के साथ ही उत्तरी अमरीका के बाजार में भारतीय जूट के माल के सम्बन्ध में तत्स्थाने अध्ययन करना था। प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या इस प्रतिनिधिमण्डल को यहां पर जिस किस्म की पटसन पैदा की जाती है उसके विपरीत किसी बात का पता लगा और क्या किस्म को सुधारने के सम्बन्ध में प्रतिनिधि-मण्डल ने कोई सुझाव दिये हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : उसने विभिन्न सुझाव दिये हैं। प्रतिनिधिमण्डल का एक उद्देश्य किस्म के बारे में सुझाव प्राप्त करना था। उसके लिये उसने कुछ उपचारीय कार्यवाही सुझाई है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या उसने यहां की निर्मित वस्तुओं के बारे में कोई सिफारिश की है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : लागत का प्रश्न उसके कार्य-क्षेत्र में नहीं था। वह मण्डी से मुख्य रूप से सम्बन्धित था।

डा० सारादीश राय : इस प्रतिनिधि मण्डल पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे खेद है, मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

श्री शिव नारायण : इस प्रतिनिधिमण्डल में कौन कौन सदस्य हैं ? क्या इसमें कोई संसद् सदस्य भी था ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस प्रतिनिधिमण्डल में कोई संसद्-सदस्य नहीं था। इसमें नेता समेत पांच सदस्य थे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में हमारी पटसन की वस्तुओं के सम्बन्ध में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसका मुकाबला करने के लिये क्या कदम उठाये जायें, क्या यह प्रतिनिधि-मण्डल उसके बारे में कोई सुझाव दे रहा है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जी, हां । उसने विभिन्न सुझाव दिये हैं । पटसन के स्थान पर काम आने वाली पैकिंग सामग्री का पता लगाने के लिये भारी खोज की जा रही है । इस सम्बन्ध में प्रतिनिधिमण्डल ने अनेक सुझाव दिये हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा अपने पटसन के निर्यात को प्रोत्साहन दिये जाने के बावजूद भी पटसन की वस्तुओं का निर्यात 15 से 20 करोड़ रुपये तक बढ़ा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कारण यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में पटसन की पैदावार कम हुई है । अतः सदस्य का कहना ठीक है ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या इस प्रतिनिधिमण्डल को अपने दौरे में पटसन की कुछ ऐसी वस्तुओं का भी पता लगा है जो हमारे देश में नहीं बनाई जातीं और जिनकी खपत अधिक है और यदि हां, तो हमारे देश में भी पटसन से इन वस्तुओं को तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : उदाहरणार्थ सीमेंट को अब ज्यादातर कागज की थैलियों में पैक किया जाता है कि जब पहले इसके स्थान पर बोरियों को प्रयोग में लाया जाता था । इसी तरह चीनी की भी अब पॉलीथीन की थैलियों में पैक किया जाता है। पसटन के स्थान पर प्लास्टिक की पैकिंग की वस्तुएं ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है । इन सब मामलों पर अध्ययन किया जा रहा है ।

छोटी कार परियोजना

\+

*267. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम लागत वाली छोटी कार का निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) क्या इस समय उपलब्ध कारों का मूल्य कम करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ; और

(घ) क्या निर्यात सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है जिससे देश की कार निर्माण क्षमता में वृद्धि की जा सके ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सदन में 9 अगस्त, 1962 को सरकार का जो निर्णय बताया गया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). वर्तमान उत्पादन स्तर पर तथा पूर्ति और मांग के सम्बन्ध को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिये कारों के मूल्य में कोई विशेष कमी कर सकना सम्भव नहीं होगा क्योंकि उसमें शुल्क भी शामिल होते हैं । आगे चल कर काफी बचत करने की प्रमुख सम्भावना यही हो सकती है कि उत्पादन अधिकतम होने लगे । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये कुछ दूसरे उपायों की जांच भी की जा रही है ।

(घ) विद्यमान कार निर्माताओं को उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये अभी तक कोई सुविधायें नही दी गई हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने निर्माण के वर्तमान एककों में पूरी क्षमता पर काम न लिये जाने और मूल्यों के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है और क्या सरकार यह बात जानने के लिये तैयार है कि देश में निर्माण की 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता को उपयोग में नहीं लाया जाता और उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत से अधिक भाग के लिये सरकार द्वारा लगाये गये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर जिम्मेदार हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : उत्पादन क्षमता और उत्पादन पर बराबर जांच की जा रही है और हम उत्पादकों के साथ भी बराबर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री अ० प्र० जैन : केवल चर्चा ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मूल्य कम करने का केवल एक ही तरीका है और वह यह कि उत्पादन को बढ़ाया जाये । इस समय हमारे पास जो संयंत्र हैं उनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमन्, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या सरकार ने निष्कार्य क्षमता तथा मूल्यों के विभिन्न पहलुओं का कोई अध्ययन किया है अथवा करने का विचार है और क्या उत्पादन पर 50 प्रतिशत कर लगा रखे हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : श्रीमन्, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं । हमने प्रत्येक एकक को कारों की निश्चित संख्या बनाने के लिये लाइसेंस दिया हुआ है और इसलिये उनके पास सभी आवश्यक उपकरणों के होने की आशा की जाती थी । उत्पादन की उस निश्चित मात्रा के लिये उन्हें लाइसेंस केवल विदेशी मुद्रा के रूप में दिये जा रहे हैं ।

श्री प्र० प्र० जैन : यह तो कोई उत्तर नहीं है। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हां, उन दो बातों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है।

श्री त्रि० ना० सिंह : प्रश्न को टालने की कोई बात नहीं है। मैंने बता दिया है कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि 50 प्रतिशत निष्कार्य क्षमता है।

श्री प्र० प्र० जैन : आपको यह मानना पड़ेगा; ऐसा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह तथ्य है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इसको स्वीकार नहीं करते तो मैं उनको ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। मैं तो उन्हें केवल प्रश्न का उत्तर देने के लिये ही कह सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या उनके कहने का यह अर्थ है कि निष्कार्य क्षमता बिल्कुल नहीं है?

श्री त्रि० ना० सिंह : वास्तव में बात यह है कि हमारे विचार में जब तक बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं किया जाता, कारों की उत्पादन लागत में कमी होना संभव नहीं है। वे कारों की समस्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इसके लिये उनके पास उपकरण और संयंत्र नहीं हैं और जब उन सम्बद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जायेगा मूल्यों में कमी लाना सम्भव न होगा। मैं इसी बात को बता रहा था।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि यदि विदेशी मुद्रा की पर्याप्त मात्रा दे दी जाये तो कारों का उत्पादन 100 प्रतिशत बढ़ जायेगा और यदि सस्ते दामों पर कच्चा माल उपलब्ध करा दिया जाये तो देश में कारों का उत्पादन बढ़ जायेगा? बजाय इस के कि सरकार गोलमोल जवाब दे मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह स्पष्ट रूप से बतायें कि वे कौन सी बातें तथा विकल्प हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है।

श्री त्रि० ना० सिंह : यदि 'विदेशी मुद्रा' से अर्थ संयंत्र तथा मशीनरी आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा से है, तो अलबत्ता इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कच्चे माल के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री त्रि० ना० सिंह : यदि विदेशी मुद्रा से अर्थ कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक कच्चे माल से है, तो इसके लिये मेरा यही निवेदन है कि इन कारखानों को कारों की निश्चित संख्या बनाने के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं और आशा है कि वे उतनी कारें एक वर्ष में बना लेंगे और इसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा दी जा रही है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि आप उन्हें केवल प्रश्न का उत्तर देने के लिये कह सकते हैं। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि यदि निर्माण एककों को अपेक्षित विदेशी मुद्रा दे दी जाये तो क्या वे वर्तमान क्षमता से 100 प्रतिशत अधिक कारों का निर्माण कर सकते हैं। हम सीधा और स्पष्ट उत्तर चाहते हैं गोलमोल नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह परिकल्पनात्मक है।

Shri M. L. Dwivedi: Is it not a fact that in Germany, cars of better quality can be had for three thousand rupees each and in Tokyo they are available for three to four thousand rupees each. Even after paying the import duty, it should not cost more than seven to eight thousand rupees here. If so, what are the reasons for the indigenous car being sold at 16 to 17 thousand rupees ?

Shri T.N. Singh: There are many factors responsible for the high prices of cars here. If you permit I can explain them.

Shri M. L. Dwivedi: Why is the production less ? (*Interruptions*)

वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : और वह हंस भी रहे हैं ।

Shri Gulshan: Let him speak of the causes ? (*Interruptions*)

Mr. Speaker: The Minister knows that all the Members are prospective buyers.

श्री म० ला० द्विवेदी : समस्त देश भावी ग्राहक है ।

Shri T. N. Singh: If you permit I can explain the various causes ? The thing is like this that if no change is effected in the production capacity and manner of manufacture, no change is likely to occure in the cost of production. At this time parts are being imported while assembling is done in the country. Unless there is production of total assembly line, that is, of each line, and unless the production reaches about 50,000 units within the country, it is very difficult to achieve economy of scale.

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहना कहां तक सच है कि एक ओर तो कमी की हालत पैदा करने और दूसरी ओर मूल्य बढ़ाने के लिये स्वयं सरकार की नीति जिम्मेदार है, क्योंकि गत तीन वर्षों में निर्माताओं को, कारों के लिये जिन पुर्जों की आवश्यकता होती है, उन्हें उस मात्रा में आयात करने के लिये आज्ञा नहीं दी गई हैं जो मात्रा आरम्भ में मंजूर की गई थी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हमारी समस्या यह र कि आज कल कारों का उत्पादन मुख्यत: विदेशी पुर्जों के आयात पर आधारित है। सरकार की यह नीति रही है कि देश में ही कार के समस्त पुर्जों का निर्माण किया जाये, परन्तु इस कार्य के लिये कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है ।

उद्योग तथा संभरण मंत्री (श्री दासप्पा) : मुझे क्षमता के बारे में कुछ गलतफहमी मालूम होती है .....

श्री रघुनाथ सिंह : हम सस्ती कार चाहते हैं ।

श्री दासप्पा : बेकार पड़ी क्षमता के बारे में ऐसा मालूम होता है कि जो जानकारी सदस्यों को है वह गलत है । मैं आंकड़े बताता हूं : हिन्दुस्तान एम्बैसेडर कार—लाइसेंस क्षमता 10,000, 1960 में 9,199 कारें बनी; 1961 में 11,256 कारें बनीं; 1962 में 16,000 कारें बनीं। फिएट कारों की क्षमता 7,200 है ।

श्री अ० प्र० जैन : बेकार पड़ी क्षमता कितनी है ।

श्री दासप्पा : क्षमता मांग से कम है । (**अंतर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : बताया गया है कि कारखानों में जितनी कारों के बनाने को कहा गया हैं निर्माता अपने कारखानों में उतनी कारें बना रहे हैं। परन्तु माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी स्थापित क्षमता भी है जो बेकार पड़ी है। कारखानों के लक्ष्य कम बनाये गये हों तथा क्षमता बेकार पड़ी हो ।

श्री त्रि० ना० सिंह : ये थोड़ी बहुत हो सकती हैं । मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं कि यह 50 प्रतिशत है ।

श्री जी० भ० कुमालानी: बड़े ही दुःख की बात है कि कार के मूल्य के बारेमें सभा में इतना शोर है क्योंकि मूल्य बढ़ने के बारे में कोई इतना शोर नहीं मचाता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कारों के बारे में है।

श्री अ० प्र० जैन : यदि कार बनाने में लगे हुए तीनों कारखाने तीन शिफ्टों में काम करने लगें तो वर्ष में इनमें कितनी कारें बनने लगेंगी तथा यदि दो शिफ्टों में काम करने लगें तो कितनी कारें बनेंगी और इस समय उन में कितनी कारें बन रही हैं।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं विभिन्न कारखानों के उत्पातन आंकड़े बता सकता हूं। जुलाई, 1964 तक 8500 एम्बसेडर कारें, 2353 फिएट कारें तथा 1977 स्टैण्डर्ड कारें बनाई गयीं।

दो या तीन शिफ्ट के बारे में बताना संभव नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय मंत्री से आशा की जाती है वह समस्या का अध्ययन कर के आयें। इस प्रश्न की सूचना एक महीने पहले दी गई थी तब भी माननीय मंत्री अनजान बनते हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं माननीय मंत्री को पदच्युत कर दूं।

श्री नाथ पाई : आप उन की अवताड़ना कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अवताड़ना का कोई प्रश्न ही नहीं है। माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है। मेरा सुझाव है कि यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस पर बहस की मांग करें।

श्री अ० प्र० जैन : मैं ने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था। एक पूरा मंत्रालय है जिस में बहुत से अधिकारी हैं। यदि मंत्रालय को ही कोई जानकारी नहीं है कि वर्तमान कारखानों में कितनी कारें बन सकती हैं उस में दो या तीन शिफ्टों में काम हो, तो मैं यही कहूंगा कि माननीय मंत्री हम को बेवकूफ बना रहे हैं ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे अपना उत्तर पूरा नहीं करने दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर एक चर्चा करने की अनुमति दूंगा। अगला प्रश्न।

चितरंजन कारखाने में विद्युत् इंजन

+

*268. श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री गुलशन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में चितरंजन के रेलवे इंजन बनाने के कारखाने की विद्युत् इंजनों का उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3167/64]

श्री रा० गि० दुबे : इस समय देश की आवश्यकता कितनी है तथा वर्तमान उत्पादन से इस के कितना पूरा हो जाने की संभावना है ।

डा० राम सुभग सिंह : तीसरी योजना में देश की अतिरिक्त आवश्यकता लगभग 215 हैं तथा चौथी योजना में लगभग 612 बिजली के इंजनों की है।

श्री रा० गि० दुबे : विस्तार कार्यक्रम आरम्भ हो जाने पर उत्पादन किस सीमा तक बढ़ जायेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : इस समय उत्पादन 2 बिजली के इंजन प्रति माह हैं तथा तीसरी योजना के अन्त तक यह 6 इंजन प्रतिमाह हो जायगा और चौथी योजना में यह और बढ़ जायेगा ।

Shri Yashpal Singh : How many components are being imported and how many are being manufactured in Chitaranjan and where are we likely to achieve self-sufficiency ?

Dr. Fam Subhag Singh : Mostly we are importing and therefore the question of self-sufficiency does not arise.

Shri Yashpal Singh : How many components are being manufactured here ?

Dr. Ram Subhag Singh : We are importing about 60% components.

श्री बी० चं० शर्मा : क्या चितरंजन में बनाये जा रहे बिजली के इंजन भाप के इंजनों के समान ही अच्छी किस्म के है तथा यदि हां, तो किस्म का पता कैसे लगाया जाता है ?

डा० राम सुभग सिंह : विदेशों में चलाये जाने वाले बिजली के इंजनों के आधार पर किस्म का पता लगाया जा रहा है। अब तक हम ने 21 डी० सी० तथा 8 ए० सी० के इंजन बनाये हैं तथा यह विदेशों में बने बिजली के इंजनों के समान ही हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या देश में सभी रेलों को बिजली से चलाने के बारे में प्रावस्थाबाजित कार्यक्रम बनाया गया है तथा यदि हां, तो उस की अनुसूची क्या है ?

डा० रामसुभग सिंह : जी हां। एक प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम है। भाप से चलने वाले इंजनों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है और चौथी योजना के अन्त तक इन को पूर्णतः हटा दिया जायेगा तथा उस के बाद डीजल तथा बिजली के इंजनों से गाड़ियां चलाई जायेंगी

श्री प्र० प्र० शर्मा : क्या सरकार जानती है कि भाप के इंजनों के स्थान पर बिजली के इंजनों का प्रयोग बढ़ जाने के परिणामस्वरूप बहुत से कर्मचारी फालतू हो जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार बाहर से कर्मचरियों को भरती करने की बजाय इन्हीं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का प्रयत्न करेगी।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जायेगा।

Shri Gulshan : May I know whether a new Project had been started in Chitranjan ? If so, how many new locomotives if any, have been manufactured under that project.

Dr. Ram Subhag Singh : The original target fixed for the production of steam locomotives has been achieved. The target was for 168 but production is 172. In addition to that Rupees 220 lakhs have been allotted for the expansion of chitranjan and after that 72 electric locomotives will be manufactured every year. The final target is for the production of 150.

Shri Gulshan : I asked the number produced.

Dr. Ram Subhag Singh : I have already told two or three times that we have produced 21 D.C. and 9 A.C. Electric Locomotive.

Shri Tulsidas Jadhav : The Steam locomotives of Narrow gauge fail often and do not work properly. When are diesel engines likely to be introduced in their place ?

Dr. Ram Subhag Singh : Firstly we will introduce these engines on broad gauge and meter gauge, then on the narrow gauge.

Shri Y.S. Chaudhary : Is our requirement of electric engines fulfilled by the locomotives produced in Chitranjan.

Dr. Ram Subhag Singh : At present we are importing.

श्री र० वेंकटा सुब्बया : देश में निर्मित इंजनों के मूल्य तथा आयात किए गए इंजनों के मूल्य कितने कितने हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : आयात किए गए डी० सी० के इंजनों का मूल्य १२,५०,००० रुपये हैं तथा देश में निर्मित इंजन के मूल्य ११,३१,००० रुपये हैं। आयात किए गए ए० सी० इंजन के मूल्य १२,८७,००० रुपये है तथा चितरंजन में निर्मित इजन के मूल्य १२,५०,००० रुपये है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Hon. Minister just told that the use of steam locomotives is to be gradually discontinued. May I know when the process of replacing them by electric and diesel locomotives is going to be completed.

Dr. Ram Subhag Singh : I think mostly electric and diesel locomotives will start running on the railways by the end of the fourth five year plan. As the plan is still under consideration, it is not possible for me to tell the exact time when the work will be finished.

श्री श० मा० चतुर्वेदी : देश में डी० सी० तथा ए० सी० दोनों प्रकार के इंजन मंगाने के क्या लाभ हैं ? क्या इससे कोई कठिनाई नहीं होगी ।

डा० राम सुभग सिंह : अब हम डी० सी० इंजन बनाना नहीं चाहते हैं । अभी ए० सी० इंजन बनाने का प्रस्ताव है ।

हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

*269 { श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी व्यापार संस्था ने हाल ही में नई दिल्ली में "हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात" पर एक गोष्ठी आयोजित की थी जिस से कि हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन और विपणन की समस्याओं को हल करने के मार्गोपायों का पता लगाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात व्यापार में अपेक्षित सुधार करने के लिये इस गोष्ठी में क्या निर्णय लिये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) गोष्ठी ने अनेक सिफारिशें की हैं । एक विवरण, जिस में प्रमुख सिफारिशें हैं, सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3169/64।]

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : गोष्ठी में की गई सिफारिशों की विस्तृत सूची विवरण में दी गई है । सरकार ने इन सिफारिशों में से कितनी तुरन्त क्रियान्विति के लिये स्वीकार कर ली है ।

श्री मनुभाई शाह : वे विचाराधीन हैं । मैं गोष्ठी में उपस्थित नहीं था । परन्तु समझता हूं कि सरकार अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लेगी । परन्तु उन पर अन्तर मंत्रालय बैठकों में विचार हो रहा है ।

सुरेन्द्रपाल सिंह : इस दृष्टिकोण से कि हथकरघे घी वस्तुयें हमारे विदेशी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप हों क्या इतने डिजाइन आदि के बारे में कुछ विदेशी विशषज्ञों का परामर्श लिया गया है ।

श्री मनुभाई शाह : यह बड़ा अच्छा विचार है परन्तु हम ने औद्योगिक डिजायन संस्था बनाई हुई है । उसमें बहुत से विशेषज्ञ हैं जो हमको डिजाइन आदि बताते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ नेशनल कार्य विदेशी ग्राहकों से सम्पर्क बनाए हुए हैं । और वे अपने विशेषज्ञ लाते हैं । इस लिये विदेशी विशेषज्ञों के आमंत्रण तथा नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंहका : क्या माननीय मंत्री को विभिन्न केन्द्रों में "शो रूम" खोलने के औचित्य को जानते हैं ।

श्री मनुभाई शाह : जी हां ।

डा० सरोजिनी महिषी : हाल के वर्षों में किन विदेशों में हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री होती है ।

श्री मनुभाई शाह : हथकरघे के कपड़ों के बारे में सब को जानकारी है । परन्तु अन्य प्रकार के कपड़े तथा हाथी दांत की वस्तुयें भी हैं । न्यूयार्क के विश्व मेले में "सरना बैल" बहुत बिक रही है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहली बार इस वस्तु का नाम सुना है ।

श्रीमती रेणुकाराय : विवरण के भाग (६) में बताया गया है : —

"विदेशों में पैकिंग तथा पैकेजिंग के बदलते हुए रूपों के संबंध में गहन गवेषणा करने के लिये सरकार द्वारा पैकिंग तथा पैकेजिंग की एक भारतीय संस्था की स्थापना के प्रस्ताव का गोष्ठी द्वारा स्वागत किया गया ।"

भारत सरकार को भी इस के बारे में कुछ करना चाहिये । मैं जानना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जा रहा है तथा क्या कदम उठाये गये हैं ।

श्री मनुभाई शाह : जी हां । मद्रास में एक केंद्रीय राष्ट्रीय पैकेजिंग संस्था स्थापित की जा रही है तथा स्विस सरकार तथा अन्य देश हम को आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग दे रहे हैं ।

East-West Pakistan Rail Link through India

+

*270. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1369 regarding East-West Pakistan Rail Link through India on the 10th December, 1963 and state the stage at which the matter stands at present ?

The Minister of State in the Ministry of railways (Dr. Ram Subhag Singh): There is no change in the position as given in the answer to Unstarred Question No. 1369 on 10-12-63.

Shri Prakash Vir Shastri : Why is this question under consideration for such a long time and why has no decision yet been taken on it ?

Dr. Ram Subhag Singh : We have to consider many questions of National interest. Therefore it was considered desirable to keep i tas it is.

Shri Prakash Vir Shastri : Sometime back ex-Railway minister Shri Jagjiwan Ram speaking on Railway Budget agreed with the view expressed in the House that in further negotiations with Pakistan, the question of the

Pakistani Railway running through Indian territory will be dropped forever. He gave an assurance to this effect to the House. Now in view of the existing relations between India and Pakistan and in view of the spying activities by Pakistan, why has this proposal not been dropped for good.

Dr. Ram Subhag Singh : We will accept the assurance given by Shri Jagjiwan Ram.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was that when one Railway Minister assured that a decision will be taken as early as possible then why has a decision not been taken uptil now ?

Mr. Speaker : He replied that this is a matter of policy and it cannot be replied in a answer to a question. But he also says that he will honour the assurance given by Shri Jagjiwan Ram.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: We all know that a former never gives any passage through his fields. Since its inception Pakistan has not been behaving properly. In view of this why has this question of linking two parts of Pakistan through India been kept under consideration at all ?

Dr. Ram Subhag Singh : There is no such suggestion.

Shri Yashpal Singh : After the creation of Pakistan when our Railways terminated at Amritsar there was espionage at such a vast scale, but since the extension of our Railway services to Lahore, espionage activities have increased. What action is being taken in this regard.

Dr. Ram Subhag Singh : We will look into this.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि यदि पूर्व तथा पश्चिम पाकिस्तान को मिलाने वाला भारत होकर रेल सम्पर्क स्थापित करने की मांग स्वीकार कर ली गई तो क्या स्वर्गीय जिन्ना की रास्ता लेने की मांग स्वीकार नहीं कर ली जायेगी तथा यदि हां, तो सरकार ने उनको 'न' कहने का निर्णय लेने में इतना विलम्ब क्यों लगाया ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल): यह नीति का एक बड़ा प्रश्न है और जैसा कि मेरे सहयोगी ने ठीक ही कहा है, प्रश्नोत्तर में उसकी चर्चा नहीं की जा सकती । मैं कह सकता हूं कि सरकार यह भली भांति जानती है कि क्या हो रहा है और कौन सा काम व्यावहारिक है। यह व्यक्त किये गये भावों के विपरीत नहीं है।

श्री बसुमतारी : अभी हाल में श्री जगजीवन राम के वक्तव्य का उल्लेख किया गया था। वह आश्वासन क्या था ? क्या उसमें शीघ्रता की जायेगी या वह समाप्त कर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह वादविवाद देख सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पूर्वी क्षेत्र में त्रिपुरा राज्य चारों ओर पाकिस्तान से घिरा हुआ है। इस बात को देखते हुए जब हम इस प्रकार के कार्यों की चर्चा करते हैं तो क्या ऐसे स्थानों पर अपने व्यापार और यात्रा की सुविधा के लिए हम उनसे कहेंगे ?

श्री स० का० पाटिल : इस स्थिति को देखते हुए कि हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के बीच शीघ्र ही बातचीत होने वाली है, इस प्रश्न पर और अधिक चर्चा करना उचित नहीं होगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में तथा विपक्ष में काफी अधिक सुझाव सरकार के पास आते हैं ? क्या उनपर विचार किया जा रहा है या बाद में विचार किया जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : उन पर विचार किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार और माननीय सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या कहा जाय और किस समय कहा जाय यह नीति का मामला है जो सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : भारत से होकर इस श्रृंखला से पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संचार सहूलियत हो सकती है और साथ ही हमारे देश में राजनैतिक प्रवेश भी सरल हो सकता है। क्या सरकार ने हमारे देश में राजनैतिक प्रवेश की समस्या के इस पहलू पर विचार किया है और क्या इस विशिष्ट पहलू की चर्चा प्रधान मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में की जायगी ?

श्री स० का० पाटिल : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। माननीय सदस्य यह किस प्रकार आशा करते हैं कि सरकार उसकी अपेक्षा करेगी।

श्री हेम बरुआ : इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आशंका नहीं होनी चाहिये। सरकार इसे जानती है।

Shri Bhanu Prakash Singh : Are Pakistan's terms standing in the way of our taking a final decision in this respect ?

Shri S.K. Patil : There is nothing as such in this respect. Negotiations are going on at present and reply would be given at the opportune time.

Shri Bhanu Prakash Singh : Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied to.

Mr. Speaker : At any other time.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के बीच रेलगाड़ियों में क्या हम अधिक अच्छे डिब्बे नहीं लगा सकते ? मौजूदा डिब्बे बहुत ही खराब हैं ?

डा० राम सुभग सिंह: बोनगांव और बेनापोल के बीच और रानीघाट और दरसाना के बीच हमारी लाइनें बराबर सुधारी जा रही हैं और यदि माननीय सदस्य का कोई सुझाव होगा तो हम उसकी छानबीन करेंगे।

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार

\+

271. श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बे० ना० कुरील :
श्री दे० जी० नायक :
श्री गुलशन :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार रूस सरकार के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया. । देखिये संख्या एल.टी. –3168/64] ।

Shri Bishan Chander Seth : May I know the extent of increase in production that would result from the expansion of Bhilai Steel Plant and what would be the investment in it ?

श्री संजीव रेड्डी : तीसरी योजना के अधीन 25 लाख मेट्रिक टन का विस्तार करने का विचार है। उसके विस्तार की लागत 177 करोड़ रुपये होगा।

Shri Bishan Chander Seth : Would it be constructed on behalf of Government or in the private sector ?

श्री संजीव रेड्डी : गैर-सरकारी क्षेत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। वह सरकारी क्षेत्र की संस्था है।

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister has stated in this august house that we had to pay Rs. 32 lakhs as demurrage for not getting released the goods imported from Russia. Now this expansion can take place only when this demurrage is avoided. May I know what measures Government have taken to avoid the payment of demurrage in future ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं नहीं जानता कि कोई हरजाना है। वह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री रामेश्वर टांटिया : विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा और इस परियोजना में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

श्री संजीव रेड्डी : अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक विस्तार पूरा हो जायगा और विदेशी मुद्रा 68 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

श्रीमत रेणु चक्रवर्ती : क्या इस विस्तार में हम भारतीय मशीनों और पुर्जों को जो हानियां, रांची में तैयार किये जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं?

श्री संजीव रेड्डी : जहां तक संभव है हम उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रांची में तैयार की गयी चीजों का इस्तेमाल हम भावी विस्तार कार्यक्रम में ही कर सकेंगे। फिलहाल रांची में इस विस्तार के लिए अधिक कुछ नहीं किया जा रहा है।

Shri Gulshan : May I know whether steel requirements of the country would be fulfilled by the expansion of Bhilai Steel Plant ?

श्री संजीव रेड्डी : देश की आवश्यकता बढ़ती रहेगी। इन सभी इस्पात कारखानों में अधिक उत्पादन होने पर भी हमारी मांग बनी रहेगी।

श्री नम्बियार : जब सोवियत रूस और भारत के बीच विनिमय समझौता रुपया विनिमय में है तब 68 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा क्यों खर्च की जाये ?

श्री संजीव रेड्डी : जो मशीनें और अन्य चीजें रूस से मंगायी जा रही हैं उन्हें शायद हिसाब में लिया गया है।

श्री दे० जी० नायक : भिलाई परियोजना के विस्तार से अन्त में कितनी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता होगी ?

श्री संजीव रेड्डी : तीसरी योजना में 10 लाख मेट्रिक टन से 25 लाख मेट्रिक टन तक।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विवरण में यह कहा गया है कि इस्पात बनाने की सुविधाओं के संबंध में परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार करनी है। वह कब तक तैयार हो जायगी और क्या वह तैयार होते ही उसकी प्रति सभा पटल पर रख दी जायगी ?

श्री संजीव रेड्डी : इस समय मैं नहीं बता सकता। मैं समझता हूं कि भावी विस्तार योजना में अर्थात चौथी योजना में हम उसे कर सकेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात बनाने की सुविधाओं पर रूसी विशेषज्ञ या भारतीय विशेषज्ञ या दोनों की एक समिति विचार कर रही है और कब तक यह रिपोर्ट तैयार हो जायगी ?

श्री संजीव रेड्डी : भिलाई में हमारी तकनीकी लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहां हमारा एक डिजाइन विभाग है। रूसी विशेषज्ञों की मदद से हमारे लोग वह कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhaivaiya : The hon. Minister has stated that on account of this expansion, the production in this factory would be increased sufficiently. As a result of this increased production, would the goods manufactured there be available to public at cheaper prices ?

Mr. Speaker : It is a different question.

श्री संजीव रेड्डी : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

आस्ट्रिया को चाय का निर्यात

272. **श्री प्र० चं० बरुआ** । क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया को सरकार ने चाय पर से आयात शुल्क हटा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस देश को चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां, थोक वाली चाय पर से ।

(ख) चाय बोर्ड आस्ट्रिया में एक संवर्धन अभियान चलाने जा रहा है जिसमें (1) डिपार्टमेंट स्टोरों के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिये नमूने की चाय का कार्यक्रम तथा (2) भारतीय चाय के प्रचार के लिये आस्ट्रिया के काफी तथा चाय आयातकर्ता संघ से की गई व्यवस्था शामिल है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या उत्पादन-शुल्क की यह समाप्ति व्यापार तथा तटकर सम्मेलन की नीति के अनुसार थी ; यदि हां, तो यह अन्तर्तटकर समाप्त करने या कम करने में किन अन्य देशों ने अनुकरण किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : व्यापार तथा तटकर के सामान्य करार 23 देशों में से जिन्होंने भारत की, श्रीलंका की तथा सभी चाय पर आयात शुल्क लगाया था, 18 देशों ने उसे हटा दिया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : जून, 1964 से पहले उस देश में आयात शुल्क कितना था और उस देश के लिए भारतीय चाय का हमारा निर्यात कितना था ?

श्री मनुभाई शाह : उनका प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है । यदि वह आस्ट्रिया के बारे में आंकड़े जानना चाहते हों तो हम दे सकते हैं । प्रत्येक देश के लिए वह अलग अलग हैं । मैं सभी 23 देशों के संबंध में आंकड़े बताने वाली सूची मैं आपके सामने रख सकता हूं ।

श्रीमती अक्कम्मा देवी : इस बात को देखते हुए कि ऊंचे किस्म की चाय के उत्पादन के लिए नीलगिरी की जलवायु अत्यधिक उपयुक्त है और यहां के अधिकतम उत्पादक छोटे उत्पादक हैं, क्या सरकार उन्हें प्रोत्साहन के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता देगी जिससे कि वे अच्छी चाय का अधिकतम उत्पादन कर सकें और निर्यात व्यापार बढ़ा सकें ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हमें छोटे उत्पादकों के लिए पूरी सहानुभूति है और हम उन्हें सभी मदद देंगे ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : हम रुपया चाहते हैं ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : वह भी मिलेगा ?

श्री भागवत झा आजाद : आस्ट्रिया को निर्यात बढ़ाने के लिए फिलहाल जो उपाय किये जा रहे हैं उसके अलावा इस समय हमारा निर्यात कितना है और उन उपायों के बाद सरकारी अनुमान के अनुसार निर्यात संभवतः कितना बढ़ जायगा।

श्री मनुभाई शाह : आस्ट्रिया भेजे जाने वाली चाय का 50 प्रतिशत भारत से जाता है और बाकी श्रीलंका तथा केनिया से । अब शुल्क उहटा दिये जाने के कारण उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमने कुछ समय पहले एक विशेष चाय सलाहकार नियुक्त किया है। उसने चार डीपू खोले हैं। भारतीय चाय के प्रचार के लिए चाय बोर्ड से संबद्ध विभिन्न प्रकार के जलपान गृहों को भी हम चालू कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि कुछ देश हमारी चाय मंगाकर दूसरे देशों को निर्यात करते हैं; यदि हां, तो उन देशों को सीधे अपनी चाय भेजने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री से० वे० राम स्वामी : उसका एक इतिहास है ।

वायदा व्यापार

273. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनियंत्रित वस्तुओं का वायदा व्यापार विनियमित करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ;

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 1 जून, 1964 से नीचे लिखी अनियंत्रित वस्तुओं के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिन का नियंत्रित वस्तुओं का अवैद्य व्यापार करने में दुरुपयोग किया जा रहा था ; मेथी, धनिया, तिल की खली, सरसों की खली, बिनौले की खली, सौंफ, अरहर चुनी तथा मूंग चुनी।

श्री श्रीनारायण दास : किन परिस्थितियों में इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में उन पर हमेशा ही प्रतिबन्ध होता लेकिन वे सीमित व्यापार करते थे। अब हमने उसे अवैध घोषित किया है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या कुछ आवश्यक वस्तुओं के वायदा व्यापार से हमारे अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं; यदि हां, तो इन सभी वस्तुओं का वायदा व्यापार सरकार ने क्यों नहीं रोका ?

श्री मनुभाई शाह : पहले तो माननीय सदस्य की धारणा गलत है। किसी भी अनाज का वायदा व्यापार करने की अनुमति नहीं है। केवल तिलहन में उस व्यापार की अनुमति है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा यह कहना है कि अनाज की कीमतों ऊंची होने का एक कारण यह है कि कुछ वस्तुओं का वायदा व्यापार होता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार वायादा व्यापार पर पूरी तरह पाबन्दी लगाने में क्यों असमर्थ रही।

श्री मनुभाई शाह : यह कहना गलत है कि वायदा व्यापार से कीमतें बढ़ती हैं। वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि वस्तुओं की सप्लाई बहुत ही कम हो तो कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है लेकिन सामान्यतया लंबी अवधि में उससे कीमतें स्थिर हो जाती हैं और कई मामलों में कीमतें गिर भी जाती हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : माननीय मंत्री द्वारा बतायी गयी वस्तुओं को उत्पादक सामान्यतया व्यापारिक फसल मानते हैं। अब चूंकि वायदा व्यापार पर रोक लगा दी गयी है क्या इन वस्तुओं के उत्पादकों को ऋण के रूप में सहायता दी जा रही है :

श्री मनुभाई शाह : रिजर्व बैंक वह कर रहा है और प्राथमिक उत्पादक ने उस ऋण से काफी फायदा उठाया है।

Shri Achal Singh : Forward trading in foodgrains and oil cakes is very harmful. Is Government ready to stop it for good ?

Shri Manubhai Shah : Forward trading in foodgrains is banned.

कोयला उत्पादन सम्बन्धी सम्मेलन

\+

*274 **श्री सोलंकी :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में कलकत्ते में कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में कोयला उत्पादन के लक्ष्यों की जिन बड़ी योजनाओं पर चर्चा की गयी थी उन की रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई अन्तिम निश्चय किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) जी हां। कोयला उद्योग को सूचित किया गया था कि चालू योजना के शेष दो वर्षों में उन्हें कितनी मात्रा तक कोयले का उत्पादन करना होगा जिस से कि 1963–64 वर्ष में खपत हुए कोयले के स्तर से अतिरिक्त मांग पूरी हो सके। उद्योग को चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक कोयले की सम्भावित मांग तथा ऊपरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सामयिक उत्पादन प्रोग्राम के बारे में कोयला योजना ग्रुप के विचारों से भी अवगत कराया गया था।

(ग) जी नहीं । चौथी योजना के कोयले के प्रोग्राम के बारे में अभी निर्णय करने बाकी हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या चौथी योजना के लिए विस्तार कार्यक्रम के लक्ष्य की कोई रूप-रेखा निश्चित की गयी है, यदि हां, तो विभिन्न कार्यकारी दलों की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : अस्थायी लक्ष्य निश्चित किये गये हैं लेकिन उन पर आगे चर्चा करनी होगी । तभी अन्तिम निश्चय किये जा सकेंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या हम चौथी योजना में देश की आवश्यकता पूरी करने के बाद कुछ कोयला निर्यात कर सकेंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : थोड़ी मात्रा में तो अब भी निर्यात किया जाता है । लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी मांग पूरी करनी होगी और उसके बाद ही हम निर्यात के बारे में सोच सकते हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि हमारा वर्तमान उत्पादन देश की मांग से अधिक है । और यदि हां, तो क्या सरकार तीसरी योजना की शेष अवधि के लिए उत्पादन लक्ष्य में परिवर्तन करने के बारे में सोच रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : हमेशा ही ऐसा नहीं होता । केवल निम्न श्रेणी के कोयले के संबंध में ही इस समय कुछ अतिरिक्त है । हम यह न मान लें कि काफी अधिक अतिरिक्त है । केवल एक महीने का उत्पादन बेकार पड़ा है । इसलिये हमें लक्ष्य घटाने नहीं चाहिये । फिर भी लक्ष्य में कुछ परिवर्तन भी किया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को देखते हुए कि तीसरी योजना में कोयला उत्पादन के लक्ष्य कई बार बदले गये हैं क्या इस सम्मेलन ने एसा कोई निश्चय किया है कि तीसरी योजना की अवधि में लक्ष्यों में अब कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ?

श्री संजीव रेड्डी : यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि निचले दर्जे का कोयला ही अतिरिक्त है । कोकिंग कोयला और मिश्रया योग्य कोयला आवश्यक है और हमें उन का उत्पादन बढ़ाते रहना होगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that the main cause for obstructing the increase in production is the prevalance of contract system even today ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं नहीं जानता कि उस से कहां तक स्थिति सुधरेगी । वर्तमान स्थिति में हम गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में भी उत्पादन कर सके हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

(Written Answers to Questions)

ग्रेट ब्रिटेन में तकनीकी प्रशिक्षण

275. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में लगाये गये नये संयंत्र को चलाने और

उसकी देखभाल करने के विषय में ब्रिटेन में भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए ब्रिटेन के तकनीकी सहकारिता विभाग से पिछले 12 महीनों में प्रार्थना की गयी;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने भारतीय इस्पात कर्मचारियों को ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या भारतीय इंजीनियरिंग विशेषज्ञों को भी दुर्गापुर के प्रमुख निर्माण इंजीनियर की सहायता करने के योग्य बनाने के लिए ब्रिटन में प्रशिक्षण दिया गया है; और

(घ) क्या बोकारो में नियुक्त किये जाने वाले भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) दिसम्बर, 1963 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में ब्रिटेन में 107 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

(ग) प्रमुख इंजीनियर के अधीन निर्माण प्रभाग के इंजीनियर ब्रिटेन में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजें गए । इंजीनियरों को अधिकतर संचालन और संभरण के कामों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा जाता है । कारखाना चालू होने तक वापस हुए प्रशिक्षित इंजीनियरों में से कुछ इंजीनियर निर्माण कार्य में सहायता करने के लिये लगाए गए थे ।

(घ) जी हां, बोकारो स्टील ने बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० के साथ संयुक्त प्राथमिक प्रबन्ध कर लिए हैं ।

इस्पात का मूल्य

276. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई अनियंत्रित श्रेणियों का इस्पात बम्बई, पंजाब और दूसरी जगहों पर संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक ऊंचे मूल्यों पर बिक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विनियंत्रण का उद्देश्य अर्थात् चोरबाजारी को रोकना, वस्तुतः निष्फल रहा है; और

(ग) क्या संयुक्त संयंत्र समिति की दरों को प्रभावी रूप में लागू करने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त करने की कोई योजना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा घोषित मूल्य केवल प्रमुख उत्पादकों द्वारा सीधे भेजे गए माल पर लागू होते हैं । इन मूल मूल्यों में साइज और क्वालिटी के लिये कुछ खर्चे तथा विक्रय-कर जोड़े जाते हैं । स्टाकिस्टों से लिए गए माल पर स्टाकिस्टों का पारिश्रमिक और पुनर्वेल्लनों के पदार्थों पर भाड़ा तत्व को जोड़ा जाता है । अतः बाजार

भाव संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों से कुछ ऊंचे होंगे : कुछ किस्मों के मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों से नीच गिर गए हैं । सामान्यत: अनियंत्रित किस्मों की प्रदाय स्थिति अच्छी है और मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है अत: विनियंत्रण का मुख्य उद्देश्य विफल नहीं रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

सीमेंट

277. **श्री हेम राज :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63, 1963—64 में तथा 1964 की दूसरी तिमाही में देश में कितने सीमेंट का उत्पादन हुआ था, तथा इस अवधि में कितना सीमेंट निर्यात किया गया; और

(ख) देश की सीमेंट की आवश्यकता क्या है तथा देश में इस की कितनी कमी है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क)

सीमेंट का उत्पादन	**मी० टन**
1962—63	8,850,000
1963—64	9,425,000
अप्रैल-जून, 1964	2,320,000
सीमेंट का निर्यात	
1962—63	42,000
1963—64	71,000

(आंकड़े निकटतम हजार मीट्रिक टन के आस पास हैं ।)

अप्रैल, 1964 में 7416 मी० टन सीमेंट का निर्यात किया गया था; मई और जून, 1964 के महीनों में बिल्कुल निर्यात नहीं हुआ ।

(ख) देश में सीमेंट की मांग और उस से उपलब्ध पूर्ति में अभी काफी अन्तर है । वर्तमान कमी का अनुमान 20 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष के आस-पास लगाया गया है ।

Aluminium Plant in Mysore

*278. **Shri Basappa :**
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Dhaon :
Shri B.P. Yadava :
Shri Bishan Chander Seth :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 191 on the 14th February, 1964 and state :

(a) whether the Central Government have since issued a licence for the setting up of an aluminium plant in Mysore State and for the establishment of a new aluminium rolling mill in Maharashtra State ; and

(b) if so, the capacity of each of these two units and the estimated capital investment in the project ?

The Minister of Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy) : (a) and (b). A "letter of intent" has been issued to the Indian Aluminium Company Ltd., Calcutta, a firm in the private sector, for the establishment of a 30,000 tonnes per annum aluminium smelter in Mysore State and a 13,000 tonnes per annum new aluminium rolling mill in Maharashtra State. The cost of the scheme is estimated at about Rs. 22·3 crores (Rs. 15·8 crores for the smelter and Rs. 6·5 crores for the rolling mill).

Grainshops for the Railway Employees

*279. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Ministr of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry is considering the question of opening grainshops for its employees like those run prior to 1949 ; and

(b) if so, when these shops are likely to be opened ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र इस्पात कारखाने के कर्मचारी

280. **श्री कर्णी सिंह जी :**
श्री गुलशन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के भिलाई, रूरकेला तथा दुर्गापुर के तीनों कारखानों में यदि इन की पूर्ण क्षमता की तुलना की जाये तो 20,000 से भी अधिक फालतू कर्मचारी नियुक्त हैं और ये कारखाने अभी अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे है; और

(ख) अमरीका तथा ब्रिटेन के इतनी क्षमता वाले कारखानों में भी क्या इतने ही कर्मचारी नियुक्त हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). भिलाई कारखाने में पूर्ण निर्धारित क्षमता पर उत्पादन हो रहा है और हाल में दुर्गापुर भी इस के निकट पहुंच गया है। राउरकेला कुछ पीछे है परन्तु उस के शीघ्र ही पूर्ण उत्पादन क्षमता तक पहुंच जाने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में कुछ फालतू कर्मचारी हैं। फालतू कर्मचारियों की ठीक ठीक संख्या मालूम करने के लिये स्थिति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। कर्मचारियों की आवश्यकताओं को निर्धारित करते समय अमरीका और ब्रिटेन में इतनी क्षमता के इस्पात कारखानों के कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखा जायगा।

दूसरा खनन मशीनी का कारखाना

*281. **श्री रामचन्द्र उलका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड की सरकार की सहायता से स्थापित होने वाले दूसरे खनन मशीनी कारखाने को स्थापित करने के स्थान के सम्बन्ध में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे पैमाने के उद्योग

*282. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों को समानरूप से कच्चा माल वितरित करने के लिये एक समिति स्थापित कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं और इसके कृत्य क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3170/64**]

भारी कम्प्रेशर्स तथा पम्प परियोजना

283. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :

क्या उद्योग तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित भारी कम्प्रैशर्स तथा पम्प परियोजना स्थापित करने के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कहां पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के किसी स्थान के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

उद्योग तथा मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). अभी नहीं, श्रीमान । स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सुझाव दिये गये तीन स्थानों अर्थात् चम्पा (कोरबा, जिला बिलासपुर के निकट), सेननाथ (ग्राम निपनिया तहसील बिलासपुर के निकट), तथा रायगढ़ पर अन्य राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किये गये स्थानों के साथ साथ विचार किया जा रहा है ।

Steam Engines at Chittaranjan

*284. **Shri Raghunath Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railways have decided to stop manufacture of steam engines at Chittaranjan by the end of the Fourth Plan ;

(b) the number of engines produced during the last 8 years and target for the next 7 years ; and

(c) whether Government have considered the impact of change-over on the requirement of oil and electricity ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) While it is too early to take an exact and final decision, planning is proceeding on the basis that when necessary facilities are fully established for the manufacture of the more modern and efficient types of traction, *viz.* electric and diesel locomotives, which are required for handling the intense traffic of the trunk routes and also offer the maximum economy to the nation, production will increasingly concentrate on such diesel and electric locomotives. The manufacture of steam locomotives at Chittaranjan may be tapered off gradually as and when the Indian Railways are able to :

(i) switch over the production facilities at Chittaranjan to the manufacture of electric locomotives and equipment for them and other desired and appropriate purposes ; and

(ii) step up the production of electric and diesel locomotives to the level necessary to meet all needs, keeping in view the availability of diesel oil and electric power.

(b) During the lat 8 years, *i.e.*, 1956-57 to 1963-64, 1343 Broad Gauge Steam locomotives were produced at Chittaranjan.

In the next two years of the Third Plan, *i.e.* 1964-65 and 1965-66, about 310 Broad Gauge Steam locos are planned to be produced at Chittaranjan.

The target for the Fourth Five Year Plan is under consideration and will be finalised after the national plan has been drawn up.

(c) Government are aware of the implications of the change over from steam traction to other modes of traction on the Railways' demand for diesel oil and electrical energy.

फलों तथा फलों के रस का निर्यात

*285. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में फलों तथा फलों के रस के निर्यात के लिये रूस से करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं तथा करार के अन्तर्गत अनुमानत: कितने मूल्य के फल तथा फलों के रस का निर्यात होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम ने रूस की फल उत्पादों का आयात तथा निर्यात करने वाली एक संस्था बी०ओ० प्रोडिन्टोर्ग को 12 लाख रुपये के मूल्य के आम के रस का सम्भरण करने के लिए एक समझौता किया है। 31 अक्टूबर, 1964 को समाप्त होने वाली तीन महीनों की अवधि के अन्दर उन्हें माल दिया जाना है ।

Palana Lignite Mines (Rajasthan)

*286. **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Karni Singhji :
Shri P. K. Deo :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to tate :

(a) at what stage of working are the Palana Lignite Mines at present ;

(b) whether it is a fact that the Russian experts have drawn up a Project report for the development of these mines ;

(c) whether it is also a fact that it has been decided to purchase Russian equipment for the exploitation of these mines ; and

(d) if so, the particulars of equipment to be purchased and the cost to be incurred therefor ?

The Minister of Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy) : (a) There is no production of lignite at present. The Rajasthan Government are considering the possibility of mining lignite both by open-cast and underground methods.

(b) No. Sir.
(c) No. Sir.
(d) Does not arise.

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से व्यापार

*287. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही राज्य व्यापार निगम के सभापति ने दक्षिण-पूर्व एशियाई

देशों का उन देशों से औद्योगिक तथा व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने की संभावनाओं की खोज करने के विचार से दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियां क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या विशिष्ट सिफारिशें की हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष अपने नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल भारत से नमक के निर्यात को प्रोत्साहित करने के मुख्य उद्देश्य से जापान और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में ले गये थे। फिलिपाइन, मलेशिया और थाईलैंड के साथ व्यापारिक और औद्योगिक सम्बन्धों का विकास करने की सम्भावनाओं की छानबीन करने के लिये भी इस अवसर का लाभ उठाया गया था।

(ख) विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है जिसमें इन देशों से लौटने के बाद अध्यक्ष द्वारा प्रकट किये गये विचारों का सार दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3171/64।]

Enquiry against a Railway Official

*288. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstared Question No. 308-V on the 2nd June, 1964 and state :

(a) what action has been taken against the official concerned of Delhi Main Station as a result of investigation against him by the Special Police Establishment ;

(b) the amount of money recovered from him ; and

(c) whether the same employee was awarded a prize of Rs. 500 this year by the Ministry of Railways ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The departmental action is still in progress

(b) The nature of the charges, *viz.* possession of disproportionate assets etc., as brought out by the Special Police Establishment, does not involve the question of any money recoveries being made from the Official concerned.

(c) Yes.

Heavy Electricals Factory, Bhopal

*289. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a 'go-slow' strike was resorted to in the Heavy Electricals Factory, Bhopal ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the loss caused to the factory as a result of this 'go-slow' strike ?

The Minister of Heavy Engineering in the Ministry of Indutry and Supply (Shri T.N. Singh) : (a) There was a 'go-slow' strike and temporary stoppage of work in some sections of the Heavy Electricals Factory, Bhopal on the 13th and 14th August, 1964.

(b) Strike was resorted to as some rumours alleging mass arrests of workers of the factory were spread by irresponsible elements.

(c) Loss has not yet been estimated.

छोटे पैमाने के उद्योग

*290. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1962 से मार्च, 1963 की अवधि में देशी इस्पात के छोटे पैमाने के उद्योगों के कोटे में ठंडी लिपटी हुई काली प्लेन चादरों के राज्यवार आवंटन में समायोजन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया था ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-172/64**]

Textile Mills

808. Shri Bagri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the total number of textile mills in the country alongwith the quantity of cloth produced there yearly ; and

(b) the total number of employees working in those mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S.V. Ramaswamy) :

Number of composite textile mills as on :		Quantity of cloth produced during (in million metres)	
1-1-1961	287	1961	4701
1-1-1962	285	1962	4560
1-1-1963	287	1963	4423

(b) End of :

1961	8·07 lakhs
1962	7·98 lakhs
1963	8·21 lakhs

रेलवे दुर्घटनायें

809. { श्री दलजीत सिंह :
विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री 24 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1469 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1963 से लेकर अब तक प्रत्येक ज़ोन में कितनी कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ;

(ग) इनसे प्रत्येक ज़ोन में कितने व्यक्ति मारे गये तथा रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ; और

(घ) प्रत्येक ज़ोन में रेलवे ने कितना कितना प्रतिकर दिया ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) नवम्बर, 1963 से लेकर जुलाई, 1964 तक रेलवे के विभिन्न ज़ोनों में जो ऐसी दुर्घटनायें हुईं जिनमें व्यक्तियों की जानें गईं तथा रेलवे सम्पत्ति की क्षति हुई उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या
केन्द्रीय	1
उत्तर	4
दक्षिण	4
दक्षिण पूर्व	5
पश्चिम	4
	18

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं :—

कारण	दुर्घटनाओं की संख्या
रेलवे कर्मचारियों का दोष	6
रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का दोष	10
आकस्मिक	1
कारण अभी तक तय नहीं किया जा सका	1
	18

(ग) रेलवे	जन जीवन की हानि	रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति की अनुमानित लागत
		रुपये
केन्द्र	5	400.00
उत्तर	15	15,080.00
दक्षिण	9	2,47,300.00
दक्षिण पूर्व	30	10,69,425.00
पश्चिम	9	1,88,081.00
	68	15,20,286.00

(घ) रेलवे	निम्न प्रतिकर दिया गया
	रुपये
दक्षिण पूर्व	89,991.00
पश्चिम	10,495.00
	1,00,486.00

चुरु से नोहार तक रेलवे लाइन

810. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुरु से नोहार तक, बरास्ता तारानगर (राजस्थान, उत्तर रेलवे), एक नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में नया रेल का पुल

811. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हुमायून के मकबरे के निकट जमुना के ऊपर रेल के पुल के निर्माण के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वह कब पूरा हो जायेगा तथा यातायात के लिये खोल दिया जायेगा ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शायम नाथ): (क) पुराना किला के निक्ट यमुना नदी पर रेल के दूसरे पुल के निर्माण कार्य की प्रगति निम्नलिखित है :--

(एक) नीवों के लिये कुओं की खुदाई तथा गोला बांधना	१००%
(दो) पुल के पायों और प्रमुखाधारों का निर्माण	८०·८२%

(तीन) १२ गर्डर स्पानों में से ५ खड़े कर दिये गये हैं, छठा स्पान खड़ा किया जा रहा है और सभी स्पानों के मई १९६५ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) पुल के प्रवेश मार्गों तक उसके ऊपर/नीचे जो अनेक सड़कें बनाई जा रही हैं उनके पूरा होने के पश्चात, मार्च १९६६ तक पुल को यातायात के लिये खोल दिये जाने की आशा है ।

सीतामढ़ी और दरभंगा के बीच रेलगाड़ी

813. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीतामढ़ी और दरभंगा के बीच आने तथा जाने वाली दो रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) १ अक्तूबर १९६४ से ।

बालों का निर्यात

814. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के मन्दिरों में भक्तों द्वारा जो बाल चढ़ाये जाते हैं उनका विदेशों को निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो जिन देशों को निर्यात किया जाता है उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). क्योंकि विदेशी व्यापार के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं अतः आंध्र प्रदेश से मनुष्य के बालों के निर्यात के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी देना सम्भव नहीं है। तथापि, 1963–64 में और अप्रैल से ले कर जून 1964 तक भारत से क्रमशः 11 लाख 42 हजार रुपये और 5 लाख 12 हजार रुपये के मूल्य के बालों का निर्यात हुआ है। मुख्य आयातकर्ता देश पश्चिम जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, हांग कांग, बेल्जियम, इंगलैंड, स्पेन और जापान हैं।

वारंगल के निकट निचले तल्ले का पुल

815. श्री इ० मधुसूदन राव: क्या **रेलवे** मंत्री 14 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वारंगल के निकट निचले तल्ले के एक पुल के निर्माण में क्या प्रगति हुई है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : कार्य पूरा हो चुका है और यह निचले तल्ले का पुल जून 1964 से यातायात के लिये खोल दिया गया है।

बख्तियारपुर में रेल का पुल

816. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री 18 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बख्तियारपुर में एक रेल का पुल बनाने की योजना बिहार सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ; और

(ग) यह पुल किस समय तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी तक नहीं। बख्तियारपुर में सड़क के एक ऊपर के पुल के निर्माण की योजना की मंजूरी के लिये अब राज्य सरकार ने केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय से प्रार्थना की है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

रूई के सूत का उत्पादन

817. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों द्वारा बनाये जाने वाले रुई के सूत की किस्म पर इस समय वस्त्र आयुक्त संगठन कोई नियंत्रण नहीं रख रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मानक संस्था से सूत के लिये कुछ स्तर निर्धारित करने के लिये कहने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). रुई के सूत पर इस समय कोई संविधिक नियंत्रण नहीं है। हथकरघा उद्योग द्वारा अपेक्षित रुई का सफेद सूत और कपड़ा बुनने वाली मिलों में उपयोग किये जाने वाले सफेद सूत के स्तर भारतीय मानक संस्था ने निर्धारित कर दिये हैं।

हैवी इलक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटड

818. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में हुए विलम्बों के कारण कोई हानि हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : तृतीय योजना काल के दौरान हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड ने निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किया था और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की मंजूरी की तिथियां

तथा कार्य आरम्भ होने की तिथियां भी नीचे दी हुई हैं:—

परियोजना	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मंजूरी की तिथि	कार्य आरम्भ होने की तिथि
1. हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट प्लान्ट, हरद्वार .	अक्टूबर, 1963	जनवरी–फरवरी, 1963
2. हैवी पावर इक्विपमेन्ट प्लान्ट, हैदराबाद . .	जुलाई, 1963	सितम्बर–अक्टूबर, 1963
3. हाई प्रैशर बॉयलर प्लान्ट, तिरुची . .	मई, 1963	मई, 1963

इस उद्देय से कि विलम्ब न हो जाये बहुत सी अग्रिम तैयारी और प्रारम्भिक कार्य किया गया था जिससे कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के सरकार द्वारा मंजूर किये जाते ही तुरन्त निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके। जैसा कि उक्त सारिणी से पता चलता है, केवल हैदराबाद परियोजना के मामले में ही एक-दो महीनें का विलम्ब हुआ था, परन्तु अन्य प्रारम्भिक कार्य तो किये जा रहे थे। हरद्वार में तो वास्तव में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के सरकार द्वारा मंजूर किये जाने से पहिले ही कार्य आरम्भ कर दिया गया था। इस प्रकार किसी भी परियोजना में विलम्ब के कारण कोई हानि नहीं हुई।

छोटे पमाने के उद्योग

819. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से छोटे पैमाने के और सहायक उद्योगों के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में बड़े बड़े निर्माणकर्ताओं पर प्रतिबन्धों को लगाने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ख) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों की आर्थिक सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) अभी तक छोट पैमाने के क्षेत्र के लिये पृथक रूप से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। जब किसी वस्तु का छोटे पैमाने के क्षेत्र में सुविधापूर्वक निर्माण किया जा सकता है तो सामान्यतया बड़े पैमाने के कारखानों को अपनी क्षमता बढ़ाने की अथवा नवीन क्षमता की व्यवस्था

करने की अनुमति नहीं दी जाती। चतुर्थ योजना काल के दौरान छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में, छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिये कुछ विशेष वस्तुओं के सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयत्न किया जायेगा।

(ख) छोटे पैमाने के उद्योगों की पून्जी की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का इस समय कोई इरादा नहीं है।

इंडियन एक्सप्लोज़िव्स लिमिटेड, गोमिआ में विस्फोट

820. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोमिआ स्थित इंडियन एक्सप्लोज़िव्स लिमिटेड के कारखाने में 30 जून, 1964 को एक विस्फोट हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो विस्फोट के ब्यौरे क्या हैं; और उसमें कितनी क्षति हुई है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) गोमिआ स्थित मैसर्स इंडियन एक्सप्लोज़िव्स लिमिटेड के विस्फोटक वस्तुओं के कारखाने में एन०ए०बी० नाइट्रोग्लिसरीन संयंत्र के पृथक्कारी कक्ष में 30 जून, 1964 की सायंकाल को लगभग सवा आठ बजे एक विस्फोट हुआ; उस समय संयंत्र चालू था। पृथक्कारी कक्ष को भारी क्षति पहुंची। धमाके से उसकी चारों दीवारें बाहर की ओर झुक गई और छत गिर पड़ी। कक्ष में लगा उपकरण तथा अन्य सामग्री नष्ट हो गई। किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। मलवा विस्फोट स्थल के आस पास ही गिरा था और अन्य संयंत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची।

हज़ारी बाग में कोयले की पर्तें

821. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हज़ारीबाग जिले के तीन खण्डों में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा की गई खोज के परिणामस्वरूप कोयले के निक्षेपों की कुछ घनी पर्तों के होने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की निक्षेपों की अनुमानित मात्रा तथा मूल्य कितना है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने, हाल ही के कुछ वर्षों में, हजारीबाग जिले के अनेकों खण्डों में कोयले की खोज की है।

(ख) विभिन्न खण्डों में कोयले के जिन निक्षेपों की अब तक खोज की गई है वह संलग्न विवरण में दिखाये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3173/64**] इन निक्षपों का मूल्य बताना सम्भव नहीं है क्योंकि मूल्य तो इस बात पर निर्भर करेगा कि इन भण्डारों में कितने कोयले का खनन किया जा सकता है और कोयले की किस्म क्या है, आदि।

रेलवे कर्मशालाओं में उत्पादन

822. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० सारादीश राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेराम्बुर और चितरंजन रेलवे कर्मशालाओं में उत्पादन कार्य उनके अपने अपने क्षेत्रों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे मंत्रालय वहां पर नई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रयत्न कर रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3174/64**]

मीटर गेज रेलवे लाइन पर डीजल वाली रेलगाड़ियों का चलाना

823. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मीटर गेज रेलवे लाइन के किसी सैक्शन पर डीजल वाली रेल गाड़ियां चलाने प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख). जी, हां। अब तक उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के कटिहार—सिलीगुड़ी—गौहाटी—लुमडिंग—बदरपुर सैक्शन और पश्चिम रेलवे के कांडला—पालनपुर—आबू रोड—फुलेरा—रेवाड़ी तथा साबरमती—पालनपुर सैक्शनों पर सीधे आने जाने वाली मालगाड़ियां डीजल शक्ति से चलाई जाने लगी हैं, इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में दक्षिण रेलवे के निम्नलिखित मीटर लाइन सैक्शनों पर डीजल शक्ति से चलने वाली मालगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है :—

1. गुंटाकल—यशवन्तपुर
2. गुंटाकल—हुबली—गोआ
3. गुंटाकल—पाकला—कटपडी—विल्लुपुरम
4. गुंटाकल—द्रोणचेल्लम—टाडेपल्ली

पंचकुड़ा से हल्दिया तक रेलवे लाइन

824. श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री 28 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2575 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचकुड़ा से हल्दिया तक रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस लाइन का विद्युतीकरण किया जायेगा;

(ग) निर्माण कार्य कब पूरा होगा तथा लाइन कब यातायात के लिये खोल दी जायेगी ; और

(घ) इस पर कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (घ). अब तक कुल मिला कर लगभग आठ प्रतिशत कार्य हुआ है । इस लाइन के निर्माण का कार्य इस प्रकार किया जायेगा कि वह हल्दिया पत्तन परियोजना के पूरा होने के साथ साथ ही पूरा हो जाये । प्रारम्भ बिना विद्युतीकरण किये ही इस लाइन को चालू करने का विचार है, यद्यपि अन्त में इस का विद्युतीकरण करने का ही विचार है । आशा है कि इस परियोजना की लागत 10 करोड़ रुपये के आस-पास होगी ।

हथकरघा उद्योग को दिये जाने वाले अनुदानों के लिये नियम

825. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग के विकास की केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अधीन गैर-सरकारी संस्थाओं को सरकार द्वारा अनुदानों की मंजूरी दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ठ नियम अथवा सिद्धान्त नहीं बनाए हुए हैं; और

(ख) क्या ऐसे अनुदानों की मंजूरी को विनियमित करने के लिये कुछ नियमों अथवा सिद्धान्तों को निर्धारित करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से बुनकरों की सहकारी समितियों को अनुदानों की मंजूरी दिये जाने के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त निर्धारित कर दिये गये हैं । हथकरघा उद्योग के विकास की योजना के अधीन गैर-सरकारी संस्थाओं को सीधे ही अनुदान नहीं दिये जाते ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूती वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड तथा सलाहकार समिति

826. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड तथा सूती वस्त्र सलाहकार समिति के कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिये केवल एक ही निकाय बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) **सूती वस्त्र परामर्शदाता बोर्ड के कृत्य**

उद्योग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों पर, विशेष रूप से जो उत्पादन, सूती वस्त्रों के वितरण और निर्यात, कच्ची रूई के आयात तथा निर्यात से सम्बन्धित हों, तथा उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चे माल, मशीनों और सहायक उपकरणों को प्राप्त करने से सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर सरकार को सामान्य रूप से सलाह देना ।

सूती वस्त्र सलाहकार समिति के कृत्य

उत्पादन नियंत्रण, घरेलू उपयोग और निर्यात के लिये वस्त्र और सूत की मांग तथा सम्भरण, उद्योग का नवीकरण, पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण और उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चे माल, मशीनों, स्टोर और उपकरणों आदि के प्राप्त करने जैसे आम अथवा विशेष प्रश्नों पर, जो कि वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित हों, उचित सलाह देना ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आंशिक हड़ताल

827. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कुछ अनुभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने जून, 1964 के महीने में काम करना बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण थे; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों पर क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). स्लीपर संयंत्र में 14 से 20 जून तक कार्य बन्द रहा था और बेलन मिलों के सभी अनुभागों में 19 जून, 1964 को काम बन्द रहा था। स्लीपर संयंत्र में कर्मचारियों द्वारा काम बन्द किये जाने का कारण यह था कि तीन प्रैस आपरेटर नौकरी से निकाल दिये गये थे क्योंकि उन का काम असंतोषजनक पाया गया था। कर्मचारियों को स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी और उन्होंने 20 जून, 1964 को फिर से कार्य करना आरम्भ कर दिया था।

बेलन मिलों में कर्मचारियों ने काम इसलिये बन्द कर दिया था कि एक ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी जो कि ड्यूटी पर होते हुए सोता हुआ पाया गया था। कर्मचारियों की सहमति से मामला पंचनिर्णय के लिये सौंप दिया गया था और 20 जून, 1964 को कर्मचारियों ने काम करना प्रारम्भ कर दिया था। निर्णायक द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार प्रबन्धकों ने उस कर्मचारी को कार्य करने की अनुमति दे दी है।

केन्द्रीय रेलवे पर खाद्यान्न ढोने वाली मालगाड़ियां

828. श्री विश्राम प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेलवे पर खाद्यान्न ढोने वाली मालगाड़ियों को नासिक से मनमद तक 40 दिन से अधिक समय लगता है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) जी, नहीं। वास्तव में तो, इस वर्ष के दौरान नासिक से मनमद के लिये खाद्यान्न बिल्कुल भेजे ही नहीं गये हैं।

सामान्यतः माल अपने गन्तव्य स्थान पर दूसरे दिन पहुंच जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सियालदह की रेलवे प्रशिक्षण संस्था को दूसरे स्थान पर ले जाना

829. श्री स० मो० बनर्जी : क्या रेलवे मंत्री 25 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 555 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्यालदह की रेलवे प्रशिक्षण संस्था को धनबाद ले जाने का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी, नहीं। अभी तक इमारत बन कर तैयार नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारी इंजीनियरिंग निगम का वस्तु विभाग

830. श्री स० मो० बनर्जी : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम के वस्तु विभाग की कलकत्ता में कलकत्ता की पुलिस ने जून, 1964 में तलाशी ली थी ?

(ख) यदि हां, तो तलाशी किस कारण से ली गई थी; और

(ग) पुलिस ने उस से क्या निष्कर्ष निकाला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेलवे अधिकारियों की वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा

831. श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या रेलवे मंत्री 5 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1313 और उस पर किये गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे अधिकारियों को प्रथम श्रेणी के किराये और वातानुकूलित श्रेणी के किराये के बीच के अन्तर के केवल एक तिहाई भाग का भुगतान करने पर ही वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 1 अप्रैल, 1955 से पुरानी प्रथम श्रेणी के समाप्त किये जाने से पहिले, पुरानी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के हकदार रेलवे अधिकारी वातानुकूलित श्रेणी के किराये और प्रथम श्रेणी के किराये की बीच के अन्तर को दे कर, जो तीन पाई प्रति मील था, वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा कर सकते थे। इस हक को बनाये रखने के लिये, यह निर्धारित किया गया था कि उन्हें वातानुकूलित श्रेणी और नई प्रथम श्रेणी के किरायों की बीच के अन्तर के एक तिहाई भाग का भुगतान करना होगा । इस दर पर भी उन्हें जो धनराशि देनी पड़ती है वह तीन पाई प्रति मील की पुरानी दर से अधिक है ।

कपड़ा मशीनों का निर्माण

832. श्री प० वेंकट सुब्बया :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री धर्मलिंगम :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कपड़ा मशीनों का निर्माण करने वाली व्यापारिक संस्थाओं के क्या क्या नाम हैं तथा वे किन किन स्थानों पर स्थित हैं और यह कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में उन में से प्रत्येक को कितने कितने रुपये के ऋण और अनुदान दिये गये हैं और यह कि प्रत्येक व्यापारिक संस्था ने उस अवधि में कितने कितने रुपयों के मूल्यों की मशीनों का निर्माण किया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें देश के बड़े बड़े कपड़ा मशीनों के

निर्माणकर्ताओं के नाम तथा स्थानों के नाम दिये हुए हैं और गत तीन वर्षों में उनके द्वारा किये गये उत्पादन का मूल्य भी दिया हुआ है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3175/64]

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में सरकार ने इन निर्माणकर्ताओं में से किसी को भी कोई ऋण अथवा अनुदान नहीं दिया है।

कपड़े का निर्यात

833. **श्री पं० वकटा सुब्बया :**
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1961-62, 1962-63 और 1963-64 के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने मिल निर्मित वस्त्र का निर्यात किया गया था और उसका वर्ष-वार मूल्य कितना था तथा इन तीन वर्षों के दौरान मिल क्षेत्र को निर्यात प्रोत्साहनों के देने में सरकार ने वर्ष-वार कितना रुपया व्यय किया?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : 1961-62, 1962-63 और 1963-64 के दौरान जो मिल-निर्मित वस्त्र (सूती) निर्यात किया गया था उसकी मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित हैं :-

	दस लाख गजों में	दस लाख रुपयों में
1961-62 . .	534.12	433.90
1962-63 .	522.57	398.82
1963-64 . . .	535.64	427.73

मिल क्षेत्र को निर्यात प्रोत्साहनों के देने पर सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जाता है।

वस्त्र उद्योग

834. **श्री पं० वेंकटासुब्बया :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंच वर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में वस्त्र मिल उद्योग के पुनः संस्थापन तथा विस्तार के लिये सरकार ने, औद्योगिक वित्त निगम और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं ने कितनी राशि सहायता के रूप में दी ;

(ख) तृतीय योजना के प्रारम्भ में तथा पत्री वर्ष 1963 की समाप्ति पर देश में साधारण तथा स्वचालित करघों की संख्या अलग-अलग कितनी थी; और

(ग) तृतीय योजना काल के प्रारम्भ में कपड़ा मिलों में लगे स्पिंडलों की संख्या कितनी थी और पत्री वर्ष 1963 के अन्त में उनकी संख्या कितनी थी?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) औद्योगिक वित्त निगम, भारत की औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन कारपोरेशन तथा राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने वस्त्र उद्योग को 24 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है जिसमें स्थगित भुगतान की प्रत्याभूतियां भी सम्मिलित हैं। यह सहायता राज्य वित्त निगम द्वारा दी गई सहायता के अतिरिक्त है।

(ख) और (ग).

मद	स्थापना	
	1-1-61	31-12-63
करघे		
(एक) साधारण	182,473	176,863
(दो) स्वचालित	16,312	25,404
स्पिडल	136.6 लाख	146.7 लाख

तम्बाकू का विपणन तथा निर्यात

835. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू के विपणन तथा निर्यात, सम्बन्धी समस्याओं की जांच करने के लिये कोई तदर्थ समिति स्थापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी हां।

(ख) आशा है कि शीघ्र ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

देहरादून एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

836. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **रेलवे** मंत्री 28 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1222 के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 10 अप्रैल को मुरादाबाद–सहारनपुर लाइन पर देहरादून एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में सरकार को, उत्तरी सर्कल के रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियों का ब्योरा क्या है ;

(ग) दुर्घटना के लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिये कोई सुझाव दिये गये हैं?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) से (घ). रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त ने अभी अन्तिम रूप में प्रतिवदन तैयार नहीं किया है।

रेलवे कर्मचारियों को निर्माण भत्ता

837. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बसुमतारी :

क्या **रेलवे** मंत्री 21 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2330 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात सरकार ने इस मामले पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

रेलवें मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). फराका बांध परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता स्वीकृत किया गया है। चूंकि इस परियोजना के निर्माण रेलवे के कोई कर्मचारी नहीं लगे हुए हैं इस लिये उन्हें निर्माण भत्ता देना उचित नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

838. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे कर्मचारियों ने मजूरी बोर्ड की मांग की है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मजूरी बोर्ड के लिये रेलवे कर्मचारियों से विशिष्ट रूप में कोई मांग नहीं की गई है। मार्च, 1964 में अखिल भारतीय रेलवे फैडरेशन ने एक संकल्प में मजूरी के ढांचे और नये आधार निर्धारित करने के विषय की जांच की जाये।

इसी प्रकार नैशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में रेलवे विभाग के लिये अलग से एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जाने का उल्लेख किया था।

Nitrate Industry

839. Shri Bagri : Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that chilian nitrate of soda which is a custom-free article is now being utilised in ordinary industries ;

(b) whether Government are aware of the fact that the nitrate manufacturers of India are being put to great difficulties by common use of the chilian nitrate of soda and the nitrate industry is being paralysed ; and

(c) if so, the steps being taken to protect the nitrate industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibhudhendra Mishra): (a) to (c). About 30% to 35% of the imported Chilian Nitrate of Soda is being utilised for industrial purposes. Since this article is not manufactured indigenously, the question of putting the nitrate manufacturers of India in difficulties does not arise.

The product made locally is potassium nitrate and not sodium nitrate. The potassium nitrate has a distinct field of its own for use in the production of industrial explosives.

Railway Line from Hissar to Rohtak

840. Shri Bagri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any proposal for constructing a Railway line from Hissar to Rohtak is under consideration of Government ; and

(b) if not, when Government propose to consider this proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No.

(b) The proposal is not included in the Railways' programme of construction of new lines for the Third Five Year Plan. With limited financial and material resources, the prospects of this line being taken up for consideration in the near future are very little.

Pig Iron Plant in Hissar

841. Shri Bagri : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any plant to produce pig iron is being set up in Hissar and if so, the amount to be spent on it.

(b) the number of workers to be employed in the plant ; and

(c) the quantity of pig iron to be produced at the plant ?

The Minister of Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy) : (a) Yes, Sir. The Government of Punjab have been granted a "Letter of Intent' for establishing a unit for the production of pig iron—at Hissar. The State Government are still working out firm cost estimates for and other details of the project.

(b) About 360.

(c) 100,000 tonnes per annum.

कोयले के नमूने संबंधी विशेषज्ञ समिति

842. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 5 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के नमूने और ग्रेड निर्धारित करने वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस हद तक कार्यान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाये। इन में से कुछ एक ये हैं :—

(एक) ऐसा सूत्र निर्धारित करना जिस से यह पता चल जाये कि कोयले से कितनी गर्मी प्राप्त होती है और उसमें कोयले की गर्मी को प्रभावित करने वाली अन्य कौन-कौन से रासायनिक पदार्थ और गुण हैं ;

(दो) उससे प्राप्य गर्मी को और वर्तमान मूल्य ढांचे को देखते हुए मूल्य निर्धारित करना; और

(तीन) आवश्यक संगठन स्थापित करना और आवश्यक उपकरण प्राप्त करना जो अधिकतर आयात किया जाता है।

चाय की नीलामी

844. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा सहकारी चाय विपणन समिति स्थापित होने के पश्चात अमृतसर, हिमाचल प्रदेश और देहरादून में हरी और काली चाय की कितनी नीलामियां हुई हैं ;

(ख) कलकत्ता और कोचीन में हुई नीलामियों की तुलना में मूल्यों की स्थिति क्या है ;

(ग) क्या चाय बोर्ड के वार्षिक चाय आंकड़ों में अमृतसर मंडी में हुई चाय की नीलामियों के आंकड़ों को भी सम्मिलित करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जुलाई, 1964 की समाप्ति तक अमृतसर में 14 बार बिक्री की गई। हिमाचल प्रदेश अथवा देहरादून में चाय की कोई नीलामी नहीं की गई।

(ख) हरी चाय की बिक्री साधारणतया कोचीन अथवा कलकत्ता में नहीं की जाती। अमृतसर में जो मूल्य प्राप्त हुए वे सन्तोषजनक थे और अमृतसर में बिक्री आरम्भ करने से पूर्व कांगड़ा में जो नीलामी की जाती थी वे उससे 50 प्रतिशत अधिक थे।

(ग) जी, हां। इन्हें "टी स्टैटिस्टिक्स 1964," में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशों से डीज़ल रेलवे इंजन मंगवाना

845. **श्री हेम राज**: क्या **रेलवे** मंत्री 25 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 527 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना काल में छोटी लाइन के लिए डीज़ल से चलने वाले जो 25 रेलवे इंजन विदेशों से मंगवाये जाने थे क्या वे पहुंच गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके कब तक प्राप्त होने की आशा है और किस देश से आयात किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी नही।

(ख) 1965 के प्रारम्भ में पश्चिम जर्मनी से।

लघु उद्योग

846. **श्री सोलंकी** :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "लघु उद्योग" की परिभाषा निर्धारित की है और यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ख) क्या पुनः इसकी परिभाषा निर्धारित करने के लिये सुझाव दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) जी, हां। वे सब उद्योग लघु उद्योग कहलाते हैं जिनमें 15 लाख रुपये से अधिक पूंजी न लगी हुई हो, उन में चाहे कितने ही व्यक्ति कार्य करते हैं। इस परिभाषा में पूंजी वही गिनी जाती है जो भमि, इमारत, मशीनरी और उपकरण में विनियोजित हो।

(ख) अभी परिभाषा पर पुनर्विचार करने का कोई विचार नहीं है।

गुजरात में जिप्सम निक्षेप

847. श्री महानन्द :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या गुजरात में जिप्सम के कोई निक्षेप मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वाणिज्यिक के लिये इनका विछोहन किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) नवांनगर, बड़ौच, कच्छ, भावनगर, सुरेन्द्रनगर और जूनागढ़ के जिलों में जिप्सम मिला है और अनुमान है कि वहां 69.3 लाख टन जिप्सम उपलब्ध होगा।

(ग) अभी भारत सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

उत्तर सीमान्त रेलवे का स्टोर विभाग

848. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० रानेन सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे का स्टोर विभाग कलकत्ता से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवें मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर रेलवे पर ड्राफ्टसमैन/एस्टीमेटर

849. श्री विश्राम प्रसाद :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री न० ता० दास :
श्री पें० वैंकटासुब्बया :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में कई ऐसे ड्राफ्ट्समैनों/एस्टीमेटरों (सिविल) को

जो 335—485 रुपये वाले ग्रेड में तीन से आठ वर्ष से काम कर रहे हैं उसी ग्रेड में चुनाव के लिये बुलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चुनाव का मामला आठ वर्ष तक क्यों तय नहीं किया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी रेलवे की मकैनिकल शाखा की इसी प्रकार के ड्राफ्ट्समैनों को उस ग्रेड के चुनाव से इस आधार पर मुक्त कर दिया गया कि उन्होंने इतने समय तक उसी ग्रेड में काम किया था ; और

(घ) यदि हां, तो एक ही रेलवे विभाग की सिविल तथा मकैनिकल शाखाओं में काम करने वाल ड्राफ्ट्समैनों के लिये अलग-अलग नीति क्यों अपनाई जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सूभग सिंह) : (क) और (ख) 205—280 रुपये (ए एस) के वेतन क्रम में काम करने वाले सभी ड्राफ्टसमैनों में से जिनमें वे भी शामिल हैं जो अस्थायी तौर 335—485 रुपये वाले ग्रेड में काम कर रहे थे, हैड ड्राफ्टसमैनों का चुनाव किया जा रहा है। बिना किसी चुनाव के अस्थायी तौर पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों को पहले से बता दिया गया था कि उनका चुनाव किया जायेगा । कुछ प्रशासनिक कारणों से चुनाव शीघ्र नहीं किया जा सका ।

(ग) और (घ) उत्तर रेलवे की मकैनिकल शाखा के ड्राफ्टसमैनों का केस अलग था। उनकी पदोन्नति करते समय रेलवे प्रशासन ने उन्हें पहले से नहीं बताया था कि बाद में उनका अन्तिम चुनाव किया जायेगा । इसलिये उन्हें मुक्त कर दिया गया ।

मध्य प्रदेश में बाक्साइट के निक्षेप

850. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के जिला शाहडोल के अमरकांटक क्षेत्र तथा बिलासपुर-सरगुजा क्षेत्रों में बाक्साइट के बहुत बड़े निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों को तुरन्त प्रयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) कोर्बा में (मध्य प्रदेश) 120000 टन एलुमिना और 30000 टन प्रति वर्ष एल्युमिनियम प्लांट सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का सरकार विचार कर रही है जो राज्य में अमरकांटक क्षेत्र के फुटका पहाड़ में बाक्साइट के निक्षेप से चलेगा। रिहांद एल्युमिनियम भट्टी (उत्तर प्रदेश में) के लिये, जिसकी क्षमता 20,000 से बढ़ा कर 60,000 टन वार्षिक की जा रही है, बाक्साइट अमरकांटक निक्षेपों से ही प्राप्त किया जायेगा ।

धनबाद के पास जलती हुई कोयला खान

851. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि कटरस बाजार

(धनबाद) के पास लकुरका कोयलाखान का बहुत सा भाग 1963 से जल रहा है ; और

(ख) उसके पास जोगटा और झरिया में जो कीमती कोयला खानें हैं उनको नुकसान से बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार और बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) लकुरका कोयला खान की चौदहवीं परत में एक पुरानी खदान (संख्या 2) में आग लगने की सूचना कोयला बोर्ड को जून, 1963 में प्राप्त हुई थी। जब पहले पहल आग का पता चला था तो वह अधिक क्षेत्र में नहीं थी और वह अभी भी उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां के स्तम्भ वर्षों पहले गिरा दिये गये थे।

(ख) कोयला खानों का यह कर्तव्य है कि यदि कोई आग लग जाये तो वह उसको बुझाये। परन्तु कोयला बोर्ड मुख्यतः आग को फैलने से रोकने के लिये सहायता देता है। बोर्ड बचाव सम्बन्धी कार्य विभाग द्वारा तभी कराता है जब कि कोयला खानें उसे भली प्रकार और फुर्ती से नहीं कर पाती हैं अथवा जब आग खाली पड़ी हुई खानों में लगी हो।

Railway Station at Srinivaspuri and Nehru Nagar, Delhi

852. Shri Balmiki : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that some time back a railway station existed at the site of Srinivaspuri and Nehru Nagar between Okhla and Hazrat Nizamuddin stations New Delhi ;

(b) if so, the reasons for its closure ;

(c) whether in view of the increasing population, Government propose to reopen a railway station there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) (a) A station named Kilokri existed between Okhla and Hazrat Nizamuddin stations prior to 1926.

(b) It was closed in 1926 for want of traffic.

(c) The opening of a new station at the site was examined but could not be accepted for want of adequate justification. The location of a station at this point is also not feasible from the operational point of view.

पूर्वोत्तर रेलवे पर विद्युतीकरण

853. श्री विश्राम प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे में सरामीर और सादेत स्टेशनों के विद्युतीकरण में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सरामीर और सादेत स्टेशनों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम 1964–65 के लिये रखा गया है। कार्य के प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं और बिजली का सामान जुटाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इन दो स्टेशनों के सर्विस कनेक्शन के प्राक्कलन उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हो चुके हैं और उनकी इस समय छानबीन की जा रही है ।

Derailments

854. Shri Balmiki : Will the Minister of **Railways** be plesaed to state :

(a) the number of derailments from January, 1963 to August, 1964 ;

(b) loss of property and life involved ; and

(c) the number of derailments in which antinational elements were involved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) There were 2054 train derailments on the Indian Government Railways from January, 1963 to August, 1964.

(b) The cost of damage to Railway property was approximately Rs. 60,06,308/-. As a result of these derailments, 28 persons were killed.

(c) One.

मैसूर में कताई मिलें

855. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में मैसूर राज्य में कताई मिलें स्थापित करने के लिये विभिन्न गैर-सरकारी और सहकारी निकायों को कितने लाइसेंस मंजूर किये गये ;

(ख) उन में से कितनों ने मिलें स्थापित कर ली हैं और कितनों ने नहीं ; और

(ग) जिन्होंने कारखाने स्थापित नहीं किये हैं क्या उनके लाइसेंस रद्द करने का विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) 16 ।

(ख) और (ग) एक मिल स्थापित की गई है और सम्बन्धित लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा 11 और मिलें स्थापित करने की दिशा में प्रभावपूर्ण कदम उठाये गये हैं । शेष मामलों में, जिनमें प्रभावपूर्ण कदम अभी तक नहीं उठाये गये हैं, लाइसेंस रद्द करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

व्यापार प्रतिनिधि मंडल

856. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में कितने विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आये और कितने भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों को गये ; और

(ख) 1964 में अभी तक किन-किन देशों के साथ व्यापार करार हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पिछले छै महीनों में अर्थात् मार्च से अगस्त, 1964 तक तेरह विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत आये और नौ भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल विदेशों को गये ।

(ख) 1964 में अभी तक अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोरिया गणतन्त्र, फ्रान्स, इटली, ग्रीस, बल्गेरिया, रूमानिया और संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार करार अथवा प्रबन्ध हुए हैं अथवा उनका समय बढ़ाया गया है अथवा नये किये गये हैं ।

बेगुनिया खानें

857. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स करम चन्द थापर ने ओरिएन्टल कोयला कम्पनी द्वारा संचालित बेगुनिया खानों को बन्द कर देने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस खान में अभी तक बहुत सी मात्रा में धातु-कर्मिक कोयला मौजूद है ;

(घ) क्या उसी पट्टे के अन्तर्गत पास में ही एक ऐसा प्लाट है जिसमें धातु-कर्मिक कोयले का होना सिद्ध हो चुका है और उसके निकाले जाने भर की देर है ;

(ङ) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के विशेषज्ञों ने उसकी बन्द किये जाने के पूर्व जांच कर ली है ; और

(च) बेरोजगार हुए हजारों मजदूरों को क्या रोजगार दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) कम्पनी ने बेगुनिया कोयला खान की केवल लैंकडीह प्रीम का काम 1-7-1964 से बन्द कर दिया है क्योंकि उनके अनुसार भूमिगत स्थिति सुरक्षित नहीं थी ।

(ग) और (घ) खान में एक अछूते क्षेत्र में, जो कम्पनी को पट्टे पर मिला हुआ है, धातुकार्मिक कोयले का एक बड़ा निक्षेप है । परन्तु यह बात सही नहीं है कि उसके निकाले जाने भर की देर है क्योंकि कुछ खामियों और भूतत्वीय अव्यवस्थाओं के कारण उस अछूते क्षेत्र में इस बात का निश्चित पता लगाना होगा कि कोयला किस स्थान पर है और तभी उसको निकालने की ठीक योजना बनाई जा सकेगी ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) बेगुनिया कोयला खान बर्दवान जिले में है जो रानीगंजके रोजगार दफ्तर के अन्तर्गत है । यदि खान के बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप कोई मजदूर बेरोजगार होंगे तो वह वहां के रोजगार दफ्तर से सहायता ले सकेंगे ।

भोजन यान

858. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-काल्का मेल और अन्य डाक गाड़ियों में भोजनयानों में दूध और अन्य खराब हो जाने वाली चीजों के रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गाड़ी के यात्रियों को दिये जाने के लिये ठंडे पेयों और बर्फ के पानी का भी पर्याप्त मात्रा में संग्रह नहीं किया जा सकता है ;

(ग) क्या सरकार हावड़ा-काल्का और अन्य प्रमुख डाकगाड़ियों पर भोजनयान के रेफ्रिजरेटरों की संग्रह क्षमता बढ़ाने का विचार कर रही है ;

(घ) भोजनयानों में कोकाकोला और लेमन क्यों नहीं रखे जाते हैं ; और

(ङ) केवल औरेंज दिये जाने का क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) भोजनयानों में विभिन्न प्रकार के सोडावाटर की मांग के अनुसार उनकी सीमित किस्में ही रखी जाती हैं। परन्तु कभी कभी जब निर्माता माल नहीं भेज पाते हैं तो रेलवे को किसी एक प्रकार के सोडा वाटर की अधिक मात्रा रखनी पड़ती है।

नाईजीरिया में पटसन कपड़ा मिल

859. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया में एक पटसन कपड़ा मिल और एक हल्का इंजीनियरिंग कारखाना चालू करने के लिये नाईजीरिया के उद्यमियों के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) भारत ने किस प्रकार की सहायता देना स्वीकार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाईशाह) : (क) और (ख) जी, हां। नाईजीरिया में कुछ इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण और एक कपड़ा मिल की स्थापना के लिये संयुक्त प्रयत्न के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। जूट मिल की स्थापना के प्रस्ताव पर अभी तक भारत और नाईजीरिया के सम्बन्धित पक्षों के बीच चर्चा चल रही है।

(ग) भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता भारत में निर्मित मशीनों और उपकरण और प्राविधिक ज्ञान के रूप में होगी ।

समपारों पर होने वाली दुर्घटनायें

860. **श्री द० ब० राजू** : **क्या रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में पिछली दो-तिमाहियों में समपारों पर कितनी दुर्घटनायें हुईं ; और

(ख) उनमें कितने जन धन की हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जून, 1964 में समाप्त होने वाली दो तिमाहियों में भारत की सरकारी रेलों में अट्ठानवे दुर्घटनायें हुई।

(ख) इक्कीस व्यक्ति मारे गये। रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान 23,066 रुपये के लगभग लगाया गया है ।

जाली बांट तथा माप

861. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : **क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली में कुछ व्यापारी जाली बाटों तथा मापों का प्रयोग कर रहे हैं ; और

(ख) एसे व्यक्तियों को दंडित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और इस गलत कार्य को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) सरकारी इन्सपेक्टरों द्वारा सत्यापित मीट्रिक बांट तथा माप बिल्कुल सही होते हैं। जिन बांटों तथा मापों का सत्यापन नहीं हुआ वे जाली हो सकते हैं परन्तु उनका प्रयोग गैर-कानूनी है। इस प्रकार के बाटों का प्रयोग खोमचेवालों तथा अन्य छोटे छोटे सौदागरों द्वारा ही किया जाता है—विशेषकर फलों, तरकारियों और पुराने अखबारों के सौदागरों द्वारा। ऐसे सौदागर जिन स्थानों पर बैठते हैं वहां इंस्पैक्टर प्रायः जाया करते हैं और अपराधियों को चलते फिरते अथवा स्थायी न्यायालयों के सामने पेश करते हैं। जुलाई, 1964 में आठ छापे मारे गये और 106 मामले चलते फिरते न्यायालय के सामने लाये गये। दोष सिद्धि पर 934 रुपये के जुर्माने किये गये।

व्यापार के लिये ऋण सुविधायें

862. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चाय, तम्बाकू और मेंगनीज़ आदि वस्तुयें जो जहाजों में खेप के रूप में भेजी जाती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जिनका काफी महत्व है उनके लिये बैंकों से ऋण सुविधायें बहुत कम मिलती हैं ; और

(ख) क्या विदेशी खरीदारों के साथ इस खेप-बिक्री नियमित बिक्री में बदलने के लिये कोई कदम उठाये जाने वाले हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाईशाह) : (क) और (ख) खेप के आधार पर भेजी जाने वाली चाय के मामले में बैंकों से सूडिंग बिलों पर स्थान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं मालूम होती है। तम्बाकू का बहुत थोड़ा सा भाग खेप के आधार पर जाता है और यहां भी तम्बाकू के ऐसे निर्यातों पर ऋण प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाइयां सरकार की जानकारी में नहीं आई हैं। मेंगनीज़ अयस्क का निर्यात खेप के आधार पर नहीं करने दिया जाता है। हाल में अभ्रक के खेप के आधार पर निर्यात पर पाबन्दी लगा दी गई है।

इस्पात का उत्पादन

863. **श्री बासप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये इस्पात के उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार, चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्त में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के इस्पात संयंत्र क्रमशः 117 लाख और 43 लाख मीट्रिक टन इस्पात पिंडों का उत्पादन कर सकेंगे।

Staff Benefit Fund on Northern Railay

864. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of senior officers of the Medical Department on the Northern Railway who have been granted financial assistance from the Staff Benefit Fund to the tune of thousands of rupees for the treatment of their children in the current year ; and

(b) whether this kind of assistance had ever been given to the senior officers in the past ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and(b)- No, Sir. However, a sum of Rs. 7,500/- was granted for treatment of his son to a Divisional Medical Officer of the Northern Railway in 1963 from the Railway Minister's Welfare and Relif Fund (which is a Fund financed by voluntary cotribution from officers, staff and others), and not from the Staff Benefit Fund.

Thefts in Delhi/New Delhi Railway Stations

865. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of cases of thefts occurred within the premises of Delhi and New Delhi Railways Stations from 1-1-62 to 31-5-64 ;

(b) the number of railway employees involved in those thefts ; and

(c) the number of employees who were punished)

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Ram Subagh Singh) : (a) 531

(b) 29

(c) 3. Action is pending against 26.

दीवान शुगर मिल्स सखावटी, मेरठ

866. **श्री बाल गोविन्द वर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीवान शुगर मिल्स, सखावटी टांडा, जिला मेरठ की मिल साईडिंग रेलवे की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण बन्द कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और ऐसी बकाया राशि कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) जी, हां। रेलवे की बकाया राशि जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, का भुगतान न किये जाने के कारण साईडिंग में माल डिब्बों का खड़ा किया जाना रोक दिया गया था :

मार्च, 1964 का भाटक-प्रभार . .	13,785.00
नवम्बर, 63 से अप्रैल, 1964 तक का विलम्ब शुल्क .	1,817.80
1-1-64 से 31-12-64 तक का 21-5-64 तक देय ब्याज तथा साधारण व्यय	2,169.78
योग	17,773.38

चीनी मिलों को नियत किया गया कोयला

867. **श्री बाल गोविन्द बर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962-63 और 1963-64 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में प्रत्येक चीनी मिल को कितना कोयला दिया गया ;

(ख) उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपना कोयला धन कमाने के उद्देश्य से ऊंची दरों पर अन्य मिलों को बेच दिया ; और

(ग) इस कुप्रथा को रोकने के लिए ऐसे कारखानों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मिलों में प्रत्येक चीनी मिल को 1962–63 और 1963–64 के मौसमों के लिए कोयला/कच्चा कोयला का कोटा दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—3176/64]**

(क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर-पूर्व रेलवे पर लाइन का सर्वेक्षण

868. श्री बाल गोविन्द वर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व रेलवे पर पलियां कलां से हसनपुर कतौली तक नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कहां तक आगे बढ़ा है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्रीलंका को सूखी मछली का भेजा जाना

869. श्री प्र० क० देव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात सन्वधन परिषद् ने श्री लंका के प्रितिनिधियों के साथ श्रीलंका को भारतीय सूखी मछली का निर्यात बढाने के बारे में बात-चीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इन बात-चीतों का विषय क्या था ; और

(ग) आजकल कितने मूल्य का निर्यात होता है और उसमें कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विप्पण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी०—3177/64]**

पेन्टों का निर्यात

870. **श्री प्र० क० देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों को पेन्टों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ;

(ख) आजकल कितने मूल्य का निर्यात होता है और उसमें कितनी वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) पेन्ट किन देशों को भेजे जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। संयुक्त अरब गणराज्य, इराक, जोरदान, अफगानिस्तान, ईरान, और पाकिस्तान के साथ हुए व्यापार करारों में निर्यात के लिए 'रंग, पेन्ट और वारनिश' की मद शामिल कर ली गयी हैं।

रसायन और तत्संबंधी उत्पादों संबंधी निर्यात संवर्धन परिषद् ने अप्रैल, 1964 में एक पेन्ट प्रतिनिधिमण्डल भेजा था। यह प्रतिनिधिमण्डल इथोपिया, पूर्वी अफ्रीका, क्वैत, बहरीन, सीरिया, लेबनान, ईरान, ईराक, सूडान, और अदन जैसे पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों में बाजार की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गया था। निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रचार आन्दोलन में अनेक पेन्ट निर्माताओं ने भाग लिया था और कुछ पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों में उनके उत्पादों का अखबारों में प्रचार किया गया। परिषद ने पेन्ट और वारनिश संबंधी बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। इसमें पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों में पेन्टों के बारे में विचार-सम्भावनाओं संबंधी विस्तृत जानकारी दी हुई है।

(ख) पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों में 1963–64 में 6.1 लाख रु० के मूल्य के पेन्ट, रंग और वारनिश भेजा गया। संवर्धन प्रयास करने के कारण, इन देशों को निर्यात बढ़ने और बढकर 1964–65 में 10 लाख रु० होने की संभावना है।

(ग) इस प्रदेश में अफगानिस्तान, अदन, बहरीन, इथोपिया, ईरान, ईराक, क्वैत, उमान, सीरिया मुख्य खरीदार हैं। यह भी आशा है कि इथोपिया, कीनिया, टंगानिका, युगाण्डा, और सूडान जैसे अफ्रीकी देशों में इस वर्ष भारत से पेन्टों का आयात किया जायेगा।

पुनर्वास उद्योग निगम

871. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों को पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा ऋण दिये गये थे, उन पर 31 जुलाई, 1964 को कितना धन बकाया था ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : एक विवरण सम्भरण है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखियें संख्या एल० टी० 3198/64]**

छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग

872. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० भास्कर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में उत्तर प्रदेश में जिलावार सहकारी आधार पर छोटे पैमाने के कितने हथकरघा उद्योग खोले गये ; और

(ख) इसी अवधि में इन उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने ऋण और अनुदान के रूप में कुल कितना धन दिया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) 1963–64 में उत्तर प्रदेश में जिलावार सहकारी आधार पर खोले गये छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योगों की संख्या :—

क्रम संख्या	जिला का नाम	पंजीबद्ध समितियों की संख्या
1	मेरठ	4
2	मुजफ्फरनगर	2
3	देहरादून	2
4	अलीगढ़	1
5	एटा	1
6	विजनौर	3
7	मुरादाबाद	13
8	रामपुर	2
9	पौरी गढ़वाल	4
10	टीहरी गढ़वाल	1
11	हरदोई	3
12	सीतापुर	1
13	फैजाबाद	3
14	प्रतापगढ़	1
15	बाराबंकी	1
16	फतेहपुर	1
17	कानपुर	8

क्रम संख्या	जिला का नाम	पंजीबद्ध समितियों की संख्या
18	इटावा .	1
19	झांसी .	3
20	हमीरपुर . .	2
21	वाराणसी . . .	10
22	गोरखपुर	1
23	बस्ती . .	7
24	आजमगढ़	1
25	पिथौरागढ़ . . .	1
26	उत्तर काशी	2
	योग	79

(ख) 1963-64 में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए ऋण और अनुदान के रूप में दी गयी कुल धनराशि :—

ऋण . . . . 15.78 लाख रु०

अनुदान . . . 21.05 लाख रु०

उत्तर प्रदेश को इस्पात का नियत

873. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में उत्तर प्रदेश को कुल कितना लोहा और इस्पात दिया गया ; और

(ख) 1964-65 में उस राज्य को उसमें से कुल कितनी मात्रा आवंटित की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) 1963-64 में पतली काली चादरों और जस्ता चढ़ी चादरों को छोड़ कर अन्य प्रकार का इस्पात खुला हुआ माना गया जिसके फलस्वरूप इण्डेन्टर कोटा के बिना ही आर्डर दे सके । अतः कोटा केवल 16-20 गज की काली हमवार चादरों के लिए था । उत्पादों के पास माल देने के लिए बहुत आर्डर थे इसलिए जस्ता चढ़ी चादरों या पतली काली चादरों का कोई कोटा नहीं दिया गया । 1964-65 में फिर उन श्रेणियों में काली हमवार चादरों और पतली प्लेटों का कोटा आवंटित किया गया जिन पर नियंत्रण था । माल संभरण के आदेशों के भारी मात्रा में बाकी रहने के कारण आवंटन कम किया गया ताकि बकाया में काफी कमी की जा सके । उत्तर प्रदेश को लोहा और इस्पात

के निम्न लिखित कोटे दिये गये :—

मीट्रिक टन

	1963–64	1964–65
इस्पात	21,865	3,268*
कच्चा लोहा **	27,336	33,850

* केवल नियंत्रित श्रेणियों का, जिसमें छोटे पैमाने का उद्योग कोटा के अन्तर्गत शामिल नहीं है, शीघ्र ही राज्यवार आवंटन होगा ।

** राज्य की नामावलि में शामिल (छोटे पैमाने की) ढलाई घरों को आवंटित किया गया ।

जिन श्रेणियों में कोटा नहीं दिये गये थे केवल उनमें बकाया आर्डरों के अन्तर्गत इस्पात दिया जाता रहा ।

उत्तर प्रदेश के लिए स्टनलस स्टील

874. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में उत्तर प्रदेश को कुल कितना स्टेनलेस स्टील नियत किया गया ; और

(ख) 1964–65 में उस राज्य को कितनी स्टेनलेस स्टील देने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) 1963–64 में उत्तर प्रदेश को या अन्य किसी राज्य को बर्तन बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील नहीं दिया गया क्योंकि उस अवधि में इन चादरों का आयात नहीं हुआ था । अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित स्टेनलेस स्टील राज्य को आवंटित विदेशी मुद्रा के अनुसार उद्योग निदेशक की सिफारिशों के आधार पर लाइसेंस द्वारा दिया गया था ।

(ख) 1964–65 में उत्तर प्रदेश को 107 मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील की चादरें देने का विचार है ।

पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी

875. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1964 की पूर्वोत्तर रेलवे के कितने कर्मचारी अस्थायी थे ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 9,922 ।

(ख) अनुसूचित जाति 1,675 । पिछड़ी जातियों के लिये अलग आंकड़े नहीं रखे जाते ।

गया रेलवे स्टेशन पर टक्कर

876. {श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मई, 1964 को गया रेलवे स्टेशन पर खड़ी तीर्थयात्री विशेष रेलगाड़ी से एक शंटिंग इंजन टकराया गया था ;

(ख) यदि हां, तो टक्कर होने के क्या कारण थे ; और

(ग) कितने व्यक्ति घायल हुए और कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दुर्घटना 25-5-64 को हुई थी। एक शंटिंग इंजन दूसरे खड़े हुए इंजन से टकरा गया था जो कि पहले एक गाड़ी लाया था। बाद में उन दो डिब्बों से तटकरा गया जो यात्री गाड़ी संख्या 350 डाउन से अलग कर लिये गये थे और जिनमें तीर्थयात्री थे ।

(ख) यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की असफलता के कारण हुई ।

(ग) बारह व्यक्तियों को साधारण चोट आई । रेलवे का कोई नुकसान नहीं हुआ ।

गया के पास गाड़ी का पटरी से उतरना

877. {श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 मई, 1964 को गया के पास पूर्व रेलवे पर गुरपा और गजण्डी स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतरने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस दुर्घटना के फलस्वरूप क्या हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) यह दुर्घटना गुरपा-गुजण्डी सेक्शन पर दिलवा और गथगंज ब्लाक हट के बीच हुई थी ।

(ख) दुर्घटना का कारण यह था कि यात्रा में वैगन की हालत बिगड़ने से उसका माल दूसरे डिब्बे में भरा जा रहा था ।

(ग) रेलवे का लगभग 37,000.00 लाख रु० का माली नुकसान हुआ ।

दमदम छावनी के पास रेल मार्ग पर दुर्घटना

878. {श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 जून, 1964 को कलकत्ते से लगभग 12 मील की दूरी पर

दमदम छावनी स्टेशन के पास, बानगांव जाने वाली विद्युत् रेलगाड़ी से कुछ आदमी कुचल दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के क्या कारण थे और उससे जान माल का कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). 9-6-1964 को दमदम छावनी स्टेशन के पास कोई आदमी नहीं कुचला गया था। फिर भी उस दिन संख्या एस० बी० एन० 2 डाउन उपनगरीय रेलगाड़ी से सफर करने वाले तीन व्यक्ति मारे गये थे। उनमें से एक अपने डिब्बे से बाहर झुका हुआ था और रेल मार्ग पर स्थित एक ढांचे से उसे चोट लगी। दूसरे दो आदमी उनका संतुलन बिगड़ जाने के कारण गाड़ी से गिर गये थे। रेलवे सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ।

बंगलौर अरसी करा सेक्शन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

879. **श्री ब० ना० कुरील :**
श्री विश्वनाथ पांडय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जुलाई, 1964 को दक्षिण रेलवे के बंगलौर-अरसीकेरा सेक्शन में बनसन्दरा और सम्पीगे रोड के बीच एक माल गाड़ी के सोलह डिब्बे पटरी पर से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके पटरी पर से उतर जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) उनके पटरी पर से उतर जाने के कारण रेलवे को कुल कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) इस दुर्घटना में 18 माल डिब्बे पटरी पर से उतर गये।

(ख) इस दुर्घटना की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गयी है।

(ग) अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति का लगभग 16,408 रुपये का नुकसान हुआ।

Theft of Ammunition from running train

880. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a theft of ammunition took place on a running train on the Jabalpur-Prayag section of the Central Railway during April, 1964;

(b) if so, the quantity stolen and recovered ;

(c) the action taken by Government to investigate into the theft ; and

(d) the measures proposed to be taken to prevent such thefts occurring in future ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, but only of explosives.

(b) Two cases were stolen. One case was recovered intact and two out of three rockets from the second case, were also recovered subsequently.

(c) A case under section 379 I.P.C. was registered and is under investigation by the Government Railway Police.

(d) Instructions to provide armed escort to such consignments already exist and these are being enforced strictly. R.P.F. staff have been deployed in the area, in conjunction with the Government Railway and Civil Police.

उदयपुर में जस्ता गलाने का कारखाना

881. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 5 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 183 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया के मामलों की इन बीच जांच की है और उदयपुर में जस्ता गलाने का एक कारखाना कायम करने के बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). सरकार अभी इस विषय पर विचार कर रही है ।

मैंगनीज अयस्क उद्योग

898. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 5 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये बनायी गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Damage to Railway Lines in Punjab

883. Shri Bagri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recent floods in Punjab have damaged the railway lines also ;

(b) if so, at what places ; and

(c) the extent of damage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) 1. From Km 36/2 to Km 38/2 between Ramdas and Derababa Nanak on the Amritsar-Derababa Nanak section.

2. From Km 506/6 to Km 507/11 between Gurusar Sutlani and Atari on the Amritsar-Atari section.

3. From Km 471/4 to Km 472/9 between Jandiala and Mananwala on the Amritsar-Ludhiana section.

4. From Km 17/6 to Km 17/10 between Sirhind and Rupar on the Sirhind Nangal Dam section.

5. From Km 65/3-4 to Km 70/9-10 between Valtoha and Khemkarn on the Amritsar-Khemkarn section.

6. At Km 110/15—111/1 btween Barnala and Hadiaya on the Rajpura-Bhatinda section.

7. From Km 70/10 to Km 71/2-3 between Khalilpur and Pataudi Road on Delhi-Rewari section.

(c) Rs. 60,000 approximately.

रेलवे कर्मचारियों के लिये सस्ता उपभोक्ता माल

884. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने यह मांग की है कि महंगाई भत्ते के भुगतान के बजाय सस्ती दरों पर अनाज और दूसरे उपभोक्ता माल की सप्लाई के लिए तुरन्त दूकानें खोली जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल कर्मचारियों ने इस मांग के समर्थन में 'महंगाई विरोधी सप्ताह' मनाया था ; और

(ग) इस मांग के बारे में सरकार की क्या राय है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चीफ कमिश्नर, दिल्ली और रेलवे उपमंत्री को उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा कुछ समय पहले दिये गये ज्ञापन में यह प्रार्थना की गयी है कि 1949 से पहले रेल कर्मचारियों के लिए अनाज की दूकानों की जो प्रणाली उपलब्ध थी वह पुनः चालू की जाये ।

(ख) कुछ रेल कर्मचारियों ने 'महंगाई विरोधी सप्ताह' मनाया था ।

(ग) युद्ध के वर्षों के दौरान जो अनाज की दूकानें चलायी जा रही थीं उनसे काफी नुकसान होता था और अनेक कुप्रथायें फैलती थीं । अनाज जांच समिति तथा दूसरी समितियों ने इस पर विचार करके उन्हें जारी रखने का समर्थन नहीं किया था । सरकार उन दूकानों को पुनः चालू करने के पक्ष में नहीं है । फिर भी रेलवे प्रशासन से कहा गया है कि वह इस ओर ध्यान दे कि रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों या राज्य अधिकृत व्यापारियों के माध्यम से रेलवे बस्तियों में या उनके आस पास सस्ती दूकानें खोली जायें ।

उत्तर रलवे के क्लर्कों की परिसम्पद्

885. { श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालय के पर्सोनल ब्रांच के कुछ क्लर्कों और दिल्ली के माल क्लर्कों तथा पार्सल क्लर्कों के पास अनुमान से कहीं अधिक परिसम्पद् है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) ऐसे 11 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुपात से कहीं अधिक परिसम्पद् होने के मामलों की छानबीन हो रही है।

(ख) रेलवे सेवा (आचरण) नियमों में यह उपबन्ध है कि कोई भी रेल कर्मचारी प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना अपने नाम में या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में पट्टा, रेहन, खरीद, बिक्री, दान या और किसी तरह से कोई अचल सम्पत्ति न खरीदेगा न बेचेगा। रेलवे और इस मंत्रालय के विशेष पुलिस संस्थान और सतर्कता संगठन ऐसे मामलों पर निगरानी रखती है।

भिलाई में चौथी धमन भट्टी

886. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई में चौथी धमन भट्टी चालू कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो भिलाई इस्पात कारखाने की बढ़ायी हुई वर्तमान अयस्क परिष्करण क्षमता कितनी है ; और

(ग) भिलाई कारखाने की अयस्क सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). भिलाई इस्पात संयंत्र की चौथी और पांचवीं धमन भट्टियां चालू हो जाने पर अनुमान है कि लगभग 40 लाख टन सालाना लौह अयस्क की आवश्यकता होगी।

भिलाई इस्पात कारखाने की अयस्क सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही है :—

(1) राझरा मशीनीकृत खानों का विस्तार किया जा रहा है ताकि 1965 में 30 लाख मेट्रिक टन और उसके बाद 40 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हो सके। खानों में तीन पारियों में काम शुरू कर दिया गया है।

(2) झारन्डल्ली में अर्ध-मशीनीकृत खान से 1965 में 8 लाख मेट्रिक टन लौह अयस्क निकालने की योजना बनायी जा रही है। साथ ही दल्ली मशीनीकृत खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अनुमान है कि 1964 के अंत तक रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी।

भूतत्वीय मानचित्र

887. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रवीन्द्र बर्मा :
श्री रणुका बड़कटकी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समृद्ध क्षेत्रों के भूतत्वीय मानचित्र बनाने के लिए विद्युत-चुम्बकीय हवाई सर्वेक्षण करने के लिए अमरीकी तकनीकी सहायता मांग रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) किन किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाने वाला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रड्डी) : (क) जी हां। उस आशय की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) और (ग). इन मामलों के सबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

न्यूयार्क विश्व मेला

888. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क विश्व मेले के भारतीय मंडप में लगभग 3 लाख रुपये की खादी की सप्लाई के लिए एक ठेका लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ठेके की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या खादी की सप्लाई के लिए कुछ और योजनाओं के बारे में बातचीत चल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितनी योजनाएं निश्चित की गयी हैं और उनकी ठीक ठीक शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार अमरीका को खादी के निर्यात के संबंध में स्थिति यह है कि 50,000 रुपये की सूती खादी एक अमरीकी फर्म के साथ किये गये ठेके के अनुसार पहले ही भेजी जा चुकी है। 1,70,000 रुपये की सूती खादी दिसम्बर, 1964 में भेजी जाने वाली है और इसी तरह $3\frac{1}{2}$ लाख रुपये की सूती खादी मार्च, 1965 में भेजी जानी है। 17 लाख रुपये की सूती खादी के निर्यात के लिए भी बातचीत चल रही है। 90,000 रुपये की रेशमी खादी के निर्यात के लिए एक अस्थायी करार भी किया गया है। मार्च, 1965 में 2,40,000 रुपये की रेशमी खादी के निर्यात के लिए भी बातचीत चल रही है।

ठेके की वास्तविक शर्तें सरकार के पास नहीं हैं क्योंकि ऐसे व्यापारिक ठेकों की शर्तें विक्रेताओं और खरीददारों के बीच होती हैं।

शयन डिब्बे

889. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तीसरे दर्जे के शयन डिब्बों की गाफी अधिक मांग है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे और अधिक डिब्बे बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) अब तक ऐसे कितने डिब्बे बनाये जा चुके हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सभग सिंह) : (क) रेल गाड़ियों में तीसरे दर्जे के सोने की जगह की मांग है।

(ख) एक कार्यक्रम के आधार पर तीसरे दर्जे के अतिरिक्त शयन डिब्ब बनाये जाते हैं। तीसरी योजना क शेष अवधि में बड़ी लाइन के 226 और छोटी लाइन के 150 तीसरे दर्जे के शयन डिब्बे बनाने की योजना है।

(ग) बड़ी लाइन के 428 और छोटी लाइन के 220 तीसरे दर्जे के शयन डिब्बे।

उड़ीसा में पटसन मिल

890. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 13 सितम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 666 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा में एक पटसन मिल स्थापित करने की योजना के बारे में कोई निश्चय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी) : जी नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

हावड़ा के पास रेल का पटरी पर से उतर जाना

891. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जुलाई, 1964 को रात नौ बजे हावड़ा से लगभग 160 मील की दूरी पर बंशलाई पुल और राजग्राम के बीच एक मालगाड़ी पटरी पर से उतर गयी थी और कई घंटों तक लाइन बन्द रही ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच अब तक की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। 9 घंटे 44 मिनट तक लाइन बन्द रही।

(ख) जी हां।

(ग) स्थायी मार्ग बन्द पड़ने और गाड़ी को दोषपूर्ण चलाने के कारण दुर्घटना हुई।

भिलाई में इलेक्ट्रो-स्टील

892. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने में कुल कितना इलेक्ट्रो-स्टील तैयार किया जायेगा ;

(ख) क्या भिलाई में स्लैग सीमेन्ट कारखाना इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) उस कारखाने के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इलेक्ट्रोड किस्म के इस्पात की छड़ों का उत्पादन भिलाई में अप्रैल, 1964 में आरम्भ हुआ था और जुलाई, 1964 तक लगभग 10,000 मेट्रिक टन उत्पादन हुआ। उत्पादन का आयोजन समय-समय पर प्राप्त वास्तविक आदेशों पर निर्भर होता है। फिर भी अधिकतम ढलाई इलेक्ट्रोड उद्योग को हर महीने लगभग 3500 मेट्रिक टन इलेक्ट्रोड किस्म के इस्पात की छड़ें सप्लाई करने का विचार है ।

(ख) और (ग). जी नहीं। परियोजना रिपोर्ट और अनुमान अभी तैयार किये जाने हैं।

रेलवे वर्कशापों में प्रशिक्षित कर्मचारियों को ऊंची श्रेणी में रखना

893. श्री नम्बियार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक व्यक्ति वाले न्यायाधिकरण (शंकर सरण न्यायाधिकरण) द्वारा दी गयी सिफारिश पर पंचाट दिये जाने पर भी दक्षिण रेलवे के गोल्डन राक तथा पेराम्बूर के वर्कशापों के कारीगरों को ऊंची श्रेणी में नहीं रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस पंचाट को किसी अन्य रेलवे में कार्य रूप दिया गया है ; और

(घ) जहां कहीं इसे कार्य रूप दिया गया है वहां पर क्या पंचाट की शर्तों के अनुसार बकाया वेतन की अदायगी की गयी थी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). शंकर सरण पंचाट की सिफारिशों के अनुसार इन पदों की क्रमोन्नति कर दी गयी है और इस से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को ऊंचा वेतन-क्रम दिया जा रहा है। बकाया वेतन की अदायगी रोक दी गयी है चूंकि एक कर्मचारी ने न्यायालय में रिट पेटीशन दी हुई है।

(ग) और (घ). कुछ रेलवे में पंचाट को कार्य रूप दिया गया है और अन्य रेलवे में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पंचाट में बकाया वेतन की अदायगी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।चूंकि कुछ मामलों में पंचाट को पहले की तिथि से लागू किया जा रहा है इसलिये रेलवे को हिदायत दी गई है कि क्रमोन्नत पदों पर वास्तव में काम करने वालों को तब तक बकाया वेतन का भुगतान किया जाय जब तक कि उन पदों पर अर्ह कर्मचारी नियुक्त नहीं कर दिये जाते।

ब्रिटेन से कपड़ा तैयार करने वाली मशीनरी

894. **श्री रामपुरे :**
श्री धवन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री द० जी० नायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन से कपड़ा तैयार करने वाली मशीनरी आयात करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). भारत में राज्य व्यापार निगम और दो ब्रिटिश समवायों के बीच सूती और ऊनी कपड़ा तैयार करने की मशीनरी आयात करने के बारे में समझौता हो गया है । आयात की शर्तें निम्नलिखत हैं :

1. **प्लाट ब्रादर्स यू० के० से सूती कपड़ा तैयार करने वाली मशीनरी का कायात**

(1) संविदे पर हस्ताक्षर होने के बाद 30 दिन के अन्दर अन्दर विक्रेता को या मिडलैंड बैंक लिमिटेड, ओवरसीस ब्रांच, लन्दन, को संविदे की कुल राशि का पांच प्रतिशत पहले दिया जाना ;

(2) संविदे की कुल राशि के पांच प्रतिशत का पुष्टिकृत और अपरिवर्तनीय प्रत्यय-पत्र विक्रता को अदा किये जाने के लिये लन्दन में प्रस्तुत करना जिस की अदायगी मिडलैंड बैंक लिमिटड का प्रमाणपत्र पेश किये जाने पर की जा सके। उपर्युक्त प्रत्यय-पत्र के खोलने, उस की पुष्टि करने और उसे दिये जाने सम्बन्धी सारे व्यय विक्रेता द्वारा किया जायेगा ;

(3) संविदे की कुल राशि की पांच, पांच प्रतिशत की दो अग्रेतर अदायगियां जो विक्रेता के नाम संविदे की तिथि की खरीदार वचन-पत्र जारी करके, जिस की गारंटी भारत सरकार देगी, की जायेंगी और वह प्रदायगी संविदे की तिथि से क्रमशः 21 और 30 मास पश्चात् की जायेगी।

(4) सामान की कुल एफ० ओ० बी० की कीमत के शेष 80 प्रतिशत के लिये मिडलैंड बैंक लिमिटेड के साथ एक वित्तीय समझौता हुआ है जिस के अनुसार वह वहन-पत्र पेश किये जाने पर मशीनरी की एफ० ओ० बी० कीमत का 80 प्रतिशत प्लाट ब्रादर्स को अदा करेंगे । राज्य व्यापार निगम मशीनरी का मूल्य बैंक को वचन पत्रों के रूप में अदा करेगा जिन पर हर छः मास के पश्चात् रुपया मिल सकेगा और इस प्रकार वह दस वर्ष तक मिलता रहेगा ।

(5) 80 प्रतिशत पर ब्याज की दर सात वर्ष तक की अवधि तक 5½ प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी और सात वर्ष के पश्चात् दी जाने वाली राशि पर 8½ प्रतिशत प्रति वर्ष होगी (यह कर से मुक्त होगी)।

2. मैसर्स जिंक स्मेल्टिंग और स्टील लिमिटेड, यू० के० से ऊनी कपड़ा तैयार करने वाली मशीनरी का आयात

(1) आर्डर देने की तिथि से 14 दिन के अन्दर अन्दर एफ० ओ० बी० मूल्य के 10 प्रतिशत की अदायेगी होगी।

(2) एफ० ओ० बी० मूल्य के 5 प्रतिशत की अग्रेतर अदायगी नौवहन दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर की जायगी।

(3) एफ० ओ० बी० मूल्य की शेष 85 प्रतिशत राशि की अदायगी 20 छमाही किश्तों में की जायगी और पहली किश्त लदान की तिथि से छः मास पश्चात् दी जायगी।

(4) अदायगी की तिथि के पश्चात् अदा की जाने वाली शेष राशि पर ब्याज की दर छः प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

छोटे पैमान के उद्योग

895. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री रामपुरे :
श्री विभूति मिश्र :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास का विनियमन करने तथा उन पर नियंत्रण रखने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख). ऐसे छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास का विनियमन करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिन के लिये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होने वाली कच्चे माल की आवश्यकता होती है ताकि (1) ऐसे माल को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अधिक से अधिक बेहतर उपयोग में लाया जाय और (2) जो लोग छोटे पैमाने के एकक स्थापित करते हैं उन्हें अपनी क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठाने में कच्चे माल सम्बन्धी कोई कठिनाई पेश न आये। जिन छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऐसे कच्चे माल की जरूरत नहीं होती उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा।

रलवे स्टेशनों पर मट्टी रखने के स्थान

896. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे मार्गों पर कुछ स्टेशनों पर मट्टी रखने के स्थान बनाये गये हैं ताकि यात्री पाखाना करने के बाद उस से हाथ धो सकें ;

(ख) क्या ऐसे स्थानों पर मट्टी जमा रखने का भी कोई प्रबन्ध किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि वहां मट्टी कभी कभी ही रखी जाती है जिस के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी रेलवे को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं कि यात्रियों के लिये ऐसे स्थानों पर सदैव मट्टी मौजद रहे ।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

897. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 13 मार्च, 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1160 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के लिये पुनरीक्षित प्रस्ताव का निरीक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). जी हां । तकनीकी एवं विनियोग सहकारिता संबंधी शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये सार्थ के नाम क्रयादेश जारी कर दिया गया है जिस से संयंत्र एवं मशीनरी के आयात का प्रबन्ध भी हो सकेगा ।

डसलडोर में निरीक्षण विभाग

898. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 13 मार्च, 1964 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में डसलडोर में एक निरीक्षण विभाग खोलने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में सम्भरण मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां । इस बीच में प्रस्ताव के लिये स्वीकृति दे दी गयी है ।

(ख) इंडिया सप्लाई मिशन, लन्दन, से 15 पदों का और हस्तांतरण कर के और 4 अतिरिक्त पदों पर वहीं से भर्ती कर के ड सलडोर में निरीक्षण विभाग स्थापित किया जायेगा । उस विभाग में मुख्यतः तकनीकी अधिकारी होंगे जो पश्चिम यूरोप से खरीदे जाने वाले माल का निरीक्षण करेंगे । वह विभाग इंडिया सप्लाई मिशन, लन्दन के नियंत्रण में काम करेगा ।

मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब वाल्व कोरों का निर्माण

899. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या उद्योग तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब कोरों का निर्माण करने वाले छोटे एककों को आवश्यक कच्चे माल का सम्भरण नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मदों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). इस प्रकार के माल का निर्माण छोटे पैमाने के क्षेत्र में केवल एक एकक कर रहा है । उस एकक ने कहा था कि देशी साधनों से पीतल की सलाखें प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । इसलिये 6000 रुपये की सलाखों का आयात करने के लिये उन्हें अनुमति देने का निर्णय किया गया है । टैफलन ट्यूनिंग्स तथा अन्य कच्चे माल के आयात के लिये उन्हें आयात लाईसेंस जारी कर दिया गया है । एकक ने अभ्यावेदन किया है कि केवल एक पारी में प्रयोग में लाने के लिये भी जारी किये गये लाईसेंस की रकम अपर्याप्त है । इस पर विचार हो रहा है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

पूर्व रेलवे का डम-डम-बनगांव भाग

900. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे के डम-डम बनगांव भाग में विद्युतीकृत रेल पथों को दोहरा करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : इस भाग में विद्युतीकरण हो जाने से और इ० एम० यू० रेक्स के साथ उपनगरीय सेवाओं से, जिनकी यात्री ढोने की क्षमता काफी अधिक है, चौथी योजना के आरम्भिक वर्षों में 24 से अधिक गाड़ियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । सिगनल की आधुनिक पद्धति से और गाड़ी नियंत्रण सामान लग जाने से इस भाग में 36 गाड़ियां चलाई जा सकेंगी जो चौथी योजना के आरम्भ में प्रत्याशित यातायात से 50 प्रतिशत अधिक होंगी ।

लाईन को दोहरा करने पर बहुत लागत आती है और जब कोई अन्य सस्ता साधन उपलब्ध न हो सके। तभी लाईन को दोहरा किया जाता है । चूंकि उपर्युक्त साधनों द्वारा क्षमता पर्याप्त रूप से बढ़ाई जा सकती है इसलिये डम-डम बनगांव भाग की लाईन को दोहरा करने की जरूरत नहीं है ।

वर्कशाप शिशिक्षुता छात्रवृत्तियां

901. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्कशाप शिशिक्षुता छात्रवृतियां कम कर दी गयी हैं ;

(ख) क्या शिशिक्षुओं के लिये शुल्क रहित खान-पान की व्यवस्था करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां। यह ठीक है कि रेलवे में शिशिक्षुता अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत भरती किये जाने वाले व्यापार शिशिक्षुओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 75-1-79 रुपये से घटा कर 25.60 रुपये कर दी गयी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 'नामोद्दिष्ट व्यापारों' और 'गैर नामोद्दिष्ट व्यापारों' के लिये भर्ती किये जाने वाले व्यापार शिशिक्षुओं के लिये दो भिन्न छात्रवत्ति-क्रम निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। शुल्क रहित खान-पान की व्यवस्था संबंधी उपबन्ध न तो रेलवे नियमों में है न ही शिशिक्षु अधिनियम में।

श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारीवर्ग के लिए अवकाशार्थ व्यक्ति

902. **श्री तन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में, क्रमशः श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचरी के लिये अवकाशार्थ व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) इस में पाई जाने जाने वाली विषमता के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के लिये अवकाशार्थ व्यक्तियों की प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवाण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3179/64]

(ख) एक ही ग्रुप के इन दो श्रेणियों के कर्मचारीवर्ग के लिये अवकाशार्थ व्यक्तियों की प्रतिशशता में कोई विषमता नहीं पाई जाती ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए जनशक्ति संबंधी समिति

903. **श्री तन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की संख्या का पूर्व निर्धारण करने के लिये प्रत्येक रेलवे में एक जनशक्ति संबंधी समिति स्थापित की जा रही है ;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कमी के कारण दुर्घटनायें हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, क्या कर्मचारियों की अप्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिये रक्षित पद बनाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कर्मचारियों की संख्या का पूर्व निर्धारण करने के लिये प्रत्येक रेलवे में एक एक जन शक्ति संबंधी स्थापित करने सम्बंधी हिदायतें रेलवे प्रशासन को जारी कर दी गयी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु रेलवे दुर्घटना जांच समिति की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों की अप्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिये रक्षित पद बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

Construction of Railway Lines

904. Shri Chandak : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether repeated requests have been made to the Railway Administration for the construction of Parasia-Chhindwara and Nagpur-Chhindwara broad-gauge railway lines ; and

(b) if so, the reasons for not undertaking this project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) Chhindwara-Parasia-Nagpur section is a N.G. line and forms part of a very compact N.G. system in the Satpura area and traffic estimates have shown that this system is quite capable of meeting all traffic demands in the near future.

त्रिपुरा में चाय बागान

905. श्री बीरेन दत्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के किन्हीं चाय बागान के प्रबंधकों ने उद्योग वित्त निगम से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उन चाय बागानों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या उनको कोई ऋण दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) पिछले कुछ वर्षों में कोई नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

त्रिपुरा में बीच के पैमाने के उद्योग

906. **श्री दशरथ देव :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की तृतीय योजना में त्रिपुरा में कोई मध्यम स्तर का उद्योग खोलने का कार्यक्रम शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के क्या नाम हैं ; और

(ग) त्रिपुरा में इन उद्योगों को चालू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश्वर सिंह) : (क) से (ग). जी, हां। त्रिपुरा प्रशासन ने बड़े और मध्यम पैमाने की एक कपास कताई मिल, पटसन मिल और एक कागज की मिल स्थापित करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में जो प्रगति हुई है वह निम्न है :—

त्रिपुरा में 15,000 तकुओं की एक कपास कताई मिल स्थापित करने के लाइसेंस के लिये एक गैर सरकारी पार्टी से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। त्रिपुरा प्रशासन ने एक गैर सरकारी पार्टी द्वारा एक पटसन की मिल स्थापित करने की भी सिफारिश की है और त्रिपुरा प्रशासन से कहा गया है कि वह उस पार्टी से औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र देने के लिये कहे। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को त्रिपुरा में कागज मिल स्थापित करने के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है।

कोंकन क्षेत्र में रेलवे लाइन

907. **श्री कजरोलकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोंकन क्षेत्र में दिवा-दासगांव रेलवे लाइन के निर्माण के लिये कुछ समय पहले एक सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या इस परियोजना को आरम्भ करने के लिये जनता तथा महाराष्ट्र सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना का काम कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दिवा-दासगांव परियोजना के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण 1953–54 में किये गये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) दिवा से आपटा की एक रेलवे लाइन और पनवल से उस की एक शाखा रेलवे लाइन के निर्माण का काम जारी है। इसके अतिरिक्त लाइन को आपटा से आगे दासगांव तक बढ़ाने के काम को, तृतीय योजना के नई लाइनों के निर्माण के रेलवे कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। चौथी योजना में किन किन नई लाइनों को बिछाया जायेगा, इस बारे में योजना आयोग से बातचीत करके अन्तिम निर्णय किया जायेगा। इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय अन्य परियोजनाओं के साथ इस परियोजना पर भी उचित विचार किया जायेगा और इन सब के लिये चौथी योजना में उपलब्ध विधियों को ध्यान में रखा जायेगा।

कोयले का उत्पादन

908. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अप्रैल की अपेक्षा मई में कोयले का उत्पादन कम रहा है ; और

(ख) क्या मांग में कमी और स्टाक इकट्ठा होने के कारण हाल ही में कुछ खानें बन्द हो गई हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी हां। मई, 1964 में उत्पादन 52.1 लाख मीट्रिक टन हुआ जब कि इसकी अपेक्षा अप्रैल में उत्पादन 54.8 लाख मीट्रिक टन था।

(ख) मांग की कमी और स्टाक जमा होने के कारण हाल में कोई खान बन्द नहीं हुई है। पर्याप्त मांग के न होने के कारण श्रेणी 1 के कोयले की कुछ खदानों ने अपना उत्पादन सीमित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, हो सकता है निम्न श्रेणी के कोयले की कुछ खदानों ने स्टाक जमा होने के कारण अपना उत्पादन सीमित कर दिया हो।

बरेली से काठगोदाम तक छोटी लाइन

909. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली से काठगोदाम (पूर्वोत्तर रेलवे) जाने वाली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस अवस्था पर है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Catering and Refreshment establishments on Railways

910. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of catering and refreshment establishments on the Railways that have been taken over by the Railway Administration ;

(b) the number closed down due to loss ; and

(c) whether the reasons for loss had been enquired into fully ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Prior to 1955, departmental catering obtained on the Eastern, South-Eastern and Southern Railways at 58 stations and on 7 pairs of trains. From 1955 onwards, it was introduced at 55 more stations and on 27 pairs of trains on all Railways.

(b) and (c). Departmental catering at 19 stations and on 10 pairs of trains has been given up from 1955 onwards. Giving up of departmental running of catering establishments is not decided upon merely on account of loss in working but on their necessity and importance from the view point of passengers. Losses where they have occurred are mainly due to lack of adequate custom.

Paper Mill in Panipat

911. **Shri Rameshwaranand :** Will the Minister of **Industry** and **supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up paper mill in Panipat ; and

(b) if so,the action taken so far in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Mishra) : (a) and (b) . There is no proposal to setup apaper mill in Panipat by Government. However, a private party has been licensed to set up a paper plant in that place.

रेलवे के लेखा परीक्षण कर्मचारी

912. श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या **रेलवे** मंत्री 2 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लेखा परीक्षण कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को 'पास', और पी० टी० ओ० उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर मिलते हैं जो रेलवे कर्मचारियों पर लागू होती हैं अथवा कुछ खास श्रेणी के कर्मचारियों को ही मिलते हैं ; और

(ख) यदि प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है तो रेलवे लेखा परीक्षण कर्मचारियों की किन श्रेणियों को निःशुल्क 'पास' तथा पी० टी० ओ० की सुविधाएं दी जाती हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों के निजी मकान

913. श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि किसी भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को सरकारी क्वार्टर नहीं दिया जायेगा जिसका अपना मकान दिल्ली में उसके दफ्तर से 16 किलोमीटर से कम दूरी पर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने भी रेलवे विभाग के रिहायशी मकानों के संबंध में इस निर्णय का पालन करने का फैसला किया है ; और

(ग) यदि हां, तो राजधानी में सरकारी मकानों की भारी कमी को दूर करने हेतु इन मकानों को खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) विस्तृत हिदायतें जारी की जा रही हैं ।

जापान को कपड़ा मिलों का प्रतिनिधिमंडल

914. श्री जसवन्त मेहता : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री आर० ए० पोटदार के प्रतिनिधित्व में कपड़ा मिलों का आठ व्यक्तियों का एक उच्चशक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमण्डल अध्ययन दौरे पर जापान गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई रेलवे लाइनें

915. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से चौथी योजना में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर क्या विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). चौथी योजना में बिछाई जाने वाली नई लाइनों के लिये अपनी सिफारिशें भेजने के लिये राज्य सरकारों से अभी नहीं कहा गया है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने अपनी ही मर्जी से कुछ प्रस्ताव भेजें हैं। मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जो प्रस्ताव अब तक प्राप्त हुए हैं या जो भविष्य में प्राप्त होंगे, उन पर, योजना आयोग से बात चीत करके चौथी योजना के लिये नई लाइनों के संबंध में अन्तिम निर्णय करते समय विचार किया जायेगा।

रामगिरी में सोने की खानें

916. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खान विभाग ने रामगिरी और आन्ध्र प्रदेश में सोने की खोज संबंधी सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) खोज अभी जारी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता :

नरसिंघपुर के पास रेलवे फाटक का दूसरे स्थान पर ले जाया जाना

917. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर–इटारसी भाग पर दूहरी पटरी होने के कारण मध्य प्रदेश में केन्द्रीय रेलवे पर नरसिंघपुर के पास जो रेलवे फाटक है उसको किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यापार क्या है ; और

(ग) यह देखते हुए कि नया फाटक राष्ट्रीय राजपथ पर है, क्या इस फाटक पर सड़क यातायात के लिये एक ऊपरी पुल बनाने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) दोहरी लाइन बिछाने के कारण यार्ड में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है और इस वजह से नरसिंघपुर याड के जबलपुर सिरे के वर्तमान फाटक संख्या 278 को लगभग 580 फुट जबलपुर की ओर ले जाया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस स्थान पर सड़क का ऊपर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसके लिये राज्य सरकार ने कोई मांग नहीं की है ।

प्लास्टिक और लिनोलियम के उत्पादों का निर्यात

918. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964 में भारतीय प्लास्टिक और लिनोलियम के उत्पादों के निर्यात में काफी वृद्धि हुयी है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्द्धन परिषद, बम्बई द्वारा रखे गये आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जुलाई, 1964 तक की अवधि में 228.69 लाख रुपये के मूल्य के प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया जब कि वर्ष 1963 की इसी अवधि में यह 97.61 लाख रुपये का निर्यात हुआ। यह वृद्धि मुख्यतः निर्यात संवर्द्धन उपायों के कारण है ।

रेल परिवहन संस्था

919. श्रीमती रेणुका बड़फटकी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक नयी रेल परिवहन संस्था स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के उद्देश्य और कार्यक्रम क्या हैं ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सरकार ने ऐसी कोई संस्था स्थापित नहीं की है । तथापि रेल परिवहन के अध्ययन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा "रेल परिवहन संस्था" के नाम से एक सस्था बनायी गयी है जिसे दिल्ली के समितियों के रजिस्ट्रार के यहां पंजीवृत कराया गया है ।

(ख) जैसा कि इस संस्था के विधान में बताया गया है, संस्था के उद्देश्य और कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं ;

(1) रेल परिवहन के विज्ञान और कला के अध्ययन को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना और उसका समन्वय करना और इसके लिये रेल परिवहन के सर्वोत्तम

साधनों, तरीकों और उपकरणों में पहल करना, पड़ताल और अनुसंधान करना और रेल परिवहन से सम्बद्ध समस्याओं के बारे में सर्वाधिक संतोषजनक हल ढूंढ़ना।

(2) इससे सम्बद्ध सभी प्रश्नों के बारे में ज्ञान और जानकारी और विचारों को बढ़ाना, उसका विस्तार करना और फैलाना और समाज के सर्वोत्तम हित में रेल परिवहन के विकास और सुधार के सभी व्यवहार्य तरीकों में सहायता देना।

(3) रेल यातायात और रेल परिवहन के सम्बन्ध में भाषणमाला की व्यवस्था करना, कक्षाओं और परीक्षाओं का आयोजन करना, प्रमाणपत्र, मैडल, छात्रवृत्तियां और डिप्लोमा आदि देने की व्यवस्था करना।

(4) रेल परिवहन के विज्ञान और कला में विश्वविद्यालयों और कालिजों और अन्य शिक्षा संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम बनाना और भाषण, गोष्ठियां आदि के पाठ्य-क्रम बनाना, रेल परिवहन की विशिष्ट समस्याओं के बारे में अनुसंधान संबंधी मेडल और अन्य पुरस्कार देना।

अल्युमीनियम के कन्डक्टर

920. श्री चांडक : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्युमीनियम के कन्डक्टरों का तांबे के कन्डक्टरों के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) भारतीय केबल उद्योगों द्वारा वर्ष 1961-62 1962-63 और 1963-64 में कितनी मात्रा में विद्युद्अंशिक[1] तांबे और अल्युमीनियम का इस्तेमाल किया गया ;

(ग) अल्युमीनियम कन्डक्टरों का केवल एल० टी० केबलों में ही इस्तेमाल किया जा रहा है या एच० टी० पेपर इन्सुलेटेड केबलों में भी ; और

(घ) क्या यह सच है कि ऊंची एच० टी० केबल केवल अल्युमीनियम के ही बनाये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1961-62 1962-63 और 1963–64 में केबल उद्योगों में प्रयुक्त अल्युमीनियम और तांबे की मात्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष	अल्युमीनियम (टन)	तांबा (टन)
1961-62	25,190	20,760
1962-63	36,293	17,260
1963-64	35,287	18,750

[1]Elecrolytic.

(ग) अल्युमीनियम एच० टी० और एल० टी० दोनों प्रकार के केबलों में इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(घ) जी, हां । अधिक शक्ति वाले पावर ट्रांसमिशन के लिये प्रयुक्त सभी कन्डक्टर अल्युमीनियम के बनाये जाते हैं और ये कई वर्षों से इस्तेमाल किये जाते रहे हैं ।

मंत्रि-परिषद में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 11 सितम्बर, 1964 को श्री नि० चं० चटर्जी द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार शुरू करेगी, अर्थात् :

"यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है ।"

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने वाद-विवाद का स्तर ऊंचा रखा और उन्होंने व्यक्तिगत कीचड़ नहीं उछाला । सब भाषणों में श्री हीरेन मुकर्जी का भाषण सुन कर मुझे बड़ी निराशा हुई । मुझे उनसे अधिक अच्छे भाषण की आशा थी ।

वाद-विवाद में खाद्य स्थिति का अनेक माननीय सदस्यों ने जिक्र किया । चूंकि खाद्य तथा कृषि मंत्री ने व्यापक रूप से इस प्रश्न का विश्लेषण कर दिया है, अतः मैं इसके ब्योरे में नहीं जाऊंगा ।

हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम खाद्य समस्या को कैसे हल करें । इसके लिये हमें दो उपाय करने होंगे । एक तो हमें देश के भीतर से अनाज इकट्ठा करना होगा चाहे वह पंजाब से हो, या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश से । दूसरा काम हमें यह करना होगा चाहे वह हमें पसन्द न हो, कि हम विदेश से खाद्यान्नों का आयात करें । कुछ महीनों में आयात किया हुआ चावल और गेहूं आ जाने के बाद वर्त्तमान कठिनाई को हम हल कर लेंगे ।

हो सकता है कि डा० लोहिया की बात मैं न समझ पाया हूं लेकिन उचित मूल्य की गल्ले की दुकानें बन्द करने का कोई इरादा नहीं है । हम उचित मूल्य की गल्ले की दुकानों की संख्या बढ़ायेंगे । इन दुकानों का प्रबन्ध भी अच्छे ढंग से होना चाहिये । बताया गया है कि कुछ राज्यों में इन उचित मूल्य की दुकानों के लिये जो गल्ला दिया जाता है, उसमें से 25 या 30 प्रतिशत गल्ला चोरी छिपे निकाल करके खुले बाजार में बेचा जाता है । अतः उचित मूल्य की दुकानों का संचालन ठीक ढंग से होना चाहिये । देहातों में इन दुकानों का काम अच्छा नहीं रहा है, प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाला अनाज सरकार की सहायता से सस्ता मिलता है । इस पर सरकार बहुत अधिक सहायता देती रही है । 1961 में करीब 15 से 16 करोड़ रु०, 1962 में 21 करोड़ रु०, 1963 में 36 या 37 करोड़ रु० और अनुमान है कि 1964 में

करीब 50 करोड़ रु० खर्च होंगे। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि गरीब जनता को उचित मूल्य की दुकानों से गल्ला मिलता रहे। सरकार इस संबंध में निरन्तर सहायता करती रहेगी।

कुछ राज्यों में खाद्यान्न की स्थिति बहुत खराब है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार आदि। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी स्थिति खराब है। दिल्ली के कुछ भागों में भी खाद्यान्न की कमी है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की भी मदद करनी है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भी संकट है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जल-निरोध की भी समस्या है। पंजाब में यदि जल निरोध की समस्या हल हो जाये तो वहां करीब 2 लाख टन और गल्ला पैदा हो सकता है। इस कठिनाई के कारण वहां के किसान फसल नहीं बो पाते।

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सभी विभागों को ध्यान देना चाहिये। एक विशेषज्ञ ने यह राय दी थी कि पिछले कुछ वर्षों में बनी नहरों, पुलों, पुलियों के कारण और उनमें कोई समन्वय न होने के कारण जल-निरोध की समस्या बनी हुई है।

मैं सरकार की निन्दा कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि चाहे रेलवे विभाग हो, या परिवहन हो या सिंचाई विभाग हो, कोई भी विभाग इस बात के लिये अपने को उत्तदायी मानने के लिये तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि विभिन्न विभागों के कामों में कोई समन्वय नहीं है। इसमें मैं अपने को उत्तरदायी मानता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में कुछ समन्वय अवश्य होना चाहिये और जल-निरोध की समस्या हल होनी चाहिये। उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिये। मंत्रालयों के सचिवों की बैठक में भी मैंने इस बात पर जोर दिया था। मैंने उनसे कहा था कि हमारे मंत्रालयों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में कुछ समन्वय अवश्य होना चाहिये।

इसके अलावा अनाज के लादने-उतारने और पहुंचाने की व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिये। इस बीच रेलवे ने इस दिशा में बड़ी कुशलता से काम किया है। हमारा बड़ा उत्तरदायित्व है और आगे के दो महीने बड़ी कठिनाई के होंगे। अतः हमें जनता में या स्वयं में कोई निराशा की भावना नहीं पैदा करनी चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि हम कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे।

अमरीका के पत्तनों पर कुछ कठिनाई होने से आयात का अनाज आने में कुछ विलम्ब हो गया है। कुछ अन्य देशों को जा रहे अनाज के जहाजों को बीच से ही भारत भेज दिया गया है, अतः आशा है कि इस महीने के तीसरे सप्ताह तक हमारे यहां पर्याप्त अनाज आ जायेगा।

लेकिन मूल बात यह है कि हम खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ायें। हम दो कदम उठाने जा रहे हैं। जैसा कि खाद्य मंत्री बता चुके हैं हम खाद्यान्नों के उत्पादक के लिये मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं हम काफी समय से इस बात पर विचार कर रहे हैं। डा० लोहिया की बात की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यदि हम उत्पादक को अधिक मूल्य देंगे, तो कीमतें बढ़ती ही जायेंगी। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जायेगी। अतः हमें इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य भी इस मामले में हमारी सहायता करें। केवल आन्दोलनों से केवल लाभ नहीं होगा। तदर्थ मूल्य निर्धारित करने का काम एक निष्पक्ष संस्था

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

को सौंपा जाये। रबी की फसल की कीमतें जल्दी ही घोषित करनी होंगी। हमने केन्द्र में एक समिति नियुक्त की है श्री एल० के० झा उसके सभापति हैं और वित्त मंत्रालय व खाद्य मंत्रालय आदि के प्रतिनिधि भी इस समिति में हैं। उत्पादकों के मूल्य के संबंध में उनकी रिपोर्ट शायद अगले सप्ताह आ जायेगी और थोक तथा परचून व्यापारियों के मूल्य के संबंध में उसकी रिपोर्ट इस महीने के अन्त तक आने की आशा है। अगले वर्ष जनवरी में संभवत: मूल्य आयोग नियुक्त किया जायेगा, जो एक स्थायी संस्था होगी और निरन्तर यह काम करता रहेगा।

उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मदद देने का प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता कि हम यंत्रीकृत कृषि न अपनायें या हमारे यहां सूरतगढ़ जैसे फार्म न हों। लेकिन इस समय यदि हम यंत्रीकृत कृषि को अपनायेंगे, तो हमें मशीनों का आयात करने में विदेशी मुद्रा खर्च करना होगा। बाद में हम यंत्रीकृत कृषि अपना सकते हैं। इस समय तो हमें किसानों को पानी, खाद, अच्छे बीज, ऋण की सुविधायें आदि देनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि इससे उनका उत्पादन अवश्य बढ़ेगा।

मुझे स्मरण है कि श्री जवाहरलाल जी कहा करते थे कि उन्हें बड़े-बड़े बुलडोजरो, ट्रैक्टरों आदि की आवश्यकता नहीं है। वह चाहते थे कि हमारे किसानों को अच्छी बीज और अच्छे हल दिये जाने चाहिएं। मेरी भी यही राय है और मेरा सुझाव है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे।

इस सम्बंध में सामुदायिक विकास खण्डों का बड़ा महत्व है। मैंने श्री एस० के० डे को सुझाव दिया है कि कुछ वर्षों तक ये खण्ड कृषि उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दें। खण्ड के अधिकारियों को यह काम सौंप दिया जाये कि वे प्रत्येक खेत का दौरा करें और देखे कि उसमें कितनी प्रगति हुई है और यदि प्रगति नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं? उन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रगति की एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है। जब तक खण्ड के अधिकारी पैदल नहीं चलेंगे, वे गांव की जनता के साथ घुलमिल नहीं पायेंगे। हम लोगों को, जब हम बाहर जाते हैं, डाक बंगले में ठहरने के बजाय गांव में ठहरना चाहिए।

जैसा कि मैं बता चुका हूं मुख्य समस्या उत्पादन की है। मैं यह नहीं कहता कि एक या दो वर्षों में हम इस मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे। हमें अगले 6–8 वर्षों तक खाद्यान्नों का रक्षित भंडार बनाये रखने की आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है कि किसानों के सामने बाढ़, सूखे या अन्य प्रकार की कठिनाइयां आयें। रूस जैसे देश ने इस मामले में कमाल कर दिखाया है। रूस इस समय अमरीका से बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात कर रहा है। तो मैं यह बता रहा था कि जब रूस जैसे देश के सामने ऐसी समस्या पैदा हो सकती है, तो उनके सामने हमारी क्या स्थिति है।

इसके बाद वितरण की बात बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अखिल भारतीय खाद्यान्न निगम स्थापित करने की बात कही है। यह एक प्रयोग है। हम खाद्यान्नों का सारा कारबार अपने एकाधिकार में नहीं लेंगे। यह निगम अगली जनवरी से इसी के आसपास काम करना आरम्भ कर देगा। यह कोई विचारधारा का या सिद्धांत का प्रश्न नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि जनता को उचित मूल्य पर गल्ला मिल सके। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम राज्य व्यापार आरम्भ करने जा रहे हैं। कुछ सदस्यों ने हमारी आलोचना भी की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जापान में भी, जहां स्वतंत्र व्यापार की परिपाटी है, राज्य सारा अनाज इकट्ठा कर लेता है और

करीब 36,000 या 40,000 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा उसका वितरण होता है। उन्होंने बड़ी सफलता से यह काम किया है। वे बड़ी मात्रा में अनाज की कीमतों में राजकीय सहायता भी देते हैं। हम उतनी सहायता नहीं दे पायेंगे। अतः हम किसी नीति के कारण कोई काम नहीं कर रहे हैं। अनेक व्यवहारिक कदम हम उठायेंगे और देखेंगे कि देश के लिए क्या हितकर है। वही हम करेंगे। हम उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की व्यवस्था करने का पूरा प्रबंध करेंगे।

यह भी धारणा है कि राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सच है कि चावल और गेंहू के लिए राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु अब राज्यों को एक नये दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। कुछ राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन जरूरत से कम होता है, उनमें तो कठिनाई है ही। जो राज्य लगभग आत्मनिर्भर हैं, वे भी केन्द्र पर निर्भर हैं। इससे प्रशासन के सामने कठिनाई बढ़ गई है। वे उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न इस आशा से नहीं करते कि अन्त में केन्द्र हमें खाद्यान्न देगा ही। यह अच्छी बात नहीं है।

मैं सामान्य प्रयोग को वस्तुओं जैसे कपड़ा, चीनी, बनस्पति तेल, सब्जी, दियासलाई, नमक, साइकिल के टायर और ट्यूब की कीमतें बढ़ जाने के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इन 10 या 12 वस्तुओं की कीमतें निर्धारित हों जानी चाहिएं। कपड़े के संबंध में तो एक योजना बन गई है कि साड़ियों, लट्ठे, धोतियों, ज़ीन, कमीज के कपड़े आदि में मूल्य पर नियंत्रण कर दिया जाये। इस प्रकार आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कपड़े उचित मूल्य पर बेचे जाने चाहिएं। श्री मनुभाई शाह ने मुझे बताया है कि इन कपड़ों पर कानूनी मूल्य नियंत्रण हो जायेगा। इन कपड़ों पर स्टैम्प लगाया जायेगा।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : दवाओं के बारे में क्या होगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक औषध तथा दवाइयों का सम्बंध है मैंने कुछ अधिकारियों को बाजार में भेज कर दवाइयां मंगाई थीं। उन्होंने बताया है कि उनके मूल्यों में कोई वद्धि नहीं हुई। दियासलाई पर कुछ लोग एक नया पैसा फालतू ले रहे हैं।

हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को राहत मिले। अमीर तो बढ़िया कपड़ा और बढ़िया दवाइयां भी खरीद सकते हैं।

चाहे कृषि हो या उद्योग, ऐसे निकाय की आवश्यकता है जो वस्तुगत दृष्टि से एकीकृत योजना बनाए। इसलिए हमें योजना का सिद्धांत सर्वथा मान्य है।

श्री दांडेकर का भाषण सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। मुझे ज्ञात है कि वे सुयोग्य आई० सी० एस० अफसरों में से एक हैं किन्तु उन्हें लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का कुछ पता नहीं। सफलता को आंकड़ों द्वारा देखा जा सकता है। इस अवधि में खाद्यान्न का उपभोग 13.5 औंस से बढ़ कर 15.3 औंस, कपास का 10.98 मीटर से 14.63 मीटर, चीनी का 3.2 से 5.2 तक हो गया है। इसी तरह अन्य वस्तुओं का उपभोग बढ़ा है। इन वर्षों में श्री नेहरू जैसे महान नेता के नेतृत्व में भारत के लोगों ने महान प्रयत्न किये हैं। निस्संदेह विकास काल में अत्यंत गम्भीर समस्याएं पैदा हुआ करती हैं। किन्तु ये प्रगतिशील राष्ट्र की समस्याएं हैं।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

जैसा गृह मंत्री ने कहा है, संथानम आयोग की नियुक्ति के लिए मैं उत्तरदायी हूं । उनके पद निदश में राजनैतिक लोगों का उल्लेख नहीं था किन्तु मैंने श्री सन्थानम से कहा था कि वे अनौपचारिक रूप से इस बारे में मुझे बताएं ।

नन्दा जी ने राजनैतिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है । यद्यपि यह काम बहुत जटिल है किन्तु मैं इससे मुंह नहीं मोड़ता । किन्तु ऐसे मामलों में कानून बहुत प्रभावी नहीं होता अतः हमें कुछ प्रथाएं बनानी होंगी । एक प्रथा यह होगी कि यदि प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री किसी मंत्री से कहे कि उसके खिलाफ कोई मामला है तो उस मंत्री को तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए ।

मुख्य मंत्री किसी छोटे राज्य का हो या बड़े का वह एक उत्तरदायी पद का प्रभारी होता है, अतः उसे हर समस्या प्रधान मंत्री को नहीं सौंपनी चाहिये । मुख्य मंत्रियों को संदेह से परे होना चाहिये । कुछ मुख्य मंत्रियों के बारे में जो बातें यहां कहीं गई थीं उनकी जांच पर वे निराधार पाई गई थी। कैरों का मामला स्वयं नेहरू जी ने न्यायिक अधिकारी को सौंप दिया था। मुझे खेद है कि हमारे दल के अपने लोग बिना जांच के निराधार आरोप लगाते हैं । एक संगठन के सदस्य होने के नाते उन्हें दल के नेताओं को बताना चाहिये । इसका यह अभिप्राय नहीं कि वे देश के प्रति उत्तरदायी नहीं बल्कि अभिप्राय यह है कि समाचार पत्रों को सूचना देने से पहले उन्हें दल को सूचित करना चाहिये । मुख्य मंत्रियों को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिये । यदि उनके विरुद्ध कोई शिकायतें हों तो पहले उन्हें स्वयं निर्णय करना चाहिये और फिर मुझे निदश करना चाहिए । मैं विश्व को यह आभास नहीं देना चाहता कि यह देश भ्रष्टाचार से भरा हुआ है ।

मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में ईमानदारी का सर्वाधिक सम्मान किया जाता है । विनोवा भावे जैसे ईमानदार और श्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना में प्रधान मंत्री का सम्मान यहां कम होता है । अतः सामान्यतः यह देश ईमानदार है ।

एक बात यह है कि मंत्रियों और प्रशासन को स्व विधेक का इस्तेमाल भी करना पड़ता है । इसके बिना तो प्रशासन जड़वत हो जायेगा । यदि हम अधिकारियों पर विश्वास न करे तो उससे बहुत कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी क्योंकि प्रशासन का सारा संचालन उन्हें करना होता है ।

मैं श्री संजीवा रेड्डी को मंत्रिमंडल में लेने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जब कहीं परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो इस धंधे के लोग सदा इसका विरोध करते हैं । ऐसा ही आंध्र प्रदेश में हुआ था । वहां के उच्च न्यायालय ने कहा था कि मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए,किन्तु उच्चत्तम न्यायालय ने कहा कि ये आरोप खंडित नहीं किये गये। मुख्य मंत्रीको राज्य के कानूनी सलाहकार ने कहा था कि वे शपथ पत्र न दें, इसलिए उन्होंने शपथपत्र नहीं दिया । अतः तकनीकी आधार पर उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन नहीं किया । इसी प्रकार के तकनीकी विषय पर इस सभा में कहा गया था कि श्री कैरों को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए । किन्तु श्री संजीवा रेड्डी ने अनुभव किया कि उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय के बाद उन्हें पद पर आरूढ़ नहीं रहना चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : उच्चत्तम न्यायालय ने तो लिखा है कि निगम ने कोई और निर्णय किया था और श्री संजीवा रेड्डी ने उसे बदलवाया ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं उनके साथ इस निर्णय पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं । इसके अन्त में लिखा गया है कि आरोपों का खण्डन नहीं किया गया । केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने श्री संजीवा रेड्डी के पद त्याग की सराहना की क्योंकि यह लोकतंत्र की उच्च परम्परा के अनुकूल था । इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था ।

श्री हीरेन मुकर्जी ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं श्री नेहरू के पथ से विचलित हो रहा हूं । प्रोफेसर होने के नाते उन्हें स्थिति को समझ लेना चाहिए था किन्तु वे साम्यवादी हैं अतः उनके लिए समझना कठिन है । लोकतत्र में पथ से विचलित नहीं हुआ जाता । मैंने पद भार संभालते ही कहा था कि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में श्री नेहरू की नीति का पालन करेगी और आन्तरिक मामलों में लोकतंत्रात्मक समाजवाद के आदर्श की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहेगी । किन्तु फिर भी उन्होंने मेरी आलोचना की है । इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सोचने की स्वतंत्रता होती है । स्वातंत्र संघर्ष के 40 या 42 वर्ष के इतिहास से यह बात स्पष्ट हो जाती है । महात्मा गांधी ने जब उस संघर्ष की बागडोर संभाली तो उन्होंने उसके दर्शन में आमूल परिवर्तन कर दिया था । लोक मान्य तिलक इस सिद्धांत के पक्ष में थे कि "जैसे को तैसा" व्यवहार करना चाहिए । श्री अरविन्द सशस्त्र संघर्ष के पक्ष में थे । गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया । नेहरू जी उनके शिष्य थे किन्तु उन्होंने अहिंसा को कभी सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाया । फिर भी वे गांधी जी के निष्ठावान भक्त थे और उन्होंने अहिंसा को इस रूप में अपनाया था कि श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए उपाय भी श्रेष्ठ अपनने चाहियें । उन्होंने अहिंसा में शान्ति का संदेश पाया था । नेहरू जी ने विश्व भर में अहिंसा और शांति का सन्देश पहुंचाया । प्रशासन का कार्यभार संभालने पर वे गांधी जी के सब सिद्धांतों कोप्रशासन में कार्यान्वित नहीं कर सके ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : Will you also have the same relation to Nehruji.

Shri Lal Bahadur Shastri : I would frankly tell about that as well.

भारत की ही बात क्यों कही जाए । रूस को लीजिए । लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को पूर्ण-रूपेण कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया किन्तु विफल होने से उसने नई आर्थिक नीति को अपनाया । उसके बाद स्टालन तो क्रान्तिकारी था ही नहीं । वह तो केवल अपने शासन को सशक्त बनाने और सत्तारूढ़ रहने के लिए हीं प्रयत्न करता रहा है । श्री खुश्चेव ने स्टालिन से सर्वथा भिन्न मार्ग को अपनाया है । साम्यवाद के क्षेत्र में दूसरे महान नेता माओत्सीतुंग ने किस मार्ग को अपनाया है उसे आप सब जानते हैं । श्री ख्रुश्चेव सब से महान हैं क्योंकि वे पिटे पिटाये मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं ।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : तब सरकार को अक्सर नेहरू के नाम का सहारा नहीं लेना चाहिए ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम अपने कृत्य के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं किन्तु हम अपने महान नेता को कभी भूल नहीं सकते ।

मैंने नेहरू जी से दो बातें सीखी हैं । उनकी एक खूबी यह थी कि वे उन लोगों के साथ मिल कर भी काम कर सकते थे जिनके साथ उनका सर्वथा मतभेद होता था । विपक्षी सदस्यों की अपेक्षा मैं उन्हें अधिक अच्छी तरह जानता था । टंडन जी के साथ उनका घोर मतभेद था किन्तु फिर भी वे उनसे मिल कर काम करते थे ।

श्री हेम बरुआ : वे बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, बल्कि वे अधिक सीधे थे । इतने सीधे थे कि यदि कोई उन्हें बताता था कि अमुक व्यक्ति बुरा है तो उन्हें विश्वास नहीं होता था किन्तु किसी व्यक्ति के यह कहने पर उसकी व्यर्थ में निन्दा की जा रही है वे तुरन्त मान लेते थे ।

(श्री खाडिलकर पीठासीन हुए ।
SHRI KHADILKAR *in the Chair*)

श्री बुलगानिन और श्री खुश्चेव को दिये गये भोज में श्री नेहरू ने कहा था कि हमारे देशों में मैत्री-भाव बढ़ रहा है, यद्यपि हमने अलग-अलग मार्गों को अपनाया । हमारी अलग परम्परा है । हम विश्व-शांति में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि अच्छे उद्देश्य के लिए अच्छे उपाय अपनाने चाहियें । हम किसी सैनिक गुट में नहीं हैं । हमारा शिविर शांति और सद्भावना का शिविर है । इससे पता चलता है कि श्री नेहरू की नीति क्या थी और हम उसी नीति पर चलते रहेंगे । मैं सर्वथा अपनी ओर से काम नहीं कर सकता । मैं एक राजनैतिक संगठन का सदस्य हूं और उसने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPAKER *in the Chair*)

उस संगठन के आदेश का मुझे पालन करना है । यह संगठन भारत के जनमानस का प्रतिनिधित्व करता है । इस उद्देश्य से विचलित होते ही इस संगठन का भी अन्त हो जाएगा । इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करता और न मूलभूत नीति से विचलित हो सकता हूं । हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे और इसे यथासंभव शीघ्र प्राप्त करेंगे ।

श्री हीरेन मुकर्जी को हम में फूट डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं ; मैं उनकी चाल में नहीं आ सकता ; किन्तु मुझे उनसे सहानुभूति है । हमारी नीति और प्रशासन की वह जो आलोचना करते हैं, मैं उसे स्वीकारने और पधारने के लिए तैयार हूं, किन्तु उन द्वारा किए गए आरोपों पर मुझे बहुत दुःख हुआ है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : जब प्रधान मंत्री का उल्लेख किया जाता है तो वह व्यक्तिगत उल्लेख नहीं होता, बल्कि मंत्रि मंडल के प्रतिनिधि के रूप में उल्लेख होता है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : आप मंत्रि मंडल के सभी निर्णयों को देखिये । उन सब में हमने सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है । वास्तव में उनकी समस्या यह है कि साम्यवादी दल में फूट है, इसलिए वे इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमन्, व्यवस्था का एक प्रश्न है । मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था किन्तु राजनैतिक आरोप लगाया था । परन्तु वे बार बार कह रहे हैं कि उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाया गया ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अच्छा होता कि जिस समय वे बोल रहे थे उस समय भी उनका यही रुख रहता । विचित्र बात है कि वे मुझे सिद्धांत के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं । किन्तु साम्यवादी

दल का क्या हुआ। चुनाव के समय उन्होंने डी० एम० के० के साथ गठजोड़ किया था। जिस समय चीन का आक्रमण हुआ तो वे शंकाग्रस्त थे और भारत तथा चीन को एक ही सार पर देख रहे थे। वे कहते थे कि आक्रमण तो हुआ है किन्तु आक्रान्ता कौन है। पता नहीं कि यदि उन्हें आक्रान्ता का पता नहीं तो वे इस देश का क्या करेंगे। फिर भी मैं श्री हीरेन मुकर्जी को इस बात का श्रेय देता हूं कि आखिर उन्हें अब पता चला है कि चीन की नीति क्या है। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता, क्योंकि उस पर चर्चा होगी। किन्तु हम ने इस क्षेत्र में एक निश्चित मार्ग को अपनाया है और वह मार्ग है : समझौते का मार्ग तथा उपनिवेशवाद एवं जातीय भेदभाव का विरोध। युद्ध का खतरा विश्व के लिए घातक है।

श्री जय प्रकाश नारायन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे मेरा कोई पत्र नहीं ले कर गये थे। वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान---दोनों में साम्प्रदायिकता को समाप्त किया जाय और मैं इस काम में कोई बाधा नहीं डालना चाहता। काश्मीर के बारे में हमारी वही नीति है जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री की थी। मैं अलग-अलग रहने में कोई विश्वास नहीं रखता बल्कि दूसरों के साथ विचार-विमर्श करके दूसरों का मत जानने में विश्वास रखता हूं। चीन के सम्बंध में स्थिति वैसी ही हैं, किन्तु आवश्यक समझने पर उनके साथ बात-चीत की जा सकती है। हम अपनी रक्षा-सेनाओं को सुदृढ़ बना रहे हैं और इस बारे में रक्षा-मंत्री सोमवार को वक्तव्य देंगे। मैलेशिया के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बंध हैं और हमने सदा इस बात का समर्थन किया है कि इण्डोनेशिया और मैलेशिया को परस्पर मिल कर अपने मामले हल करने चाहियें। अन्त में मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र और समाजवाद को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और हम राजनैतिक स्थायित्व के लिए प्रयत्न-शील रहेंगे। समाजवाद से हमारे श्रमिकों का जीवन सुधरेगा और जन-कल्याण होगा।

Shri Bagri : The Prime Minister may kindly specify that we shall not have any agreement with China by giving away ourland to her.

Shri PrakashVir Shastri (Bijnaur) **:** The Prime Minister has asked that no-body should interrupt him and if there is any question that may be asked after his speech is over. So I rise to ask him to tell the country through this house as to what is the policy of the Government in regard to Sheikh Abdullah because after his release the situation in Kashmir has deteriorated.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए वचनबद्ध है तो क्या वे इसके लिए भी वचनबद्ध हैं कि चीन ने आक्रमण द्वारा जिस भूमि पर कब्जा किया है उसे बातालाप द्वारा छुड़ाया जायगा।

Shri Lal Bahadur Shastri : As far as Kashmir is concerned Sheikh Abdullah was released after eleven years. Naturally he had some ideas which he could not express and now after his release he had expressed them. So there is nothing alarming in it. If his activities tend to jeopardise the security of the country necessary action will be taken.

Shri Prakash Vir Shastri : When Sheikh Abdullah is talking of the secession of a part of the country, why Government is tolerating it ?

Shri Lal Bahadur Shastri: His tone about secession is now much subdued. He is careful to dissuade himself from doing anything which might deteriorate the communal situation. The question of Kashmir is an internal matter of the Kashmir Government. We should be patient in regard to that.

As regards China I do not like to close the doors for negotiations, provided that honourable basis is offered for that. Giving away a tract of land is not possible even for the Prime Minister. It is deplorable that when we follow the path at peaceful negotiations, it is that we are showing weakness. The fact is that one who holds peaceful talks is:not necessarily weak. We shall have talks with China but we cannot say as to what would be the results.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान): हम ने प्रधान मंत्री को दो घंट से भी अधिक समय तक सुना है किन्तु खेद है कि उन्होंने कुछ बातों का उत्तर ही नहीं दिया ।

हम स्पष्ट शब्दों में यह जानना चाहते थे कि वे नेहरू जी की नीति से तो विमुख नहीं होंगे और भारत की भूमि देकर तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा । हमें यह जानने में कोई रुचि नहीं कि प्रतिरक्षा मंत्री ने कहां कहां से शस्त्रास्त्र प्राप्त किये हैं। उन के उत्तर से हम सन्तुष्ट नहीं हुए। हमें आशंका है कि सरकार कोलम्बो प्रस्तावों पर इतनी बचनबद्ध है कि यह मामला खटाई में ही पड़ा रहेगा और देश के सम्मान और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा ।

श्री हनुमन्तैया द्वारा कहेगये सराहना के शब्दों के लिए मैं आभारी हूं । किन्तु उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि मेरा रुख प्रान्तीयता का रहा है । बंगाल में शरणार्थियों की समस्या एक प्रान्त की समस्या नहीं है बल्कि राष्ट्रव्यापी समस्या है । श्री त्रिदिब कुमार चौधरी द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को जिसमें कहा गया है कि इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जायगा इस सभा ने स्वीकार कर लिया था किन्तु खेद है कि उसे कार्यान्वित करने के लिये कुछ नहीं किया गया। मैं चुनौती देता हूं कि यहां कोई भी सदस्य यह बता दे कि मैं ने कभी प्रान्तीयता और सम्प्रदायिकता की बात कही है। अतः श्री मुरारका जैसे महत्वपूर्ण सदस्य की ओर से यह आरोप मिथ्या और अनुचित है ।

श्री नन्दा के भाषण से मुझे अत्यन्त निराशा हुई । वे इस प्रकार बोल रहे थे मानो ईश्वर के प्रतिनिधि सामान्य मनुष्यों को सम्बोधन कर रहे हों । उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यह प्रस्ताव लाकर लोकतंत्र का अनिष्ट किया है । मेरा दावा है कि हमने इस द्वारा लोकतंत्र के उद्देश्य की पूर्ति की है ।

प्रधान मंत्री ने खाद्यान्न के बारे में बहुत कुछ कहा किन्तु खाद्यान्न के मूल्यों का कोई उल्लेख नहीं । खाद्य मंत्री भी आत्म श्लाघ्य में लगे रहे और कह दिया कि मूल्य वृद्धि की जिम्मेदारी विपक्ष की है और यह न बताया कि सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में विफल क्यों रही है । आज स्थिति यह है कि इस मूल्य वृद्धि के कारण हजारों लोगों को दो जून भोजन नहीं मिलता । यहां श्री नन्दा जी खड़े होते हैं और कांग्रेस की प्रशंसा का बखान करने लगते हैं।

रामगढ़ के राजा कामाख्यनारायण सिंह अपने 50 साथियों सहित स्वतंत्र दल को छोड़ कर कांग्रेस में प्रविष्ट हो रहे हैं और वे कहते हैं कि कांग्रेस की रीति नीति इनकी विचारधारा के सर्वथा अनुकूल है। इस प्रकार के अवसरवाद से कांग्रेस की शक्ति का निर्माण हो रहा है जो इस बात का परिचायक है कि इस संगठन का पतन होने वाला है ।

1943 में बंगाल में अकाल से 30 लाख लोग मर गये थे और ब्रिटिश सरकार के वायसराय ने वहां तक जा कर स्थिति को जानने का कष्ट तक नहीं किया था । आपसे निवेदन है कि आप जा कर देखें वहां क्या हो रहा है । उस दुर्भिक्ष के समय नेहरू जी इस बात पर स्तम्भित रह गये थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मर गये पर फिर भी किसी मुनाफाखोर और चोर बाजारी करने वाले को दण्ड नहीं दिया गया । आज का दुर्भिक्ष भी मानव निर्मित है इस सरकार की करतूत का फल है । हमारा यह आरोप है कि आप मुनाफाखोरों और चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर ही नहीं सकते क्योंकि वे लोग आपके दल को चन्दा दे कर दण्ड से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । आपने इस आरोप का कोई प्रतिवाद नहीं किया । किसान गांव के महाजन का गुलाम है । आप उसे कैसे मुक्ति दिला रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मुख्य आरोपों का उत्तर नहीं दिया गया । आज निम्न आय वर्ग के लोग कितने पीड़ित हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र को बंगाल का खाद्य भंडार कहा जाता है किन्तु वहां 350 दुकानों में से 300 के लाइसेंस राजनैतिक कारणों से रद्द कर दिये गये हैं और 10 नई सहकारी समितियों को लाइसेंस दे दिये गये हैं जो सर्वथा बोगस समितियां है । स्थिति है कि लोगों के पास पैसा होते हुए भी चावल नहीं मिल रहा । चोर बाज़ार में 45 रुपये मन चावल जितना चाहे खरीद लें । वितरण की यह व्यवस्था अत्यन्त निकृष्ट है ।

हमें यह जानकर संतोष हुआ कि श्री जयप्रकाश नारायण प्रधान मंत्री का पत्र लेकर नहीं गये थे। किन्तु आशंका है कि सरकार का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त है और वे काश्मीर को देने के लिए प्रयत्नशील हैं।

वित्त मंत्री ने राष्ट्र मंडल सम्मेलन के बारे में लम्बा चौड़ा भाषण दिया किन्तु भारत के नाम को कलंकित करने के अपने कृत्य का प्रतिवाद नहीं कर सके।

समाचार समिति का प्राय: अन्त हो रहा है । कांग्रेस के प्रधान ने स्वयं एक वक्तव्य में जो "इकानिमिक रिव्यू" में प्रकाशित हुआ है स्वयं कहा है कि लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास प्रकट किया था कि आदर्शों का पालन करेगी किन्तु अनन्य सत्ता के कारण उसमें दोष आ गये हैं वह भ्रष्ट हो गई है । यह देश की तबाही का द्योतक है इसलिये हमने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्री परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है ।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 50 : विपक्ष में 307

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हैवीं इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के कस्टडी स्टोर में आग लग जाना

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली): मैं उद्योग और संभरण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उन से निवेदन करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :

> "हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, के कस्टडी स्टोर में 11 सितम्बर, 1964 को आग लग जाने से हुई हानि ।"

उद्योग तथा संभरण मंत्री (श्री दासप्पा) : 10–11 सितम्बर, 1964 की रात में फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट, रांची के अभिरक्षा (कस्टडी) स्टोर्स में आग लग गई थी । बिहार सशस्त्र पुलिस के एक सिपाही ने जो ड्यूटी पर तैनात था, लगभग 1–45 बज (प्रातः) पर गोदाम से धुआं निकलते हुए देखा । उसने तत्काल ही फायर ब्रिगेड तथा उस समय ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों को इसकी सूचना दी । 10 मिनट के अन्दर ही फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंच गया । इसी बीच दुर्घटना की सूचना मिलते ही कारपोरेशन के सभी उच्च अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े । फायर ब्रिगेड ने गोदाम के दरवाज़े के ताले को तोड़ दिया तथा आग देखे जाने के आध घंट से भी कम समय के भीतर आग बुझा दी । इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि घटना से पहले वाले दिन लगभग साढ चार बजे शाम को गोदाम में ताला बन्द था और उस पर सील लगी हुई थी । गोदाम में आयात किये हुये साज़ सामान के बंडल थे जो अधिकतर फाउन्ड्री फोर्ज के फेटलिंग सैक्शन में काम आते हैं। इस साज़ सामान में बिजली के मोटर, कन्ट्रोल पेनल तथा प्रेशर पम्प आदि थे। आग का असर तेरह बंडलों पर पड़ा है । इन में से 6 बंडल बुरी तरह जल गये, चार थोड़े जले तथा शेष तीन बंडलों को केवल थोड़ी क्षति पहुंची है । इन बन्डलों में जो साज सामान था उसका कुल मूल्य 1.60 लाख रुपये था । वास्तविक क्षति का अनुमान 1 लाख रुपये से कम लगाया गया है क्योंकि सात बंडलों में जो सामान था उसके काफी हिस्से को नष्ट होने से बचाया जा सकता है तथा उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करके उसका यथोचित इस्तेमाल किया जा सकता है । इस सामान का बीमा इंडियन इन्श्योरेंस पूल से कराया गया था । बीमा कम्पनी से सम्पर्क स्थापित किया जा चुका है और उससे कह दिया गया है कि वह सर्वेक्षण करने के लिये तत्काल ही अपने प्रतिनिधि भेजे ।

गोदाम में बिजली की लाइन की जांच करने से पता चला कि आग शार्ट सर्किट से नहीं लगी थी । गोदाम के अन्दर बिजली बुझी हुई थी ।

राज्य सरकार के चीफ फायर आफिसर जिन्हें बुला लिया गया था, घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, पुलिस अधिकारियों ने भी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है ।

आग लगने के सम्भाव्य कारण का पता लगाने तथा प्रारम्भिक रिपोर्ट देने के लिये एक विभागीय जांच कमेटी बना दी गई है । इस कमेटी में चेकोस्लोवाकिया के दो विशेषज्ञ भी शामिल किये गये हैं। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री ब्रजराज सिंह : नौ मास में यह दूसरी घटना हो चुकी है, क्या इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार का विचार है कि इन घटनाओं के पीछे राजनतिक हाथ है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस बारे में जांच रिपोर्ट मिलने पर पता लग सकता है । पहली जांच में जजों ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When is the report likely to be received ? Whether some persons have been arrested in this connection.

The Minister of Heavy Engineering in the Ministry of Supply (Shri T. N. Singh) : Interim report will be received in a day or so and the final report also will be available soon.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 और कोयले के क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, 1957 अधीन अधिसूचनायें

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीवा रेड्डी): मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत 15 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1144 **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3162/64]**

(दो) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 5 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3051 में प्रकाशित कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) दूसरा संशोधन नियम, 1964 । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० 3183/64]**

रेलवे ...लय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : मैं एक विवरण, जिसमें 1964-65 की अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में एक सदस्य से प्राप्त ज्ञापन का उत्तर दिया हुआ है सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3194/64]**

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधन्द्र मिश्र) : मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत [पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता की वर्ष 1962–63 की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3165/64]**

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार और संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करना चाहता हूं कि 21 सितम्बर, 1964 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा :—

(1) आज के क्रम पत्र में से सरकारी कार्य की जो मद रह जाए उस पर विचार

(2) निम्नलिखित पर विचार और पारित करना :

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1964

विधि मान्य निविदा (अन्तर्लिखित नोट) : विधेयक, 1964 ।

(3) केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये प्रख्यापन पर गृह-कार्य मंत्री द्वारा पेश किये गये संकल्प पर विचार :

(4) निम्नलिखित पर विचार और पास करना :

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा शर्तों में संशोधन) विधेयक, 1964।

प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1964

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1963, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(5) प्रश्नों को निबटाने के बाद शुक्रवार, 25 सितम्बर, 1964 को वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने पर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके बारे में भारत सरकार की नीति पर चर्चा।

Shri Jagdev Singh Sidhanti (Jajjar) : I may request that time may kindly be allotted for discussion on flood situation.

Mr. Speaker : I have sent your notice to the Committee which would decide for allotment of time for this item.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): श्रीमन, मैंने गत बार भी कहा था कि बोनस आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिये। माननीय मंत्री ने कहा था कि उस बारे में विधान लाया जा रहा है किन्तु वह नहीं लाया गया । दूसरे महलनोविस रिपोर्ट और संथानम समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिये।

Shri Bagri (Hissar) : I submit that the resolution regarding Committee on iradication of corruption may be taken up in the next week and the report of Backward Classes Commission may be discussed during this week.

Shri Prakash Vir Shastri : A no-day-yet-named motion regarding the report of Das Commission was admitted. That must be discussed during this session.

Shri Shivmurthi Swami : The report of Das Commission regarding inter state water disputes must be discussed.

Shri Harish Chandra Mathur : This House should be assured that two and a half hours would be allotted for a private members resolution.

Shri Lehri Singh : Sir, it would be unfair to postpone the discussion on Das Commission report.

Mr. Speaker : He may not repeat what has already been said by Shri Shastri. Now the Minister may tell what more items can be taken up during this session.

Shri Satya Narayan Sinha : This session cannot be extended beyond the 3rd October. I do admit that two and a half hours discussion should be made on a private members resolution, but because of No confidence Motion and Food debate no legislation has been passed during this session. Therefore after disposal of the necessary business two and a half hours discussion migh be allowed

---

सदस्य की रिहाई

RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित कहता हूं कि मुझे आजमगढ़ के जिला दण्डाधीश से 15 सितम्बर, 1964 को यह बेतार का तार मिला है कि लोकसभा के सदस्य श्री विश्राम प्रसाद को 15 सितम्बर, 1964 की शाम को मुकदमा खारिज होने पर रिहा कर दिया गया था ।

बोनस आयोग के सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों के बार में वक्तव्य

STATEMENT RE : DECISION OF GOVERNMENT ON BONUS COMMISSION REPORT

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : केन्द्रीय सरकार ने बोनस आयोग के बारे में जो निणय किये थे वे 2 सितम्बर, 1964 के संकल्प में दे दिये गये थे और संकल्प 7 सितम्बर, को सभा पटल पर रख दिया गया था । आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था किन्तु :

(1) बोनस के लिये अधिशेष का हिसाब लगाते समय, सभी वतमान प्रत्यक्ष करों को पहले घटा लेना चाहिये ।

(2) उद्योग को रियायत सभी विकास के लिए दी जाती है अतः ऐसा विद्यमान विधान बनाना होगा कि करों की रियायत को उसी प्रयोजन के लिए उपभोग में लगाया जाए । न कि बोनस के लिए प्रयोग किया जाए ।

(3) बोनस के लिए अधिशेष का हिसाब लगाते समय पहले पूंजी पर देय राशि घटा दी जाएगी प्रदत्त पूंजी पर 8.5 प्रतिशत रक्षित निधि पर 7 प्रतिशत, किन्तु बकों में अधिमान्य

[श्री संजीवय्या]

शेयर पूंजी पर वास्तविक दर, प्रदत्त पूंजी पर 7.5 प्रतिशत और रक्षित पूंजी पर 5 प्रतिशत ।

(4) जो विवाद विचाराधीन है उन सब पर भूतलक्षी प्रभाव से बोनस आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।

यह निर्णय करने के लिये एक त्रिपक्षी बैठक बुलाई गई थी कि किस स्तर के बाद बोनस नगद न दे कर बचत के विभिन्न प्रकारों में से किसी में दिया जाए।

सरकार इन निणयों को दृष्टिगत रखते हुए विवादग्रस्त मामलों में पथ प्रदर्शन के हेतु विधान लाना चाहती है । सरकार के निर्णयों का संकल्प प्रकाशित होने के बाद कई श्रम संगठनों से अभ्यावेदन मिले हैं कि कुछ उद्योगों में इन सिफारिशों के कारण श्रमिकों को पहले की तुलना में कम बोनस मिलेगा । विधान में इस संबंध में उपबन्ध किया जायगा कि उन्हें पहले की अपेक्षा कम बोनस न मिले।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सरकार ने इस रिपोर्ट में यह रूप भेद श्री दांडेकर के विमति टिप्पण के कारण किया है और यदि हां, तो उन्होंने अन्य सदस्यों के एक मत को सम्मान क्यों नहीं दिया ।

श्री संजीवय्या : सरकार ने श्रमिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय किया है न कि ऊपर विमति टिप्पण के आधार पर ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): इस पंचाट पर श्री दांडेकर और श्री डांगे के विमति टिप्पण थे जब कि पहले पंचाट सदा एक मत से पास किये जाते रहे हैं। फिर इस में मालिकों के पक्ष में रूप भेद क्यों किया गया है ?

श्री संजीवय्या : मालिकों के पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । पहले पंचाट एक मत से पास होते हैं किन्तु इस संबंध में पहले से स्पष्ट कर दिया गया था, कि यदि विमति टिप्पण हुआ तो सरकार को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

श्री काशी नाथ पांड : मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन की मात्रा सम्बन्धी करार लागू होगा या वार्षिक आय के आधार पर वितरण की व्यवस्था लागू होगी।

श्री संजीवय्या : विधान बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सिफारिशों को 1962 से लागू किया जा रहा है, 1961 से क्यों लागू नहीं किया जा रहा ।

श्री संजीवय्या : आयोग की यही सिफारिश है ।

श्री प्रभात कार (हुगली): बोनस कमीशन ने तो देसाई पंचाट के आधार पर क्षित निधि की आय का 4 प्रतिशत रखने के बजाय $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया किन्तु सरकार ने इसे 7.5 पतिशत क्यों कर दिया ।

श्री संजीवय्या : विधेयक पर चर्चा के समय इसका उत्तर दिया जा सकेगा, प्रश्न के उत्तर में नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether same trade Unions were consulted while making these changes.

श्री संजीवय्या : कुछ लोगों ने अभ्यावेदन भेजे थे जिन पर विचार किया गया था ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : सरकारी उपक्रमों और विशेषतः रेलवे जैसे मंत्रालय पर बोनस आयोग को लागू क्यों नहीं किया गया ?

श्री संजीवय्या : सरकारी क्षेत्र में के उपक्रमों पर तो यह लागू होगा कि उन उपक्रमों पर नहीं जो विभागों द्वारा संचालित होते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS.

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन से, जो 16 सितम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन से, जो 16 सितम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में संकल्प—जारी]

RESOLUTION RE : RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री स० मो० बनर्जी द्वारा 5 जून, 1964 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर और श्री मलाइछामी द्वारा प्रस्तुत किये गये तत्संबंधी संशोधन पर विचार करेगी :—

"सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के कारण जनता में बढ़ते हुए असन्तोष को देखते हुए यह सभा

[अध्यक्ष महोदय]

तुरन्त स्वीकृत तथा कार्यान्वित किये जाने के लिये सरकार से निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करती है :—

(एक) खाद्यान्नों का राज्य व्यापार ;

(दो) खाद्यान्नों के सट्टे पर प्रतिबन्ध ;

(तीन) जमाखोरी और चोरबाजारी करने वालों को कठोर दण्ड, और

(चार) मूल्य स्थिरीकरण समिति की स्थापना ।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : हम पिछले चार दिन से खाद्य स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव में भी हमने इस पर चर्चा की थी अतः क्या इस प्रस्ताव पर चर्चा करना आवश्यक होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव का संबंध खाद्य पदार्थों से ही नहीं बल्कि आवश्यक वस्तुओं से है । मतदान के समय पहली दो मदों पर मतदान नहीं होगा ।

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : मेरे संशोधन का प्रयोजन खाद्य तथा कृषि मंत्री के प्रस्ताव से जिस के अधीन खाद्य स्थिति पर चर्चा की गई थी सिद्ध हो जाता है । सभा ने स्वीकार किया है कि कृषकों को लाभकारी मूल्य दिये देने चाहिय । किन्तु मैं उत्पादकों के कष्टों के निवारण के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

[**श्रीमती सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं**
SHRIMATI SAROJINI MAHISHI *in the chair*]

70 प्रतिशत जन संख्या कृषि कार्य में लगी हुई है किन्तु उनका जीवन स्तर दयनीय है । उनमें से 20 प्रतिशत के पास भूमि नहीं है । भूमि का 58 प्रतिशत 10 प्रतिशत लोगों के पास है ।

भूमि सुधार अधिनियमों से उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ । देहात के अधिकांश लोग ऋणी हैं। रिज़र्वबैंक ने देहात को 3000 रुपये का ऋण दिया है जो भोजन, कपड़े और शिक्षा पर खर्च हुआ है । प्रति परिवार लगभग 406 रुपये का ऋण है । इस से उनकी दयनीय स्थिति का आभास मिलता है । वे निराश्रित की सी अवस्था में हैं।

खाद्य स्थिति केन्द्र का विषय है। अतः उसे राज्य सरकारों को हिदायतें देनी चाहियें कि वे किसानों का उद्धार करें, जिससे उन्हें अपने काम में सुरक्षा प्राप्त हो ।

सहकारी समितियां किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं दे सकती । उनकी उत्पादन लागत भी बढ़ गई है ।

उन्हें मौसम के प्रकोप का भी सामना करना पड़ता है । इससे बचने के लिए फसल बीमा योजना आरम्भ करनी चाहिये ।

उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि उत्पादन बढ़ने पर मूल्य गिर जायें ।

स्थायी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत और अस्थायी पर और भी अधिक खर्च विपणन में हो जाता है । उत्पादक को रुपये में केवल 6 आने मिलते हैं । विचौलियों को समाप्त करके उसका विपणन व्यय कम कर देना चाहिये ।

खाद्य व्यापार निगम की स्थापना और खाद्यान्न के मूल्य निर्धारित करने से कृषकों को अपनी आय का ठीक पता लग जायगा । सरकार को विपणन सहकारी समितियां भी नियुक्त करनी चाहिये । कृषकों को इस प्रकार अपने धंधे पूर्णतः स्थापित करने के लिए भूमि सुधार सम्बंधी उपयुक्त विधान लाना चाहिये ।

श्री खाडिलकर (खेड) : खाद्य स्थिति और अविश्वास के प्रस्तावों में इन बातों पर भली प्रकार चर्चा हो चुकी है किन्तु इस संकल्प में एक दीर्घकालीन अखिल भारतीय खाद्य नीति पर बल दिया गया है ।

पिछले 17 वर्षों में ऐसी कोई नीति बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया । जब कभी कोई स्थिति उपस्थित हो गई उस समय कुछ सतर्कता से काम किया गया किन्तु जब ग्रेगरी रिपोर्ट पेश की गई थी तो सरकार ने उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया । युद्ध काल में वितरण की व्यवस्था अच्छी बनाई गई थी किन्तु उसे समाप्त करते समय यह नहीं सोचा गया कि आपतकाल उपस्थित होने पर ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी ।

श्री रफी अहमद किदवई ने गल्ले का निर्बाध व्यापार और निर्बाध यातायात आरम्भ किया था और सौभाग्य की बात है कि उस समय संभरण की स्थिति अच्छी रही और लोगों ने अनुभव किया कि नियंत्रण के कारण ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था ।

हमने जो भूमि सुधार किये हैं वे समाज सम्बंधी हैं उत्पादन अनुकूल नहीं क्योंकि हम लोगों के भूमि पर अधिकार प्रदान नहीं किये जिससे वे उत्पादन बढ़ाने में लग सकें । भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख ने हमारी खाद्य नीति की कटु आलोचना की है । पिछले 10 वष में गेंहूं का 25 प्रतिशत पी० एल० 480 से किया जाता रहा है । परिणामस्वरूप जहां अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहे गेहूं के भाव स्थिर रहे और उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं मिला । जून 1963 में एक अमरीकी विशेषज्ञ ने योजना आयोग को एक रिपोट दी थी जो न जाने क्यों गुप्त रखी गई है । उस में भी कहा गया है कि भूमि सुधार से उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला । गन्ना व्यापार निगम की स्थापना अच्छा कदम है कि अनमना कदम है क्योंकि यदि 30 प्रतिशत अनाज व्यापारियों के पास रहा तो आपको उनकी दर पर निर्भर रहना होगा । सरकार को पूरा थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिये । माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि खाद्य संकट सात या आठ वर्ष तक रहेगा । मैं अनुभव करता हूं कि देश में खाद्यान्न का समाहार और वितरण कल्याणकारी उपाय के रूप में करना चाहिये ।

मैं यही चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप ने कृषि व्यापार में मिश्रित अर्थ व्यवस्था रखी तो आपको विफलता का मुंह देखना पड़गा । व्यापारी आप को सहयोग नहीं देंगे । अतः आप व्यापारियों की सेवाओं को प्राप्त करें और खुदरा व्यापार निर्बाध रहने दें ।

यहां के व्यापारी वर्ग को उपनिवेशवादी और सट्टेबाज़ी विरासत में मिली है अतः वे बहुत अधिक मुनाफा कमाते हैं । स्थिति यह है कि पूना, नागपुर आदि की स्थिति बिगड़ी हुई है । यदि कोई कार्यवाही न की गई तो स्थिति को सुधारा नहीं जा सकेगा ।

[श्री खाडिलकर]

संकल्प को आप भले ही स्वीकार न करें किन्तु अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार कीजिये। यदि लोगों को विश्वास हो जाये कि सरकार कुछ करने वाली है तो लोग हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जायेंगे। गल्ले को सट्टबाज़ी को अपराध समझना चाहिये। ऐसे उपाय करने पर संकल्प का प्रयोजन सिद्ध हो जायगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : I support the resolution regarding the imposition of checks on the rising prices. There are no two opinions about the fact that the prices of things of everyday use are soaring high and its responsibility has squarely on those companies which enjoy the grace and protection of the Congress Party in return for the contribution which they make in its election fund. Take match boxes, for example. The price charged for each match box is always more than its actual price which is printed on the cover. Similarly, the number of sticks is always much less than the number given on the match box. That is how these companies make a lot of undue profit. You can well imagine as to what impression a foreigner will carry when he purchases a match box.

The mill rate of maida is Rs. 52·20 per bag weighing 90 kilograms but it sells at Rs. 112·50. The control rate of soda is 62 paisa per kilo but it sells at 80 paisa per kilo because the Tatas have persuaded the Government to stop the import of soda. That is how the prices of all the consumer goods have gone up.

The hon. Prime Minister has blamed the opposition parties for spiralling prices while the fact is that it is the result of the wrong policies pursued by the administration. A responsible man should not say such baseless things in the House. The Government should rather reconsider the whole matter without any reservation or reluctance.

Many Ministers claim that the prices of foodgrains have not gone up. The fact is that the people have to wait in the queue for hours. The distribution system is faulty. The fair price shops have been allotted to those persons who put on cheap white caps.

Shri C. L. Chaudhry (Mahua) : The hon. Member's reference to cheap caps is something irresponsible.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The British Government in India used to have a list of criminals and anti-social people. Whenever there were riots, these people were sent to the jail. After independence those many people claim to have gone to jail in the strugge for independence and they say so in the name of the Congress.

I raise my voice for those workers who cannot make both ends meet due to the rising prices. The Congress Government must pay special attention to this problem and open more fair price shops. There should be no favouritism shown in the allotment of such shops. The blackmarketeers should be duly punished. There should be a thorough enquiry and the hon. Minister himself should keep a close personal watch on all these matters.

With these words I submit that the hon. Minister should accept this motion unhesitatingly.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Madam Chairman, I support the motion moved by Shri Banerjee.

Whenever there is a discussion in this House on the rising prices of essential commodities, it is said that it is inevitable in a developing country and, secondly, the prices are going up not only in India but in all the countries. I subscribe to the view that the prices must rise when there is economic development in a country but it must be accompanied by a proportionate increase in the income of the people failing which the result is an acute crisis. What we find in our country is that our income is going down.

So far as other countries are concerned, England, America or Germany, all of them are developing but nowhere the prices of essential commodities are going up so recklessly as in our country. I would like the hon. Minister to give us comparative figures in this connection. Had the hon. Minister imposed a ceiling on the prices of food grains, cloth, cement, match boxes, soap, medicines etc. and had the prices of luxury goods gone up, I would have no complaint.

I have to suggest a few measures to check the rising prices. Firstly, we must step up our production and in this direction the Government has done nothing except giving a statistical labyrinth.

In order to make the land reform measures effective the landowners must be made to till their land themselves otherwise food production cannot go up. 69 or 70 per cent land in the country today is in the hands of those people who, due to certain social evils, regard cultivation as a sin.

Secondly the farmers have been given no incentives to raise food production. Not to speak of grants and subsidy they have not been given any exemption from land revenue. Such incentives are highly essential if this problem is to be solved.

I have a few suggestions to hold the price line. Firstly, the prices of foodgrains should be fixed and they should not be allowed to increase for more than one anna per seer between two harvests. Similarly, the prices of such essential goods as cloth, sugar, kerosene oil, cement, iron, medicines etc. should not be more than one half of the cost of production. Secondly, the prices of agricultural and industrial products should fluctuate in a fixed proportion. It is an important principle to have a sound and balanced price policy.

With these words I support this resolution.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय खाद्य उपमंत्री यहां पर हैं । यह प्रस्ताव खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में ही नहीं है बल्कि सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही सारी बातों का उत्तर देंगे अन्यथा योजना मंत्री या वित्त मंत्री को यहां होना चाहिये ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : हम सभी बातों का जबाब देने की कोशिश करेंगे ।

Dr. Mahadeva Prasad (Maharajganj) There can be no two opinions about the fact that the prices, particularly of essential commodities, are going up. Shri Banerjee has given some suggestions to hold the prices but we must see as to what are the reasons for the rising prices. There is no doubt the rise in prices of foodgrains is on account of the hoarders, profiteers and black marketeers and everybody knows it. Government has taken some strict action against such people as a result of which the prices have slightly come down, at least in Gorakhpur district.

As regards State trading, I would welcome it if the Government is to exercise full control on everything. If the control is not full, nobody can be held responsible and that would do more harm than good.

[Dr. Mahadeva Prasad]

When we criticise the rising prices we tend to forget that prices are interrelated with demand and supply. If demand outplaces the supply, the prices must increase despite all efforts of the Government. Until and unless we increase our production, prices cannot come down to the desired level.

A few days ago a question was raised as to where our increased national income has gone. It has mostly gone to those people who never do any productive labour. What we find in our country is that people who produce nothing or little consume most of the things. That is why I support Shri Yadav's contention that only the actual tllers of land should be its owners. So long as the idle section of the society remains only a consumer and only a few people work hard, prices cannot come down. It is something fundamental which we are neglecting the opposition parties, instead of confining themselves to criticism alone should come forward and stimulate the people to work hard. No amount of criticism, if it is not backed up by hard labour and concrete work, can change the society and raise the production ; and if production is not accelerated, prices will not come down.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I am afraid all this discussion is having no effect. The more we discuss the prices the more they are rising. Now we have read in the newspapers that there is acute shortage of vegetable oil because Gujarat has stopped sending vegetable oil here. Only this morning the hon. Prime Minister was emphasising the need for mutual co-ordination. Why is not Gujarat co-ordinating ? That only shows that this Government does not have any definite policy. Ever since the students have been asked to bring bottles of boiled water, the price of bottles has gone up by 8 annas per bottle. What is therefore necessary is that whatever the Prime Minister says should be properly implemented.

It is admitted that fair price shops are being opened by the Government in the villages but the situation in Rajasthan is that people do not get foodgtains even from these shops. The place I come from is completely cut off when Sahibi river is flooded and people have to face many hardships. This is all due to the indefinite policy of the Government.

Only a few days ago the hon. Prime Minister said that Government would take strict action against the hoarders but in his reply he has made no mention of the action taken. All these nefarious practices are there even now. Scarcity of food, hoarding and dearness are correlated problem and Government should tackle them not separately but in one stroke.

I submit that whatever announcement is made by the Government should be immediately implemented otherwise it leads to harmful consequences. They talk of cloth control but they are not actually introducing that control and it is quite possible that cloth may disappear from the market. They are not even asking the banks not to advance money for foodgrains. They give many assurances but do not fulfil them, it is for this House to set the things right.

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) : I stand to give you an alarming example of how our farmers, instead of being given any incentives, are being harassed at a time when the country in facing a food crisis. There is the Tungabhadra project in our area. 8 lakh acres are to be irrigated by the left bank canal and another 6—7 lakh acres by the right bank canal. The fact is that only 2 lakh acres are being irrigated and rest of the water is being wasted into

the sea. Now the farmers who have used that water which is being wasted and produced foodgrains and paddy etc. are being heavily fined. This is injustice. The right course was that there should have been no restriction on the use of water for 10 years.' If there is no restriction, the farmers can produce an additional, 8, 10 lakh maunds of paddy.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): सभापति महोदया, आज जिस संकल्प पर चर्चा हो रही है वह निम्नलिखित है :—

"सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के कारण जनता में बढ़ते हुए असन्तोष को देखते हुए यह सभा तुरन्त स्वीकृत तथा कार्यान्वित किये जाने के लिये सरकार से निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करती हैं :—

(एक) खाद्यान्नों का राज्य व्यापार ;

(दो) खाद्यान्नों के सट्टे पर प्रतिबन्ध ;

(तीन) जमाखोरी तथा चोरबाजारी करने वालों को कठोर दण्ड ; और

(चार) मूल्य स्थिरीकरण समिति की स्थापना ।

पिछले चार-पांच दिन हम देश की खाद्य स्थिति पर चर्चा करते रहे हैं जिसके उत्तर में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बताया था कि माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार हो रहा है । उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के उत्तर में बोलते हुये माननीय प्रधान मंत्री ने खाद्य समस्या के बारे में बड़े विस्तार से बताया था । सरकार को स्थिति का पूरा ज्ञान है । इसके अतिरिक्त सदस्यों को 'खाद्य स्थिति का पुनर्विलोकन' की प्रतियां भेज दी गई हैं जिसमें सरकार द्वारा उठाये गये कदमों तथा कुछ आंकड़ों का उल्लेख है ।

मैं मानता हूं कि खाद्यान्नों तथा कुछ अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य काफी बढ़ गए हैं । अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जो आलोचना की गई थी उसका कल वित्त मंत्री जी ने विस्तारपूवक उत्तर दे दिया था । एक मुख्य बात जिसका उत्तर दिया जाना है यह है कि सरकार ने जमाखोरी तथा चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है । हमने भारत रक्षा नियमों तथा अत्यावश्यक वस्तु विधेयक के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं कि वे सभी सम्बंधित व्यक्तियों, उत्पादकों तथा थोक व्यापारियों से अपना स्टाक घोषित करने के लिये कहें । इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लगभग 1,119 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये थे तथा 629 मामलों में दोष सिद्ध हुआ । चीनी सम्बंधी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 1,142 मुकदमे चलाये गए और 321 मामलों में अपराध सिद्ध हुआ । अत्यावश्यक वस्तु विधयक के अन्तर्गत 2,104 मुकदमे चलाये गए तथा 934 मामलों में दोष सिद्ध हुआ । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार इस बारे में हाथ पर हाथ धरे बैठी है ।

दूसरी शिकायत खाद्यान्नों के लिए राज्य व्यापार निगम के बारे में थी । खाद्य तथा कृषि मंत्री विस्तार से बता चुके हैं कि यह निगम उत्पादक थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी के लिये बनाये गये मूल्य ढांचे के अन्दर कैसे काम करेगा । यदि कृषक की उपज को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिये कोई तैयार नहीं होगा तो यह निगम उसे खरीद लेगा तथा लाभदायक और उत्साहवर्द्धक मूल्य दिया जायेगा । इस सम्बंध में एक तदर्थ आयोग भी बनाया गया है तथा एक कृषि मूल्य आयोग होगा जो सरकार को मूल्य निर्धारित करने के बारे में सलाह देगा ।

[श्री दा० रा० चव्हाण]

श्री बनर्जी ने दूसरी बात खाद्यान्नों में राज्य व्यापार के बारे में कही परन्तु वह समस्या की जटिलता और व्यापकता को भूल रहे हैं। समस्त व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिये सरकार को पूरी व्यवस्था करनी होगी और तभी निजी व्यापारियों को निकाला जा सकता है। खाद्यान्न निगम के बनने के बाद यदि देखा गया कि थोक व्यापारी तथा शहरी व्यापारी ठीक तरह नहीं चल रहे है तो निगम के हाथ सुदृढ़ करने के लिये उपाय किये जायेंगे।

क्या यह तथ्य नहीं है कि मूल्यों के बारे में सरकार कुछ कर रही है; जनवरी 1964 से अगस्त 1964 तक 32.60 लाख टन का आयात किया गया। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 55,000 से बढ़ कर 80,000 हो गई है। जनवरी से अगस्त 1964 तक इन दुकानों ने लगभग 50 लाख टन गेहूं तथा चावल का संभरण किया है जब कि 1961–62 तथा 1962–63 में क्रमशः 26 लाख टन और 36 लाख टन का संभरण हुआ था। इन दुकानों से वही लोग खरीदते हैं जो गरीब हैं।

मैं मानता हूं कि खुले बाजार में भाव ज्यादा हैं। लोग कहते हैं कि पंजाब में पंजाब के गेंहूं का मूल्य 48 रु० प्रति क्विंटल है जब कि बम्बई में 120 रुपये प्रति क्विंटल है। यदि ऐसा है तो कौन लोग इतना दाम दे कर खरीदते हैं। स्पष्ट है कि अमीर लोग ही खरीदते हैं। गरीब व्यक्तियों की तो सस्ती दुकानों से संभरण होता है जिनकी संख्या 80,000 है।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : क्या माननीय मंत्री का अभिप्राय है कि सस्ती दुकानों से एक साधारण परिवार की न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी हो पाती है और उन्हें खुले बाजार से नहीं खरीदना पड़ता ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं तीन महीने से खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में हूं मुझे तो एक भी शिकायत नहीं मिली सिवाय इसके कि कुछ लोग अभाव का वातावरण पैदा कर रहे हैं। संभरण के बारे में कठिनाइयां हैं यह मैं मानता हूं।

इसलिये प्रश्न मूल्यों का नहीं बल्कि उन लोगों को संभरण का है जिन पर ऊंचे मूल्यों का प्रभाव पड़ रहा है और इस बारे में हम अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं। जैसा कि खाद्य मंत्री ने बताया था कठिन समय बीत गया है और अगले वर्ष से स्थिति सुधर जाएगी। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सरकार को सहयोग दें।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम कौन कौन से अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय कर रहे हैं। इस वर्ष फसल अच्छी होने की संभावना है। उत्पादन के आंकड़ों से पता चलेगा कि प्रत्येक छः वर्षों में एक वर्ष ऐसा होता है जिसमें भारी फसल होती है। 1955–56 में उत्पादन 640 लाख टन था परन्तु अगले ही वर्ष यह 770 लाख टन था। उत्पादन में मौसम का भी बड़ा हाथ होता है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। 1960–61 में उत्पादन 810 लाख टन था और इस वर्ष लगभग 794 लाख टन है। सरकार इस दिशा में भरसक प्रयास कर रही है। पहली बार खाद्यान्न व्यापार निगम की स्थापना हो रही है और मेरी प्रार्थना है कि दोनों ओर के सदस्य इसमें सहयोग दें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लें और वह नहीं लेते तो यह सभा उसे रद्द कर दे।

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदया, मैंने माननीय प्रधान मंत्री, माननीय खाद्य मंत्री तथा माननीय खाद्य उपमंत्री के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है । मैं यह अनुभव करता हूं कि उनके तर्कों से मुझे भरोसा नहीं हुआ है । वे इस सारी समस्या को सैद्धांतिक रूप देना चाहते हैं, परन्तु दुर्भाग्य से मूल्य तो चढ़ते ही जा रहे हैं ।

माननीय उपमंत्री जी का कहना है कि यह मौसम का असर हुआ है, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी फसलों को पाला मार जाता है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या डालडा, दियासलाई, लाइफबाय, सनलाइट साबुन, मिट्टी के तेल और खाद्य तेलों को भी पाला मार गया है ?

श्री बा० रा० चव्हाण : मूंगफली की फसल भी नहीं हुई है । वनस्पति के लिये 80 प्रतिशत मूंगफली का तेल प्रयोग किया जाता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे खेद है, पाले को गलती लग गई यह सरकार की बजाय फसलों पर गिर पड़ा ।

सारी कठिनाई तो यह है कि इन सब आश्वासनों के बावजूद भी कीमतें चढ़ रही हैं । दिल्ली, कलकत्ता और देश के अन्य सब भागों में हर चीज एक रुपये सेर या प्रति किलोग्राम बिक रही है, चाहे चावल हो, दाल हो, बैंगन हो या अन्य कोई चीज हो । यह तो शहरों का हाल है ।

मान लीजिये पहले मैं 3 प्राणियों के अपने परिवार के लिये 45 या 46 रुपये में सारे महीने की रसद खरीद लेता था । परन्तु अब अर्थशास्त्रियों के कथनानुसार मुझे उसी के लिये 67 से 70 रुपये तक देने होंगे । इस प्रकार मेरी जेब से 27 रुपये और निकल जायेंगे । परन्तु यदि मैं केन्द्रीय सरकार का नौकर हूं तो मुझे केवल 2 रुपये या 2.50 रुपये मिलेंगे और यदि मैं व्यापारी फर्म में हूं तो मुझे 5 रुपये मिलेंगे । इस कारण कर्जदारी बढ़ रही है । बम्बई में मध्यम आय वर्ग के लोगों के खर्च का जो सर्वेक्षण किया गया है उससे यह पता लगा है कि 150 रुपये से 200 रुपये तक पाने वाले 300 रुपये 400 रुपये से 450 रुपये तक कर्ज चढ़ा हुआ है और 250 रुपये पाने वाले वर्ग के लोग लोगों पर या 375 रुपये के कर्जदार हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि गांवों और शहरों दोनों में ही कर्जदारी बढ़ी है । यदि यही समाजवाद है तो लोग इससे बचना चाहेंगे ।

सब चीजों की कीमतें चढ़ रही हैं । कलकत्ते में सरसों का तेल अव्वल तो मिलता ही नहीं, यदि मुख्य मंत्री के भाषणों के बाद मिलता भी है तो 7 या 8 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से मिलता है और वह भी पंक्ति में खड़ा होने के बाद । कलकत्ते में मछली, जो कि बंगालियों का एक मात्र भोजन है, या तो मिलती ही नहीं या 7 या 8 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर मिलती है और वह भी लिलीपुर में जहां सब लोग नहीं जाते ।

कलकत्ते में दालें भी 2 रुपये सेर बिक रही हैं । हम लोग मखौल में कहा करते थे कि इस देश में केवल दो चीजें सस्ती हैं नून (नमक) और खून । गोली या लाठी चला कर जितना मर्जी खून बहाया जा सकता है । परन्तु कलकत्ते में तो नमक भी नहीं मिलता था ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार के इन सब तर्कों से जनता को विश्वास नहीं होगा । हो सकता है सैद्धान्तिक रूप से सरकार ठीक हो और उसके इरादे अच्छे हों परन्तु मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं ।

[श्री स० मो० बनर्जी]

कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह मुद्रा स्फीति घाटे की अर्थ-व्यवस्था और काले धन के चलन से हो रहा है। सरकार ने काले धन को निकालने और घाटे की अर्थ-व्यवस्था को रोकने के लिये क्या किया है ?

सब अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों का संबंध अनाज के मूल्यों से है। जब तक अनाज की कीमतें नहीं गिराई जायेंगी तब तक अन्य मूल्यों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा।

देश में आज क्या हो रहा है ? केन्द्रीय सरकार के 22 लाख कर्मचारी 21 सितम्बर को 'विरोध दिवस' मनायेंगे, क्योंकि महंगाई भत्ते को एस० के० दास कमीशन द्वारा की जाने वाली जांच में शामिल नहीं किया गया। बंगाल में इस मास की 25 तारीख को 'बंगाल दिवस' मनाया जायेगा। इस मास की 26 तारीख को 27,000 बीमा कर्मचारी 'मांग दिवस' मनायेंगे।

मुझे मालूम है मेरे इस संकल्प का क्या हश्र होगा, क्योंकि यहां हमारी संख्या कम है, परन्तु बाहर लोगों ने मुझे यह संकल्प पेश करन पर बधाई के तार भेजे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन्हें यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार है तो वे इस संकल्प को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ? वे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। परन्तु कलकत्ते में जमाखोरों और चावल मिल मालिकों के विरुद्ध क्या किया जा रहा है ? जो आटा मिल मालिक गिरफ्तार किये गये हैं उनका क्या हुआ ? मुझे पक्का निश्चय है कि यदि वे 10,000 रुपये या एक लाख रुपये नेहरू स्मारक निधि में दे देंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायेगा, पहले गांधी स्मारक निधि थी, अब नेहरू स्मारक निधि है।

मैं यह आग्रह करता हूं कि यह संकल्प सभा के मतदान के लिये रखा जाये और सभा से मेरी यह प्रार्थना है कि वह इसे स्वीकार करे। यदि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी तक तो बंगाल बन्द, महाराष्ट्र बन्द या गुजरात बन्द की बात ही हुई है परन्तु अगर चीजों के दाम नहीं गिरेंगे तो एक या दो मास के अन्दर भारत बन्द भी हो जायेगा। यदि सरकार कुछ करेगी नहीं तो लोग उसे हटा देंगे।

सभापति महोदय : श्री मलाईछामी का संशोधन अवरुद्ध हो गया है।

संकल्प के भाग (एक) और (दो) भी अवरुद्ध हो गए हैं।

प्रश्न यह है कि :

"सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के कारण जनता में बढ़ते हुए असन्तोष को देखते हुए यह सभा तुरन्त स्वीकृत तथा कार्यान्वित किये जाने के लिये सरकार से निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करती है :—

* * * * * *

(तीन) जमाखोरी और चोरबाजारी करने वालों को कठोर दण्ड ; और

(चार) मूल्य स्थिरीकरण समिति की स्थापना।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negaticed

श्री स० मो० बनर्जी : आप जमाखोरों और चोर बाजारियों को रखिये।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSIFESS ADVISORY COMMITTEE

तीसवीं रिपोर्ट

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति की तीसवीं प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

भारत रक्षा अधिनियम के बार में संकल्प

RESOLUTION *RE* : DEFENCE OF INDIA ACT

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "इस सभा की यह राय है कि जब तक आपात काल को समाप्त नहीं किया जाता जो कि वास्तव में बहुत पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिये था, तब तक भारत रक्षा अधिनियम के दमनकारी उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को राजनैतिक, मजदूर संघ तथा लोकतन्त्रात्मक आन्दोलनों के अन्य कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ अथवा खाद्य तथा ऊंचे मूल्यों के खिलाफ जनता के आन्दलनों का दमन करने के लिये प्रयोग में न लाया जाए।"

आपातकाल को बनाये रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह गई है। पिछले दो वर्षों के लगभग समय से इसे चलाते रहना शासक दल की निरंकुशता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का द्योतक है।

सरकार इस आपातकाल के प्रति गम्भीर नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। अनेक मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं। आज भी प्रधान मंत्री ने कुछ संकेत दिया है कि अभी आपातकालीन स्थिति जारी रहेगी। मेरा कहना है कि स्वयं सरकार इस संबंध में ईमानदार नहीं है।

सट्टे पर कोई आपातकालीन प्रभाव नहीं है। उद्योगपति खूब लाभ कमा रहे हैं। शासन की कार्यकुशलता समाप्त हो गई है। शासन में पक्षपात और कुनबापरस्ती का बोल बाला है। अनेक मंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जा रहे हैं। इनसे पता लगता है कि आपातकाल जारी रखने के लिये कोई उचित कारण नहीं है। परन्तु सरकार विरोधी दल के लोगों तथा जनता के हितों की रक्षा के लिये आवाज उठाने वालों को दबाने के लिये आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग कर रही है। शासक दल दल के संकुचित हितों के लिये आपातकालीन शक्तियों का सहारा ले रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा-विवाद हैं परन्तु कोई युद्ध की स्थिति तो नहीं है। अतः आज आपातकाल का कोई औचित्य नहीं है।

लोक तन्त्रीय शासन प्रणाली में जनता के पास कुछ बचाव के उपाय भी होने चाहियें। मुख्य न्यायाधिपति श्री गजेन्द्रगड़कर ने भी इस सन्दर्भ में कहा है कि शान्तिकाल और आपातकाल दोनों स्थिति में जनता को बचाव के कुछ अधिकार होने ही चाहियें। जो संकल्प मैंने पेश किया

उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार इन अधिकारों का दुरुपयोग न करे। सरकार इन अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और मैं स्वयं इसका शिकार हो चुका हूं।

आपातकाल की घोषणा होने के बाद जो साम्यवादी इस ऐक्ट के अधीन गिरफ्तार किये गये उनमें से अधिकांश मजदूर सघों तथा किसानों के नेता थे। मेरा कहना है कि सरकार जानबूझ कर राजनैतिक दलों और खासतौर से साम्यवादियों के विरुद्ध इस कानून का इस्तेमाल कर रही है।

त्रिपुरा सरकार ने भारत रक्षा एक्ट का प्रयोग किस प्रकार किया, इसका किस्सा मैं आप को सुनाता हूं। 20 नवम्बर 1962 को त्रिपुरा में 67 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये सब विधान सभा या लोक सभा के साम्यवादी प्रतिनिधि थे। 23 जुलाई, 1964 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन्हें छोड़ दिया गया। त्रिपुरा में एक भी साम्यवादी विधायक या संसद सदस्य को छोड़ा नहीं गया—सबको गिरफ्तार कर लिया गया।

जब हमारा मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था तो सालीसिटर जनरल ने त्रिपुरा की सरकार से कहा कि वह हम सब को छोड़ दे परन्तु त्रिपुरा सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। शायद त्रिपुरा सरकार हमें अगले आम चुनाव तक जेल में रखना चाहती थी।

वहां साम्यवादी दल का एक पत्र निकलता था। छोटा सा कोआपरेटिव प्रेस था। उससे 3,000 रु० की जमानत मांगी गई और प्रबंध समिति के सब सदस्यों को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया गया। कोई जमानत देने वाला भी उन्होंने नहीं रहने दिया। पिछले आम चुनाव में जिन 1500 आदिम जाति के सदस्यों ने हमारा समर्थन किया था, उनको भी इस एक्ट के अधीन पकड़ कर बन्द कर दिया गया। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन सब बातों की जांच करायें।

सरकार द्वारा 11 सितम्बर को वितरित किये गये एक विवरण से पता लगता है कि राजनैतिक दलों के 110 सदस्य अभी भी इस एक्ट के अधीन जेलों में बन्द हैं। महाराष्ट्र में साम्यवादी दल के 13 सदस्य 1962 से अब तक जेल में बन्द हैं। बिहार में साम्यवादी दल का एक सदस्य दिसम्बर 1962 से अब तक जेल में है। मैं नहीं समझता कि राजनैतिक दलों को कुचलने के लिए सरकार कब तक भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल करती रहेगी। खाद्य आन्दोलन के संबंध में सरकार ने कुछ कांग्रेस जनों को भी बन्द कर दिया है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में कांग्रेस के जो आठ सदस्य जेल में हैं, उनको भी छोड़ दिया जाये।

अब मैं आपको ऐसे मामले बताऊंगा जिनमें मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को कुचला गया है। बंगाल में आपातकाल के प्रारम्भ में एक कारखाने में विवाद उपस्थित होने पर वहां के सारे 150 श्रमिकों को जेल भेज दिया गया था। इंटक की पश्चिम बंगाल शाखा के प्रधान ने स्वयं कहा है कि आपातकाल में शांति समझौते से श्रमिकों के हाथ बंध गये हैं जिससे मालिक फायदा उठा रहे हैं। सरकार की स्थिति यह है कि वह सदा मालिकों का साथ देती है और कर्मचारियों को प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार कर रही है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने में श्रमिक कारखाना अधिनियम के अधीन 48 घंटे काम की व्यवस्था चाहते हैं किन्तु प्रबंधक उनका उत्पीड़न कर रहे हैं जिससे वहां 20 दिन हड़ताल रही और सरकार ने हड़ताल के दूसरे ही दिन 27 नेताओं को गिरफ्तार कर दिया था।

गोआ गोदी कर्मचारियों के विवाद के सम्बंध में समझौता अधिकारी ने मध्यस्थता का सुझाव रखा। मजदूर संघ ने उसे स्वीकार कर लिया किन्तु प्रबंधकों को वह स्वीकार नहीं था अतः सरकार ने हड़ताल के विरुद्ध प्रतिरक्षा नियमों के प्रयोग की धमकी दी और 204 कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिणामस्वरूप वहां पूर्ण हड़ताल हुई और तब प्रबंधकों को शिकायतें दूर करनी पड़ी।

अगस्त में बम्बई नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल शांतिपूर्ण थी किन्तु फिर भी 900 कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

प्रतिरक्षा नियमों के दुरुपयोग का बहुत बड़ा उदाहरण भोपाल का है। वहां कर्मचारियों को 5 रुपये मंहगाई भत्ता दिया गया और उनकी मांग 30 रुपये की थी जो कि उचित थी। जब कर्मचारियों ने मजबूर हो कर हड़ताल की तो सभी प्रमुख नेताओं को प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में बुरी तरह पीटा गया। विधायकों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इंटक ने भी इस दमन चक्र का विरोध किया। किन्तु सरकार को तो प्रतिरक्षा नियमों का भरोसा है।

केरल में 31 अगस्त को धरना शुरू होने से पहले ही साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आश्चर्य की बात है कि सरकार आपातकाल को बनाए रखना चाहती है। माननीय मंत्री थोड़े से समाज विरोधी लोगों की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हैं किन्तु अभी संख्या तो बहुत कम है और वह केवल दिखाने के लिए है। मुख्यतः मजदूर संघों को इस का शिकार बनाया गया है। अतः मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि इस सभा की यह राय है कि जब तक आपातकाल को समाप्त नहीं किया जाता जो कि वास्तव में बहुत पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, तब तक भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम के दमनकारी उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को राजनीतिक, मजदूर संघ तथा लोकतंत्रात्मक आन्दोलनों के अन्य कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ अथवा खाद्य तथा ऊंचे मूल्यों के खिलाफ जनता के आन्दोलनों का दमन करने के लिये प्रयोग में न लाया जाए।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे सामने कुछ मामले हैं। आश्चर्य की बात है कि 1962 में चीनी आक्रमण के समय कुछ साम्यबादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था जो अब तक बिना किसी मुकदमे के जेल में सड़ रहे हैं। तीन चार व्यक्ति उत्तर प्रदेश जेल में हैं। एक श्री एस० सी० दत्त को आंख की तकलीफ है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और केन्द्र में गृह मंत्री से निवेदन किया था कि उसे इलाज के लिए रिहा किया जाए या कलकत्ता जेल में भेज दिया जाए जहां उसके रिश्तेदार उसके इलाज के लिए सारा खर्च करने के लिए तैयार हैं किन्तु उसे फैजाबाद जेल से सीतापुर जेल में भेज दिया गया है। उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

श्री राम आसरा और श्री मन्ना सिंह को जो मजदूर संघों के नेता थे, कोई आरोप न होने पर रिहा कर दिया गया था किन्तु रिहाई के तुरन्त बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

भोपाल में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां एक करार हो गया था और मजदूर संघ उस पर सहमत हो गये थे किन्तु आज हैवी इलेक्ट्रीकल्स कर्मचारी संघ के प्रधान जेल में हैं और

[श्री स० मो० बनर्जी]

उन्हें पेशाव के साथ खुन जा रहा है। ये सत्रह आठारह वर्ष के नौजवान नेता अत्याचार का शिकार बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि हैवी इलेक्ट्रीकल्स के अध्यक्ष को हटाया जाए।

माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे भोपाल, उत्तर प्रदेश और बम्बई के ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करें। प्रतिरक्षा नियम तो बिरला, डालमियां और मुनाफाखोरों के लिए होने चाहिये और उन भारतीय नागरिकों के लिये नहीं जिन्होंने आक्रांताओं का मुकाबला किया था।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार 21 सितम्बर, 1964/30 भाद्र, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, September 21, 1964/Bhadra 30, 1886 (Saka)

P.L.S. 48. XXXIII. 10. 64. (N)
600

© 1964 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बंधी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और (व्यवस्थापक भारत सरकार मुद्रणालय मिन्टो रोड) नई दिल्ली में मुद्रित ।

© 1964 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED AT THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI.